शिक्षार्थी मार्गदर्शिका

213

माध्यमिक पाठ्यक्रम

सामाजिक विज्ञान

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

शिक्षार्थी मार्गदर्शिका

213 - सामाजिक विज्ञान

माध्यमिक पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम समन्वयकर्ता
श्रीमती तरूण पुनिया
डा. चुन्नु प्रसाद
डा. अज़मत नूरी

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था)

ए-24-25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 62, नोएडा -201309

वेबसाइट: www.nios.ac.in, टॉल फ्री नंबर 18001809393

© राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(प्रतियां)

सचिव, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ए-24-25, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 62, नोएडा-201309 (उ.प्र.) द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

सलाहकार समिति

डा. सीतांशु एस. जेना
अध्यक्ष
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

डा. कुलदीप अग्रवाल
निदेशक (शैक्षिक)
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

पाठ्यक्रम समिति

अध्यक्ष

प्रो.सी.एस.आर. मूर्ति
सी.आई.पी.ओ.डी. एस आई एस
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

सदस्य

प्रो. निवेदिता मेनन
प्रोफेसर
एस.आई.एस.
जे.एन.यू, नई दिल्ली

प्रो. मोहम्मद कुरैशी
प्रोफेसर
सी एस आर डी, एस एस एस
जे.एन.यू., नई दिल्ली

प्रो. नूर मोहम्मद
से.नि प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

प्रो. सलिल मिश्रा
इतिहास संकाय
एस एस एस, इग्नू,
नई दिल्ली

डी ई एस एस एच,
एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली

रीडर (राजनीति विज्ञान)
लेडी श्रीराम कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

से.नि. उप प्रधानाचार्य
दिल्ली सरकार, दिल्ली

लैक्चरर
डी.ई.एस.एस.एच
एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली

पी.जी.टी. (इतिहास)
स.प. विद्यालय, लोधी कालोनी,
नई दिल्ली

क्षेत्रीय निदेशक
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

एस.ई.ओ. (शैक्षिक)
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

पाठ लेखक और सम्पादक

डा. अनिता देवराज
प्रधानाचार्य, डी.ए.वी.
बहादुरगढ़, हरियाणा

डा. अनन्त राम
से.नि. अध्यक्ष स्नातकोत्तर विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिवानी

डा. रामाश्रय प्रसाद
ऐसोसिएट प्रोफेसर
भीमराव अम्बेदकर कालेज
दिल्ली विश्वविद्यालय

डा. बी. पी. ध्यानी
प्रवक्ता
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली

डा. बी. एल. गुप्ता
से. नि. उप प्रधानाचार्य
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

डा. सुभाष आनन्द
ऐसोसिएट प्रोफेसर
श्रद्धानन्द कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

मदन लाल साहनी
से. नि. प्रवक्ता
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली

श्री आर. एस. पसरीचा
से. नि. उपप्रधानाचार्य
एम.बी.डी.ए.वी., सीनियर सेकेण्डरी स्कूल,
युसुफ सराय, दिल्ली

श्री एन. पी. सिंह
से. नि. उप प्रधानाचार्य
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

श्री रामदेव सिंह
पी.जी.टी.
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

श्रीमती अनुराधा प्रसाद
दूरस्थ शिक्षा निदेशालय
डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रुगढ़, असम

श्री सैयद फहर अली
सीनियर रीसर्च फैलो
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़

पाठ्यक्रम संयोजक

सुश्री तरूण पूनिया
शैक्षिक अधिकारी (भूगोल)
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

डा. चुन्नू प्रसाद
शैक्षिक अधिकारी (राजनीति विज्ञान)
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

डा. अजमत नूरी
शैक्षिक अधिकारी (इतिहास)
रा.मु.वि.शि.सं, नोएडा (उ.प्र.)

निदेशक की कलम से

प्रिय शिक्षार्थी,

सप्रेम।

'स्वपाठी शिक्षार्थियों को अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना' हमारा निरन्तर लक्ष्य रहा है। प्रस्तुत 'शिक्षार्थी मार्गदर्शिका' को पहली बार तैयार किया गया है। इस मार्गदर्शिका में पाठ्य सामग्री के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बिन्दुओं को उजागर किया गया है तथा यह एक ही दृष्टि में आपको पूरे पाठ्यक्रम की झलक प्रदान करती है। कम समय में पाठ्य सामग्री को दोहराने में यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगी।

मेरे विचार में यह मार्गदर्शिका विषय को गहराई से समझने के अतिरिक्त परीक्षा में आपके प्रदर्शन को भी और बेहतर बनाने में सहायता करेगी।

आशा है कि पुनरावृति के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे और इसको उपयोगी पाएंगे।

उज्जवल और सफल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ. कुलदीप अग्रवाल)
निदेशक (शैक्षिक)

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	1-2
पाठ संख्या 0	सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना	3-4
पाठ संख्या 1	प्राचीन विश्व	5-7
पाठ संख्या 2	मध्यकालीन विश्व	8-9
पाठ संख्या 3	आधुनिक विश्व – I	10-12
पाठ संख्या 4	आधुनिक विश्व – II	13-15
पाठ संख्या 5	भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव (1757-1857)	16-17
पाठ संख्या 6	औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति	18-19
पाठ संख्या 7	ब्रिटिश शासन के विरूद्ध जन प्रतिरोध	20-22
पाठ संख्या 8	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन	23-24
पाठ संख्या 9	भारत का भौतिक भूगोल	25-26
पाठ संख्या 10	जलवायु	27-28
पाठ संख्या 11	जैव विविधता	29-31
पाठ संख्या 12	भारत में कृषि	32-34
पाठ संख्या 13	यातायात तथा संचार के साधन	35-37
पाठ संख्या 14	जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन	38-39
पाठ संख्या 15	संवैधानिक मूल्य और भारत में राजनीतिक व्यवस्था	40-42
पाठ संख्या 16	मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य	43-44
पाठ संख्या 17	भारत: एक कल्याणकारी राज्य	45-46
पाठ संख्या 18	स्थानीय शासन और क्षेत्र प्रशासन	47-50
पाठ संख्या 19	राज्य स्तर पर सरकार	51-54
पाठ संख्या 20	संघीय स्तर पर शासन	55-59
पाठ संख्या 21	राजनीतिक दल और दबाव समूह	60-61
पाठ संख्या 22	लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता	62-64
पाठ संख्या 23	भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां	65-66
पाठ संख्या 24	राष्ट्रीय एकीकरण और पंथनिरपेक्षता	67-68
पाठ संख्या 25	विकास और वंचित समूहों का सशक्तीकरण	69-71
पाठ संख्या 26	पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन	72-74
पाठ संख्या 27	शान्ति और सुरक्षा	75-76
	प्रश्न पत्र - संदर्भ के लिये प्रश्न उत्तर	77-84
	प्रतिदर्श प्रश्नपत्र	85-87

प्रस्तावना

एक विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान का अपना महत्व है क्योंकि यह विद्यार्थी को एक उत्तम एवं ज़िम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। यह देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों एवं उनके बीच अन्तर्सम्बन्धों को समझने हेतु प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान की यह पुस्तक भारत से सम्बन्धित है तथा इसमें चार मॉड्यूल हैं, जो मानव समाज के विकास, यहां के प्राकृतिक वातावरण, भारत के संसाधन तथा उनके विकास, भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसकी सामाजिक संरचना तथा सबसे बड़े संसाधान के रूप में यहां के लोगों के बारे में अंतर्दृष्टि उत्पन्न करते हैं। यह मार्ग दर्शिका राज्य की अवधाारणा, इसका संविधाान, देश के सम्मुख समस्याए तथा चुनौतियों को स्पष्ट करती हैं। *शिक्षार्थी मार्ग दर्शिका* का उद्देश्य शिक्षार्थियों में सोचने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करना तथा उनको दी गई सूचनाओं को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ सकने में सक्षम बनाना है।

शिक्षार्थी मार्गदर्शिका के उद्देश्य

- शिक्षार्थी को पाठ्य सामग्री को पढ़ने तथा दोहराने में सहायता करना
- पाठ्य सामग्री के अधिगम को सशक्त बनाना
- परीक्षा में शिक्षार्थी के प्रर्दशन को बेहतर करना तथा उसमें सहायक होना
- शिक्षार्थी को विषय वस्तु को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ सकने में समर्थ बनाना
- अन्य स्रोतों से और अधिक सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना
- महत्वपूर्ण अवधारणाओं तथा सूचनाओं को सुस्पष्ट करना

टयूटर मार्क एसाइनमेंट (टी.एम.ए.)

1. शिक्षार्थी के लिए टयूटर मार्कड एसाइनमेंट का महत्व

मुक्त शिक्षा व्यवस्था में टयूटर मार्कड एसाइनमेंट (टी. एम. ए.) का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तव में टी. एम. ए. मुक्त शिक्षा व्यवस्था का आवश्यक व अभिन्न अंग हैं। टी. एम. ए. के द्वारा शिक्षार्थी अध्यापक अथवा टयूटर के संपर्क में आ जाता है। यह शिक्षार्थी को एक मौका प्रदान करता है कि वह अपने उत्तर ठीक कर सके तथा अपने विषय ज्ञान को अच्छा बना सके। शिक्षार्थी द्वारा दिए गए एसाइनमेंट पर टयूटर द्वारा दिए गए सुझाव व दिशा निर्देश शिक्षार्थी की उन्नति में सहायक होते हैं।

2. एक अच्छा एसाइनमेंट कैसे तैयार करें

एक शिक्षार्थी अपना एसाइनमेंट तैयार करते समय अपने पाठ के विषय पर केन्द्रित रहे तथा पाठ की सभी ईकाईयों को यथा संभव महत्व दे। उसे एसाइनमेंट में शीर्षक तथा उपशीर्षक भी देने चाहिएं तथा इससे कोई महत्वपूर्ण सूचना अदृश्य नहीं होनी चाहिए। एसाइनमेंट नियत प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए। यह बहुत अधिक लम्बी या छोटी नहीं होनी चाहिए।

3. टयूटर की टिप्पणियों का उत्तर देना

शिक्षार्थी को चाहिए कि टयूटर द्वारा दी गई टिप्पणियों का उत्तर अनिवार्य रूप से दे। इससे शिक्षार्थी विषय की जानकारी को अद्यतन कर सकता है तथा अपनी गलतियों को सुधार सकता है। परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए भी टयूटर की टिप्पणियां सहायक होती हैं। यह शिक्षार्थी के अपने हित में है कि वह टयूटर द्वारा एसाइनमेंट पर दी गई टिप्पणियों का उत्तर दे।

परीक्षा के लिए तैयारी करना

1. परीक्षा का सकारात्मक पक्ष

परीक्षा का सकारात्मक पक्ष यह है कि वह शिक्षार्थी को विषय के सम्बन्ध में अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकने तथा अपनी योग्यता एवं क्षमता के स्तर की जांच कर सकने में सहायता देता है।

2. परीक्षा से संबंधित मिथक

परीक्षा से संबंधित मिथक यह है कि परीक्षा ही केवल एक ऐसा मापदण्ड है जिसके द्वारा परीक्षार्थी की योग्यता, क्षमता तथा सामर्थ्य को मापा जाता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि परीक्षा अन्य कई तरीकों में से ही एक तरीका है।

3. किससे बचें?

परीक्षा की तैयारी करते समय, शिक्षार्थी को अनावश्यक तनाव जिसे परीक्षा बुखार कहते हैं, से बचना चाहिए। उसे विस्तृत जानकारी को रटने की जगह हर पाठ के मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

4. परीक्षा के लिए दोहराना (पुनरावृति)

परीक्षा की तैयारी करते समय शिक्षार्थी ने जो कुछ सीखा हो उसे दोहराना अनिवार्य है। इससे शिक्षार्थी को वह सब पुन: स्मरण हो जाता है जो कुछ उसने पहले सीखा है। इससे प्रत्येक पाठ के मुख्य बिन्दुओं को पुन: याद करने में मदद मिलती है।

5. परीक्षा के एकदम पहले अपने आप को तैयार करना तथा परीक्षा के लिए रणनीति तैयार करना

शिक्षार्थी को यह समझ लेना चाहिए कि परीक्षा से पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं-

- अपने पाठ को दोहराएं
- आत्म-विश्वास का आवश्यक स्तर बनाए रखें
- अपने आप को परीक्षा के बुखार से ग्रसित न होने दें
- परीक्षा केन्द्र पर समय से पहले पहुँचें
- शिक्षार्थी को यह ध्यान में रखना चाहिए की निर्धारित समय से पहले ही उसे सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ताकि उत्तर पुस्तिका को एक बार पुन: जांचने का समय मिल जाए तथा यह सुनिश्चित हो जाए कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं?

6. शिक्षार्थी ध्यान दें

विस्तार से देखने के लिए अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक 1 व 2 का अधययन करें।

टीएमए जमा करने की तिथियाँ

अप्रैल/मई में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षा में बैठने हेतु

मूल्यांकन पत्रों की संख्या	विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र को	विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सुझाव
	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर
टीएमए-I	5 दिसंबर	15 दिसंबर
टीएमए-II	5 जनवरी	15 जनवरी
टीएमए-III	5 फरवरी	15 फरवरी

अक्टूबर/नवम्बर में आयोजित होने वाली सार्वजनिक परीक्षा में बैठने हेतु

मूल्यांकन पत्रों की संख्या	विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र को	विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सुझाव
	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर	माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर
टीएमए-I	5 जून	15 जून
टीएमए-II	5 जुलाई	15 जुलाई
टीएमए-III	5 अगस्त	15 अगस्त

सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
0	सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना	आत्म बोध, विवेकशील सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान	म्यूजियम का भ्रमण, पेटिंग, मूर्तियों तथा पुरातत्व अवशेषों को देखकर इतिहास को जानना और समझना

अर्थ

सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य अपने समाज के हर पहलू को समझना तथा सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढना है। यह विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित करने में हमें सक्षम बनाने में सहायता करता है। सामाजिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखायें हैं: अर्थ शास्त्र, इतिहास, पुरातत्व विज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र

सामाजिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं

- **इतिहास:** अच्छा जीवन जीने की चाह में अधिसंख्य पुरुष व महिलाओं के सहकारी और सहयोगपूर्ण कार्यो की कहानी को इतिहास कहते हैं।
- **पुरातत्व विज्ञान:** प्राचीन काल के समाज तथा संस्कृति के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। प्राचीन समय की घटनाओं के अंशों को हम पदार्थ अवशेषों के द्वारा खोज सकते हैं; जैसे कि कलासत, कब्रों, टूटी हुई ऐतिहासिक इमारतों, हस्तलिपि, स्तम्भ, धातु की तख्तियों, सिक्कों, मोहरों, औजारों, खिलौनों तथा तस्वीरों इत्यादि के द्वारा
- **भूगोल:** पृथ्वी की बनावट, लोगों, स्थानों तथा वातावरण का अध्ययन है। भूगोल ऐसा विशिष्ट विषय है जो सामाजिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ता है।
- **राजनीति विज्ञान:** यह राजनीति के सिद्धांतों तथा कार्यप्रणाली से संबंधित है तथा राजनैतिक व्यवस्था और राजनैतिक बर्ताव का विश्लेषण करता है। इसमें घटनाओं तथा परिस्थितियों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
- **समाजशास्त्र:** यह सामाजिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझने पर केन्द्रित होता है।
- **अर्थशास्त्र:** यह मनुष्यों द्वारा उत्पादन, उपभोग एवं सम्पति के चयन हेतु अपनाये जाने वाले विभिन्न तरीकों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मनुष्य की जरूरतों तथा उपलब्ध संसाधनों के बीच सन्तुलन का सामाजिक विज्ञान है।

मानव का विकास

- मानव लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था।
- यह कपि से मिलते जुलते थे जो गुफाओं या पेड़ों पर रहते थे।
- लेखन कला की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी।
- प्रागैतिहास वह काल हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता
- इतिहास उस काल को कहते हैं जिसका लिखित प्रमाण मिलता है

पाषाण काल
- पुरापाषण (5,00,000 ई. पू. से 1,00,000 ई. पू.) भोजन संग्रहक
- मध्य पाषाण (10,000 ई. पू. से 8,000 ई. पू.) अग्नि की खोज
- नव पाषाण (8,000 ई. पू. से 4,000 ई. पू.) भोजन उत्पादक

सामाजिक विज्ञान तथा आज के समाज की समस्याएं

हालांकि मानव ने मात्र शिकार करने से शुरू हो कर अंतरिक्ष काल तक विकास कर लिया है, परन्तु फिर भी उसकी कई समस्याएँ है, जिनमें कुछ है:

- गरीबी व भुखमरी
- सम्पति का असंतुलित वितरण
- बेरोज़गारी तथा अल्प रोज़गार
- कर की चोरी,काला धन तथा सामांतर अर्थ व्यवस्था
- सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार
- प्रदूषण तथा पर्यावरण का अपक्षय
- देश-प्रेम तथा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव
- लैंगिक भेदभाव
- हिंसा, आतंकवाद तथा नक्सलवाद
- राष्ट्रीय एकीकरण में क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता जैसे अवरोध

मनुष्य की प्रगति के विभिन्न चरण

- शिकारी के रूप में युग: भोजन संग्रहक का प्रारंभिक चरण
- देहात (गांव) का जीवन: कृषि का प्रारंभ तथा स्थायी जीवन के रूप में
- शहरी कस्बों की जिन्दगी: भोजन उत्पादक, धातुओं की खोज से शिल्पों का विशिष्टीकरण हुआ।
- नगरीय जीवन: संस्कृति तथा सभ्यता का विकास। चित्रकारी, संगीत, मूर्तिकला तथा वास्तुकला जैसी कलाओं का विकास

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. मानव विकास के विभिन्न चरणों की चर्चा कीजिए।

प्र. आज के समाज की किन्हीं पांच समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए

प्र. सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या कीजिए

प्राचीन विश्व

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
1	प्राचीन विश्व	समालोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान	हड़प्पा कलाकृतियों को देखने एवं म्यूजियम के भ्रमण तथा हड़प्पा से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि के भ्रमण द्वारा हड़प्पा सभ्यता को जानना एवं मझना

अर्थ

धातु की खोज से मानव सभ्यता अत्यधिक विकसित हो गई। मानव द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली पहली धातु तांबा है। तांबा तथा धातु के उपयोग पर आधारित संस्कृति को **ताम्र-पाषाण संस्कृति** कहते हैं। तांबे तथा रांगा की मिश्र धातु अर्थात कांसा ने पत्थर, लकड़ी से बनने वाले हड्डियों से बनने वाले औज़ारो की जगह ले ली। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत तथा चीन में नगरीय सभ्यताएं प्रथम बार देखने में आई।

विश्व की विभिन्न ताम्र-पाषाण संस्कृतियां

क्रम सं.	सभ्यता → का नाम / विशिष्ट लक्षण ↓	मेसोपोटामिआ	मिस्र	चीन	भारत
1.	किस नदी-घाटी पर	दजला व फरात के बीच	नील	ह्वांग हो	सिंधु
2.	आधुनिक शहर	ईराक	मिस्र	उत्तरी चीन	हड़प्पा (पश्चिमी पंजाब) सिंध, गुजरात, राजस्थान
3.	कृषि के अतिरिक्त अन्य विकसित हुए शिल्प	लुहार, कुम्हार, राज मिस्त्री, बुनकर, बढ़ई	संगतराश बढ़ई	कांस्य-मिस्त्री	तांबा, कांसा के औज़ार तथा हथियार बनाने वाले, अनमोल पत्थरों चांदी, सोने के आभूषण बनाने वाले
4.	परिवहन	ठेला, चौपहिया, नौकाओं, पोतों	जमीनी व समुद्री	रेशम मार्ग	जमीनी व समुद्री
5.	भाषा तथा लिपि	कीलाक्षर	चित्राक्षर	सामान्य चीनी भाषा	हड़प्पाई (अभी पढ़ा नहीं जा सका)
6.	धर्म	सूर्य, चन्द्रमा, आकाश तथा प्रजनन की पूजा होती थी	हर शहर का खास देवता व उसके मंदिर	अनेक देवी-देवताओं की पूजा, पूर्वजों, प्रकृति और आत्माओं की पूजा	मातृ देवी व लिंग पूजा

7.	शासक वर्ग	पुरोहित, राजा अभिजात	पुरोहित, फराओ (राजा)	शांग (1523–1122 ई. पू.) चाऊ (1122–221 ई. पू.) चिन (221 ई. पू.–220 ई.)	राजा 2500 ई. पू.–1500 ई. पू.
8.	समाज के अन्य वर्ग	व्यापारी, दास, सामान्य जन	किसान, व्यापारी, शिल्पकार	किसान, व्यापारी, शिल्पकार	किसान व्यापारी
9.	मशहूर स्मारक	–	पिरमिड, संरक्षित शव	चीन की महान दीवार	विशाल स्नान गृह
10.	अतिरिक्त	–	मापतोल का ज्ञान	कन्प्रयूशसा की सही व्यवहार की प्रणाली का प्रचार-प्रसार	बाढ़ के कारण अथवा नदी के सूखने के कारण हुआ पतन अथवा समुद्री व्यापार के कारण पतन

लौह युगीन सभ्यताएं

- यूनान (2000 वर्ष पूर्व, नगर राज्य)
- रोमन (510 ई. पू.)
- ईरानी (550 ई. पू.)
- भारत (वैदिककाल)
  - पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक 1500 ई. पू.
  - उत्तर वैदिक 6 ई. पू.

बौद्ध धर्म

गौतम बुद्ध लुंबिनी में 563 ई. पू. में जन्में। 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्रप्ति; चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी

जैन धर्म

- ऋषभनाथ, जैन धर्म के संस्थापक तथा पहले तीर्थकंर। पार्श्वनाथ, 23 वें तीर्थकंर तथा वर्द्धमान महावीर 24 वें तीर्थकंर
- महावीर 540 ई. पू. में कुंडाग्राम (वैशाली के निकट) में जन्मे, 30 वर्ष की आयु में सन्यासी, 468 ई. पू. में राजगीर के निकट पावापुरी में निर्वाण

मौर्या काल (322 ई. पू.–184 ई. पू.)

- बिम्बसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद तथा चंद्रगुप्त मौर्या ने शक्तिशाली महाजनपद मगध का विस्तार किया। चन्द्रगुप्त मौर्या (322–297 ई. पू.) ने 322 ई. पू. में नंद वंश को हराया, जिसके बाद बिंबसार (297 ई. पू.–272 ई. पू.) तथा अशोक (272–236 ई. पू.) क्रमश: गद्दी पर बैठे

संगम युग 300 ई. पू.–200 ई.

- मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विद्वानों तथा साहित्यकारों का जमा होना संगम कहलाया। तोलकपिप्यम, आठ संग्रह (एट्टूटोगाई) दस काव्य

(पट्टपट्टू), अठारह लघु ग्रंथ तथा तीन महाकाव्य (सिलप्पादिकम, मणिमेकालाई और सिवागा सिंदार्माण) जैसे ग्रंथों का इस काल में लेखन एवं विकास हुआ।

कुषाण युग

- भारत में कुषाण वंश के शासक जो मध्य एशिया से आए युग कबीले की एक शाखा थे। मौर्या के पतन के बाद कुषाण ने शासन किया। वे पक्के बौद्ध थे।

गुप्त काल (319 ई.-550 ई.)

- फाहियान (4-5 ई.) के अनुसार इस काल में खूब खुशहाली थी। गुप्त वंश के संस्थापक महाराजा श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त तथा चंद्रगुप्त (319-355 ई.) शासक बने।
- समुन्द्रगुप्त (जिनके बारे में इलाहाबाद स्तम्भ में जानकारी मिलती है) ने अश्वमेध यज्ञ करवाया जोकि साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इसके बेटे चन्द्रगुप्त II (415-455 ई.) ने शांति और खुशहाली को बहाल किया।

गुप्तोत्तर काल (550 ई.-750 ई.)
(भ्रम व विखंडन का दौर)

हर्ष वर्धन	पुष्यभूती	मैत्रक वलभी	चालक्य	पल्लव
उत्तर भारत में	थानेश्वर में	गुजरात के	बादायी	कांची

भारतीय सभ्यता एक नज़र में

- दर्शन व विज्ञान में जबरदस्त प्रगति
- गणित, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, धातु क्रम तथा चिकित्सा में उल्लेखनीय योगदान
- आर्यभट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री; चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सक
- नागार्जुन; प्रसिद्ध रसायन शास्त्री
- शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पनाए भारत में विकसित हुईं।
- कला चित्रकला, मूर्तिकला तथा वास्तुकला में महान कौशल, अशोक स्तम्भ
- अजंता, एलोरा की गुफाएं, दक्षिण भारतीय मंदिर, सांची के स्तूप

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. मेसोपोटामिया सभ्यता की चीनी सभ्यता से तुलना कीजिए

प्र. रोम तथा ईरानी सभ्यता के तीन विशिष्ट लक्षणों को लिखिए।

प्र. विश्व सभ्यता को भारत की देन को सूचीबद्ध कीजिए।

मध्यकालीन विश्व

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
2	मध्यकालीन विश्व	समालोचनात्मक, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान	हड़प्पा कलाकृतियों को देखने एवं म्यूजियम के भ्रमण तथा हड़प्पा से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जैसे राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि के भ्रमण द्वारा हड़प्पा सभ्यता को जानना एवं समझना

अर्थ

रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपीय समाज में परिवर्तन हुआ तथा एक नए धर्म, इस्लाम के उदय से एक नए विशाल साम्राज्य की पश्चिमी एशिया में स्थापना हुई जो विश्व के एक बड़े भाग में फैल गया। मध्यकाल को मध्य युग भी कहा जाता है। यह काल प्राचीनकाल के बाद तथा आधुनिक काल से पहले का था।

सामंतवाद: राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक-आर्थिक पहलू

- सांमतवाद, राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक श्रेणीबद्ध संगठन था, इसकी संरचना एक सीढ़ी जैसी थी।
- इसके शीर्ष पर राजा था। जिसके नीचे ड्यूक और अर्ल थे।
- उनके नीचे थे छोटे सांमत जो बैरन कहलाते थे, तथा उनके नीचे नाइट थे जोकि निम्नतम कोटि के थे।
- वेसल (मातहत): वह व्यक्ति जो अपने से उच्च व्यक्ति के प्रति वफादारी के कारण उसका मातहत था। उसको उपयोग के लिए भूमि दी जाती थी।
- वेसल (मातहत) अपने सांमत की जीवन प्रयंन्त सेवा करने का वचन देता था तथा मुख्यत सैन्य सेवा में भी शामिल होता था।
- सांमतो के नियंत्रण वाली समूची जमीन मेनर (गढ़ी) कहलाती थी।
- मेनर आत्म निर्भर आर्थिक ईकाई थी। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन इसी पर किया जाता था।

रोमन साम्राज्य का पतन

- पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोम थी तथा पूर्वी प्रांतों की कुस्तुनतुनिया थी।
- गॉथ, वंडल, विसीगॉथ तथा फ्रैंक जैसे विभिन्न जर्मेनिक कबीलों के आक्रमणों के बाद पश्चिम में रोमन साम्रज्य का पतन हुआ।

सांमती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन: मध्यकालीन युरोप में खुशहाली तथा संकट

- रोमन साम्राज्य के पतन के कुछ सदियों बाद भी आर्थिक जीवन का स्तर निम्न रहा।
- शहरी जीवन, व्यापार तथा मुद्रा विनिमय में गिरावट आई
- कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीक पिछड़ी हुई थी और कृषि उत्पादन कम था।

- इस दौरान शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों का ही विशेषधिकार बनी रही। आम लोगों को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम लेटिन था जिसकी जानकारी केवल पादरी वर्ग को ही थी।

मध्यकाल में अरब सभ्यता

- अरब, रेगिस्तानों का एक प्रायद्वीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज्यादातर अरब बद्दू जाति के थे, अर्थात ऊँट पर घूमने वाले चरवाहे थे।
- अरब, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार करने के लिए आने जाने वाले कारवों के लिए सुरक्षित रास्ता बन गया। मक्का सबसे महत्वपूर्ण था जो कुछ व्यापार मार्गों के संधिस्थल पर था।
- इस्लाम का प्रसार करने वाले पैगम्बर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ई. में कुरैशी कबीले मे हुआ था। बड़ा होकर वह एक खुशहाल सौदागर बना। उन्होने एक ध नी विधवा खदीजा के लिए व्यापार किया जिससे बाद में उन्होने शादी भी कर ली।
- इस्लाम शब्द का अर्थ है ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण तथा धर्म का पालन। इसके अनुयायी मुस्लिम या मुसलमान कहलाए।

समाज तथा संस्कृति

- अरब दर्शन पुराने यूनानी दर्शन पर आधारित था विवेकशीलता में यकीन रखने वाले दार्शनिकों ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होनें खगोलशास्त्र और चिकित्सा मे खासा काम किया

मध्यकालीन भारतीय सभ्यता 8वीं तथा 10वीं शताब्दी

- 8वीं तथा 10वीं शताब्दी के बीच उत्तर में पाल, प्रतिहार तथाा राष्ट्रकुल, दक्षिण में चोल

राजनीतिक क्रम

- उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी तक तुर्को ने अपना शासन स्थापित कर लिया था
- तुर्क शासक सुलतान कहलाते थे तथा दिल्ली को राजधानी बना कर शासन किया
- उनका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया, जिनके खिलजी तथा तुगलक वंश थे।
- दक्षिण में विजयनगर और बहमनी दो शक्तिशाली राज्य थे।
- 16वीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय इतिहास में मुगलों से एक नया युग प्रारम्भ होता है।

राजनीतिक संस्थाएँ

- मुगलों ने मनसबदार नियुक्त किए जो सैन्य तथा नागरिक जिमेदारियां निभाते थे।

अर्थ व्यवस्था

- दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य किसानों के कृषि उत्पादन की अतिरिक्त उपज पर आधारित थे तथा इस अतिरिक्त उत्पादन को राजस्व के रूप में वसूलते थे।
- गुप्त वंश के बाद व्यापार और वाणिज्य में हुई गिरावट का इस समय में पुनः उद्धार हुआ।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन

- मध्यकाल में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में परंपराएं आपस में बहुत घुल मिल गई।
- धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन उभरे।
- भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकाल, संगीत, और नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं के संशलेषण का प्रभाव पड़ा।
- मुगलों के संरक्षण में चित्रकला को राजसी कारखानों में व्यवस्थित किया गया। कलाकरों को राज्य द्वारा वेतन दिया जाता था।
- सांस्कृतिक जीवन का एक मज़ेदार पहलू हिन्द-इस्लामी वास्तुकला में उजागर होता है। महराब और गुम्बद को घण्टियों, स्वास्तिक, कमल, कलश जैसे हिन्दू प्रतीको से जोड़ा गया
- भक्ति तथा सूफी परंपराओं ने भी भक्ति संगीत की नई शैली को गति दी।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. सांमती लार्ड का वेसल (मातहत) के साथ सम्बन्ध का 30 शब्दो में वर्णन कीजिए?

प्र. अरब में इस्लाम का संस्थापक कौन था?

प्र. मुगल काल के मशहूर चित्रकारों के नाम लिखिए।

आधुनिक विश्व – I

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
3	आधुनिक विश्व–I	समालोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, आत्म बोध	संदर्भ पुस्तकों एवं इंटनेट से प्राप्त सूचना के साथ अन्तर्क्रिया

अर्थ

आधुनिक युग के आगमन एवं सांमतवाद के पतन के साथ, किसानों पर लगी पाबंदियां बीते युग की बात हो गईं तथा शक्शिाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ जिन्होने नए स्थानों की खोज में निवेश किया। इससे औद्योगिक क्रांति आई जिससे पूरे विश्व में क्रान्तिकारी बदलाव आया। यह आधुनिक युग का प्रारम्भ था।

पुनर्जागरण

- पुनर्जागरण ऐसी संचेतना है जिसने विवेक व सोच को सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में प्रेरित किया तथा जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया।
- व्यापारिक मार्गो की खोज से वस्तुओं का आगमन हुआ जिसने यूरोप वासियों के जीवन को खुशहाल बनाया।
- इस अवधि में नए विचारों जैसे मानवतावाद, बुद्धिवाद और जानकारी प्राप्त करने की भावना का विकास हुआ

सुधार

- मध्यकालीन कैथोलिक चर्च अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़े हुए थे।
- 1517 ई. में पश्चिम में ईसाई जगत दो भागों में बंट गया: प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक।

विज्ञान का विकास

- पुनर्जागरण वैज्ञानिको ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अवलोकन व प्रयोगीकरण के रास्तों का मार्ग प्रशस्त किया।
- विज्ञान में पुनर्जागरण युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि खगोल शास्त्र में हुई

नई दुनिया की खोज

- नए व्यापारिक मार्गो की खोज ने विश्व इतिहास को बदल दिया
- दक्षिण पूर्व एशिया एवं दक्षिण एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्गो की खोज हुई।
- वास्को दी गामा ने भारत की खोज की तथा कोलम्बस, जो भारत की खोज के लिए निकला था, अमेरिका पहुंच गया।
- व्यापार में अत्याधिक वृद्धि तथा औपनिवेशीकरण ने युरोप की सम्पति में काफी वृद्धि की।

औद्योगिक क्रांति

- 1750 ई. के लगभग इंगलैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारम्भ हुई।
- कई नए विकास हुए और नई मशीनों के आगमन से उत्पादन में सुधार हुआ व समाज मे असमानता बढ़ी।

क्रांतियों का युग

- राजनैतिक नेतृत्व के विरूद्ध उत्पन्न भारी असंतोष के कारण लोगों ने राज्य के मामलों में अधिक भागीदारी की मांग करना शुरू कर दिया

गौरवपूर्ण क्रांति

- 1688 में इंगलैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जो क्रांतियों के युग से काफी पहले हो गई थी और विश्व की प्रेरणा स्त्रोत बनी। इसको गौरवपूर्ण क्रांति इस लिए कहते हैं कि यह बिना खून बहाए सफल हुई थी।

आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध

- 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प अधिनियम पारित किया
- 16 दिसंबर 1773 को कुछ अमेरिकी, आदि भारतीयों के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के तीन जहाजों पर चढ़ गए तथा इस पर लदी चाय को समुद्र में फेंक दिया जिसको बोस्टन चाय पार्टी कहते हैं।
- इससे युद्ध प्रारम्भ हो गया तथा जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया की कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी

फ्रांसीसी क्रांति

- 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज तीन वर्गो या एस्टेटों में विभाजित था
- चर्च में काम करने वाले पादरी पहला एस्टेट थे।
- कुलीन वर्ग का दूसरा एस्टेट विलासिता और धर्म के नाम पर कई विशेषाधिकारों और देश के शासन का आनंद लेता था।
- किसान, आम लोग, शहर के श्रमिक और मध्यम वर्ग के लोग तीसरी एस्टेट में आते थे और भारी करों के बोझ तले दबे थे।
- तीसरे एस्टेट ने करों में समानता तथा पहली दो एस्टेटों के विशेषाधिकारों को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने अपने लिए एक राष्ट्रीय असेंबली बनाने की घोषणा की और सम्राट से सारे अधिकार ले लिए।
- परिणाम स्वरूप फ्रांस में पूरी तरह बदली हुई सरकार, प्रशासन, सेना, समाज और संस्कृति देखने को मिली।

इटली का एकीकरण

- 18वीं सदी मे इटली कई राज्यों का एक समूह था और प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का सम्राट और परंपराएं थीं।
- फ्रांस के गणतंत्र बनने के बाद पूरे इटली में गुप्त क्लबों का गठन किया गया ताकि इटली भी गणतंत्र बन सके।

जर्मनी का एकीकरण

- 1815 में नेपोलियन की हार के बाद कई जर्मन एक स्वतंत्र जर्मनी चाहते थे। जर्मनी 39 छोटे राज्यों का संघ था तथा ऑस्ट्रिया और प्राशिया के नेतृत्व में था।
- प्रशिया के राजा कैसर विलियम प्रथम ने जर्मनी का एकीकरण प्रशिया शासन के अधीन करने के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क को चुना तथा ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पूरी तरह से बाहर रखने को कहा।

समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति

- औद्योगिक क्रांति से समाज मे असमानता पनपी। औद्योगिक मजदूर गरीबी के कारण बुरी अवस्था में जी रहे थे। इसके विपरीत उद्योगपति अमीर थे और आराम से जी रहे थे।
- मजदूरों में एकता हो गई और समाजवाद का विचार जो समाज में समानता लाता है, अपनी जड़े जमाने लगा।
- इसका प्रथम उदाहरण रूसी क्रांति था जिसने विश्व में पहली समाजवादी सरकार की स्थापना की।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. सांमतवाद की परिभाषा दीजिए। सांमतवाद के किन्ही दो लक्षणें को लिखिए।

प्र. उद्योगों में लगे मजदूरों की हालत का वर्णन कीजिए जिसने रूसी क्रांति को प्रभावित किया।

प्र. "1688 की गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के लिए प्रेरणा बनी " इस कथन की पुष्टि 30 शब्दो में कीजिए।

आधुनिक विश्व – II

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
4	आधुनिक विश्व–II	आत्म बोध, समालोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान	संदर्भ पुस्तक/इंटरनेट की सूचनाओं से अन्तर्क्रिया

अर्थ

औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों को प्रारम्भ किया जिनके चलते कृषक समाज आधुनिक औद्योगिक समाज में बदल गया। औद्योगिक देशों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा अपने उत्पादों के लिए बाजार चाहिए था। इस कारण अविकसित देशों को उपनिवेश बनाने की आवश्यकता पड़ी जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न हुआ जो विश्व युद्धों का कारण बना।

औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए नवीन और प्रौद्योगिकी परिवर्तन

कपड़ा उद्योग: बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाला पहला उद्योग था।

भाप इंजन

- 1764 में जेम्स वाट ने भाप इन्जिन के डिज़ाइन और दक्षता में चौगुना सुधार किया।

कोयला और लौह

- भाप इंजन, कोयला और लौह ने आधुनिक उद्योग की आधारशिला रखी।

परिवहन और संचार के साधन

- 1700 में पुल और सड़कों का निर्माण हुआ। शीघ्र ही इंगलैंड में भाप इंजन रेलवे ट्रैक पर माल को लाने ले जाने लगे तथा नहरी परिवहन में भी मदद मिलने लगी।
- टेलीग्राफ तथा टेलीफोन की खोज ने पूरे विश्व में संचार को सुगम बना दिया।

साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का उत्थान

- साम्राज्यवाद का मुख्य लक्षण साम्राज्य के उपनिवेशों से सम्पति का दोहन करना था।

अफ्रीका में साम्राज्यवाद (1880 तथा 1910)

एशिया में साम्राज्यवाद

चीन अफीम युद्ध तथा इसकी हार

जापान मेजी पुर्नसंस्थापन 1868 में प्रारम्भ हुआ। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका पर पुर्तगाल का कब्जा था जो बाद में डच तथा उसके बाद ब्रिटेन के कब्जे में आ गया।

साम्राज्यवाद का प्रभाव

- इसने एशिया तथा अफ्रीका दोनों की सम्पत्ति का दोहन किया। इसके कच्चे माल तथा बाजार का शोषण किया गया औद्योगिक माल को यहां बेचा गया, जिससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था नष्ट हुई। भारत में उन्होंने हमारी खुशहाल अर्थ-व्यवस्था को नष्ट कर दिया।

प्रथम विश्व युद्ध

प्रथम विश्व युद्ध के कारण

- एशिया तथा अफ्रीका के उपनिवेशों के बंटवारे से युद्ध के हालात पैदा हो गए।
- 19वीं सदी की अखिरी तिमाही में, जर्मनी इंगलैंड का मुख्य प्रतिद्वंदी बन गया।
- 1882 में जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली ने अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ आपसी सैन्य सहायता की संधि 'ट्रिपल एलांयस' पर हस्ताक्षर किए।
- 1907 में इंगलैंड, रूस और फ्रांस ने भी ट्रिपल एलांयस पर हस्ताक्षर किए।
- दो परस्पर शत्रुतापूर्ण विरोधी समूहों के उद्‌भव और यूरोपीय शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष ने यूरोप को दो गुटों में विभाजित कर दिया।

पान स्लाव आंदोलन और बाल्कन राजनीति

- आर्यडियूक फ्रासिंस फर्डिनेंड की हत्या युद्ध का तत्कालिक कारण बन गयी।

युद्ध की कार्य विधि 1914-1918

- प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1914 से शुरू हुआ और नवम्बर 1918 तक चलता रहा।
- वर्ष 1917 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई-अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में भाग लेना तथा नवम्बर में रूस द्वारा युद्ध से अलग हो जाना

प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक परिणाम

- प्रथम विश्व युद्ध को दुनिया की सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं के रूप में देखा जाता है। निर्दोष नागरिकों सहित दस लाख लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था।

लीग आफ नेशन्ज़

- यह 1920 में स्थापित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय जिनेवा में रखा गया।
- इसका मुख्य उद्‌देश्य दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, भविष्य में युद्ध रोकना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने और सदस्य देशों में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना था।

दो विश्व युद्धों के बीच दुनिया

- फासीवाद तथा नाजीवाद का उदय
- इंगलैंड और फ्रांस को भी गंभीर आर्थिक संकटों, अभावों और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा।
- सोवियत संघ दुनिया के पहले समाजवादी देश के रूप में उभरा। केवल यही एक देश था जो 1929 की महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ जबकि अन्य सभी पश्चिमी पूंजीवादी देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 1929 में अत्यधिक उत्पादन के कारण सबसे खराब आर्थिक संकट से ग्रसित हुआ।
- जापान एशिया का एक मात्र देश था जो साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरा। दो विश्व युद्धों के दौरान जापान एक मजबूत सैन्य शक्ति बन गया तथा इसने फासीवाद को समर्थन दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध

- लीग ऑफ नेशन्स भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकने के उद्देश्य में नाकाम रहा। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया
- फासी व नाजी पार्टियों ने युद्ध को गौरवान्वित किया तथा अपने लोगों को वादा किया कि युद्ध के द्वारा वह अपने देशों का खोया हुआ गौरव वापिस ले आएंगे।
- ब्रिटेन और फ्रांस इत्यादि, पूंजीवादी देश होने के नाते सोवियत संघ के साम्यवाद का प्रसार रोकना चाहते थे। इसलिए इन्होने ईटली तथा जर्मनी के पक्ष में एक सुव्यवस्थित नीति अपनाई जिसे तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है।

युद्ध का परिणाम

- सिंतबर 1945 को युद्ध समाप्त हुआ
- जर्मन यहूदियों को या तो मार दिया गया या फिर उन्हें यंत्रणा शिवरों में भेजा गया
- जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए जिससे यह शहर लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महा-शक्तियों के रूप मे उभरे।
- अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाना एक मुख्य उद्देश्य बन गया

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. परिवहन तथा संचार में हुए विकास ने व्यापारी वर्ग को कैसे सहायता दी?

प्र. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे?

प्र. प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए।

भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव 1757-1857

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
5	भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव 1757-1857	व्यक्तिगत संबंध कौशल, परानुभूति, समालोचनात्मक सोच	स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े स्मारकों जैसे लखनऊ रेजीडेन्सी इत्यादि के भ्रमण, मंगल पांडे जैसी फिल्मों को देखना तथा झांसी की रानी जैसी कविताओं का पाठ

अर्थ

ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज, अर्थ व्यवस्था तथा सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हुआ जिससे राष्ट्रीय जागरूकता तथा ब्रिटिश लोगों के विरूद्ध विद्रोह की भावना पैदा हुई।

भारत में उपनिवेशीकरण के तरीके

- 1600 में इंगलैंड भारत के साथ व्यापार को नियन्त्रित करने में सफल हुआ तथा उसने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की।
- 1613 में उसने सूरत में पहली फैक्टरी स्थापित की।
- प्लासी के युद्ध (1757) तथा बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिश के लिए भारत पर विजय के द्वार खोल दिए।

आंग्ल-मैसूर युद्धः टीपू सुलतान की वीरतापूर्ण हार तथा मृत्यु के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। कनारा, कोयम्बटूर तथा श्रीरंगपटनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेज़ों द्वारा अपने अधिकार में ले लिए गए। (1799 में)

आंग्ल-मराठा युद्धः अंग्रेज़ों ने पेश्वा को हराया, उसको गद्दी से हटाया तथा उसके सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।

आंग्ल-सिख युद्धः पंजाब पर लार्ड डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे कर इंगलैंड भेज दिया गया

जल्द ही और बहुत सी देसी रियासतों को संधि नीतियों, विलय की नीति और सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया।

आर्थिक प्रभाव

- अंग्रेज व्यापारी वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचने में सफल हुए क्योंकि विदेशी वस्तुओं को भारत में बिना कर चुकाए आने दिया गया।
- भारतीय हथकरघा वस्तुओं पर निर्यात हेतु अत्याधिक कर लगाए गए।
- इससे भारतीय हथकरघा उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा तथा इसका पतन हो गया।

भूमि राजस्व नीति का प्रभाव

स्थायी बन्दोबस्त, महलबारी बंदोबस्त तथा रैयातबारी बंदोबस्त जैसी भूमि राजस्व नीतियों ने भूमि जोतदारों के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा की।

कृषि का व्यवसायीकरण होने से चाय, काफी, नील, अफीम, कपास, जूट, गन्ना तथा तिलहन जैसी फसलों के उगाने से अनाज का उत्पादन गिर गया।

नए मध्य वर्ग का उदय

- ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय समाज में नयी कानूनी अदालतों, सरकारी अधिकारियों तथा वाणिज्यिक एजेंसियों की शुरूआत हुई।
- अंग्रेज़ों ने भूस्वामियों के अतिरिक्त एक नए पेशेवर और सेवा करने वाले मध्यम वर्ग को भी बनाया।

परिवहन और संचार

- 19वीं सदी के उतरार्द्ध में रेलवे का नेटवर्क बनाया गया
- इससे ब्रिटिश बैंकरों और निवेशकों को अपनी अतिरिक्त पूंजी तथा सम्पति को रेलवे निर्माण में निवेश करने का मौका प्राप्त हुआ।

समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश प्रभाव

- भारतीय समाज मे कन्या-भ्रूण हत्या, बाल-विवाह, सती प्रथा, बहु-विवाह तथा कठोर जाति व्यवस्था जैसी कई सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित थीं।
- पुरोहित मंहगे अनुष्ठान, बलि तथा जन्म या मृत्यु के बाद की रीतियां करवाते थे।
- महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई कानूनी उपाय शुरू किए गए। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। 1929 में शारदा अधिनियम पारित कर बाल विवाह पर रोक लगायी गयी।

शिक्षा नीति

शिक्षा नीति इस तरह की बनाई गई ताकि भारतीय कम पैसों में कलर्क की नौकरी करने को तैयार हों तथा इससे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बन जाए जो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो, ब्रिटिश संस्कृति के प्रंशसक बनें तथा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो।

सुधार आंदोलन के प्रभाव

- धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के मन में अधिक से अधिक आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान और अपने देश के लिए गर्व की भावना पैदा की।
- आधुनिक शिक्षा की शुरूआत ने भारतीयों को जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक और तर्क संगत दृष्टिकोण दिया।

विरोध आंदोलन

- ब्रिटिश शासन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम स्वरूप विदेशियों के खिलाफ भारतीयों में कड़ी प्रतिक्रिया हुई।
- इसके लिए किसानों और जनजातियों द्वारा शोषक शासकों के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की श्रृंखला पूरे देश में फैल गई।

1857 के विद्रोह का प्रभाव

- 1857 के विद्रोह ने पहली बार विभिन्न धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि वाले वर्ग के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक कर दिया।
- इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया तथा भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन हुए।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा लाना महत्वपूर्ण क्यों माना?

प्र. ब्रिटिश भूमि नीतियों ने किसानों तथा भू-स्वामियों को कैसे प्रभावित किया?

प्र. 1857 के विद्रोह ने हिन्दु तथा मुस्लिम समुदायों के रिश्तों को कैसे प्रभावित किया?

औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
6	औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति	परानुभूति, आत्म बोध, समलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान	राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द, सर सैयद अहमद खान के कार्यों के महत्व को समझना तथा खालसा निर्माण में अकाली आन्दोलन को जानना

अर्थ

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में शिक्षा का अभाव था तथा महिलाओं की अधीनता मुख्य कारण था जिससे समाज की प्रगति रुकी। भारतीय समाज में सुधारकों ने चाहे वें हिन्दु, मुस्लिम, सिख या पारसी थे, समाज को परिवर्तित किया।

शिक्षा का अभाव

- भारत में शिक्षा उच्च जाति के मुठ्ठी भर पुरुषों तक ही सीमित थी।
- धार्मिक ग्रंथ-वेद संस्कृत में ही लिखे हुए थे जो पुजारी वर्ग के एकाधिकार में थे।
- पुजारी वर्ग ही मंहगे अनुष्ठान, बलि तथा परंपराओं का निर्वाह करवाते थे।

महिलाओं की स्थिति

- अधिकतर महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था
- पुरूष का एक से अधिक पत्नी रखना (बहु विवाह) मान्य था
- विधवा को अपने पति की चिता में जबरदस्ती जलने पर विवश किया जाता था (सती प्रथा)
- महिलाओं को सम्पति तथा शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था।

जाति व्यवस्था

- हिन्दु समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था
- लोग अपने व्यवसाय के आधार पर विभाजित थे
- ब्राहम्णों को ईश्वर की प्रार्थना और पूजा पाठ का काम था
- क्षत्रिय युद्धों में लगे हुए थे
- वैश्य कृषि व्यापार में लगे हुए थे
- शूद्र ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा में लगे हुए थे

सामाजिक तथा धार्मिक सुधार

- बिना धार्मिक सुधारों के सामाजिक सुधार अर्थहीन थे।
- सुधारकों ने सकारात्मक भारतीय मूल्यों तथा पश्चिमी विचारों, जैसे लोकतंत्र तथा समानता के सिद्धांतो, को एक साथ जोड़ा।

शैक्षिक परिदृश्य

- पाठशाला, मदरसे, मस्जिद और गुरूकुलों में पारपंरिक शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म दर्शन जैसे विषय ही पढ़ाये जाते थे। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का अभाव था।

19वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधारक

- **राजा राम मोहन राय** ने 1828 में बह्म समाज की स्थापना की।
- **ईश्वर चन्द्र विद्यासागर** ने समाज सुधारों में पूरा जीवन लगा दिया।
- **राम कृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद:** रामकृष्ण परमहंस (1836-1886) ने धर्म की आवश्यकता पर बल दिया तथा स्वामी विवेकानंद (1863-1902) उनके महत्वपूर्ण शिष्य थे।
- **सर सैयद अहमद खान:** उनका विश्वास था कि मुस्लिम के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार तभी हो सकता है जब वह आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक ज्ञान तथा संस्कृति को अपनाए।
- **ज्योतिराय गोंविदराव फुले** तथा उनकी पत्नी सवित्री बाई ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों की महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास किए।
- **न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे** ने धार्मिक सुधारों के लिए पूना सार्वजनिक सभा तथा बम्बई में प्रार्थना समाज की 1867 में स्थापना की।
- **स्वामी दयानंद सरस्वती:** हिन्दुओं में धर्म सुधार हेतु 1875 में उत्तर भारत में आर्य समाज के संस्थापक थे।
- **पंडिता रमाबाई** ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की। इन्होने महिलाओ के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाल विवाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई।
- **एनी बेसेंट** थियोसोफिकल सोसायटी की सदस्या भारत में 1893 में आई
- **मुस्लिम सुधार आंदोलन:** मोहम्दन साक्षरता सोसाइटी कलकता की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ द्वारा की गई।
- **अकाली सुधार आंदोलन:** महंतों के खिलाफ सशक्त सत्याग्रह 1921 में प्रारम्भ किया गया जिसके फलस्वरूप 1925 में सरकार को नया गुरूद्वारा कानून पारित करना पड़ा।
- **पारसियों में सुधार आंदोलन:** 19वीं सदी के मध्य में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस. एस. बंगाली ने बम्बई में पारसियों में धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारम्भ किया।

भारतीय समाज पर सुधार आंदोलनों का प्रभाव

सभी आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने तथा जाति प्रथा, सामाजिक एकता, आज़ादी, समानता व भाई चारे के विकास के लिए काम किया। 1872 में पारित कानून ने अंतरजातीय विवाह व अंतर सांप्रदायिक विवाह को मान्यता दी। 1860 में लड़की की विवाह की आयु 10 वर्ष की गई तथा शारदा अधिनियम द्वारा 1929 को विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. भारतीय समाज में प्रगति के रास्ते में क्या रूकावटें थीं?

प्र. राजा राम मोहन राय तथा ईश्वर चन्द्र विद्यासागर द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए।

प्र. मुस्लिम सुधार आंदोलन तथा अकाली सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए।

ब्रिटिश शासन के विरूद्ध जन प्रतिरोध

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
7	ब्रिटिश शासन के विरूद्ध जन प्रतिरोध	आत्म बोध, परानुभूति, समालोचनात्मक सोच	कबीलों से सम्बन्धित संग्रहालय का भ्रमण तथा उनकी जीवन शैली को समझना

अर्थ

अंग्रेजों द्वारा प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के शोषण के कारण जन प्रतिरोध उत्पन्न हुआ जिसमें मुख्यत: किसानों, जन-जातियों तथा सैनिकों ने भाग लिया। इनमें एक आत्म विश्वास था जिसने राष्ट्रीय जन जागरण को तीव्र किया।

जनविद्रोह व प्रतिरोध के कारण

- अंग्रेजी शासन की नीतियां भारतीयों के अधिकारों, प्रतिष्ठा तथा अर्थिक स्थिति की अवमानना करती थी तथा शोषण का प्रतीक थीं।
- एक के बाद एक कई विद्रोह हुए जिनका नेतृत्व अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ शासकों, जीती गई देशी रियासतों के पूर्व अधिकारियों, ज़िमीदारों तथा पॉलिगरस (सांमतों) द्वारा किया गया ताकि वे अपनी छीनी गई भूमि तथा जगीर को पुन: प्राप्त कर सकें।
- इसी प्रकार जनजातियों ने भी विद्रोह किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि व्यापारी या सूदखोर उनकी जीवनचर्या में दखल दें।
- धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप भी इन प्रतिरोधों का एक अन्य कारण था। यह बगावत प्राय: इसाईयत के विरूद्ध होती थी।

जन विद्रोह व प्रतिरोध की प्रकृति

विद्रोहियों द्वारा हिंसा तथा लूटपाट जैसे दो मुख्य तरीके अपनाए जाते थे जिससे वह शोषकों के प्रति अपना विरोध प्रकट करते थे।

किसानों के विद्रोह का महत्व

- इन विद्रोहों का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना नहीं था फिर भी इनसे भारतीयों में जागृति आई।
- उन्हें शोषकों तथा दमनकारियों के खिलाफ संगठित होने की आवश्यकता महसूस हुई।

किसानों द्वारा विद्रोह

फकीर व सन्यासी विद्रोह 1770 में बंगाल	नील विद्रोह 1859-1862 बिहार तथा बंगाल	फरायज़ी आंदोलन (1838-1848) बंगाल	वहाबी आंदोलन (1830-1860) बंगाल

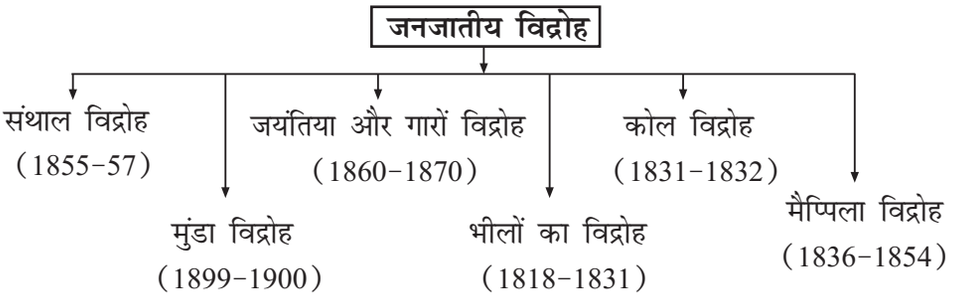

तथा अन्य कई और विद्रोह ब्रिटिश शोषण की नीतियों तथा जनजातियों के विनाश के खिलाफ उठे परन्तु इन सभी को कुचल दिया गया।

1857 का विद्रोह-कारण

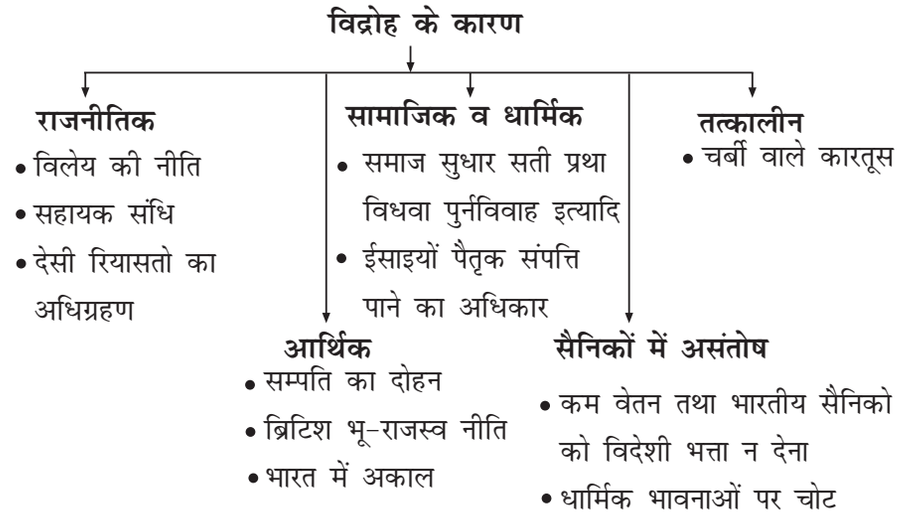

विद्रोह के चरण

- मंगल पांडे नाम का पहला सैनिक था जिसने आज्ञा का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया
- मेरठ में घुड़सवार टुकड़ी के 85 सैनिकों को 2 से 10 वर्ष कारावास का दंड दिया गया कि क्योंकि उन्होने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार किया था।
- अगले ही दिन 10 मई 1857 को तीन रेजीमेंटो ने विद्रोह कर दिया।
- उन्होने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
- दिल्ली से यह विद्रोह अन्य जगहों जैसे कानपुर, लखनऊ, झांसी में फैल गया।

विद्रोह की प्रकृति

- 1857 के विद्रोह के बारे आज भी बहस जारी हैं। ब्रिटिश इतिहासकार 1857-58 की घटनाओं को सैनिक बगावत कहते हैं।
- किसानो तथा शिल्पियों द्वारा इसमें भाग लेने की बजह से यह लोकप्रिय तथा व्यापक बन गया।
- यह हिन्दु-मुस्लिम एकता का द्योतक बन गया।

विद्रोह की असफलता

1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे

- विद्रोहियों में उद्देश्यों के प्रति कोई एकता नहीं थी
- मध्यम व उच्च वर्गों तथा आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह को सर्मथन नहीं दिया। विद्रोह का नेतृत्व कमजोर था।
- भारतीय नेताओं में संगठन व नियोजन का अभाव था।
- ऐसा कोई राष्ट्रीय नेता नहीं उभरा जो विद्रोह में तालमेल बनाता, और इसे उद्देश्य एवं दिशा देता।
- यह बंगाल प्रेसीडेन्सी तक ही सीमित था। मद्रास व बम्बई प्रेसीडेन्सी इससे अप्रभावित रहीं।

विद्रोह की विरासत

- हालांकि विद्रोहियों के प्रयास सफल न हो सके परन्तु ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ा कि वह भारत के प्रति अपने नीति में बदलाव करे।
- अगस्त 1858 में ब्रिटिश साम्राज्ञी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का नियंत्रण सीधे अपने हाथों में ले लिया तथा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया।
- इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया।
- सेना में कई बड़े परिवर्तन किए गए।
- युरोपीय सेना टुकड़ियों की संख्या बढ़ायी गई तथा भारतीय सेना टुकड़ियों की संख्या 1857 से पूर्व की संख्या की तुलना में घटा दी गईं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की पहचान कीजिए।

प्र. प्रारंभिक सफलता को विद्रोह क्यों नहीं बनाए रख सका?

प्र. ऐसा क्यों महसूस किया गया कि 1857 के संकट के लिए सेना जिमेदार थी?

भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
8	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन: राष्ट्रवाद का उदय	आत्म बोध, समलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, परानुभूति	स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में अधिक अध्ययन करके उनके योगदान को समझना तथा उसको सूचीवद्ध करना

अर्थ

उपनिवेश विरोधी आंदोलन ने ही राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से एक सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ जिसने बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा अंत में भारत छोड़ो आंदोलन देखा तथा इसका नतीजा भारत की स्वतंत्रता तथा इसका विभाजन था।

गरम दल का उदय

- लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा विपिन चन्द्र पाल (लाल-बाल-पाल) ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नई प्रवृति और एक नये चेहरे को चिह्नित किया
- श्रीमती ऐनी बेसेंट के प्रयासो के कारण 1916 में नरम दल तथा गरम दल में एकता हुई।
- 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधारों ने 1892 के सुधारों को ही आगे बढ़ाया।

भारतीयों को शांत करने हेतु 1919 में माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए जिसने दोहरे शासन का प्रस्ताव रखा जो एक प्रकार से राज्यों में दोहरी सरकार बनाने का प्रस्ताव था।

- 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग (अमृतसर) में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने मशीन गनों द्वारा भीड़ पर गोलियां चलाने का सेना को हुक्म दिया। चंद मिन्टों में लगभग एक हज़ार व्यक्ति मारे गए। इस जनसंहार ने भारतीयों के मन में आक्रोश भर दिया।

बंगाल का विभाजन

1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई जो बंगाल में बढ़ रहे राष्ट्रवादी आन्दोलन को कमज़ोर करने के लिए किया गया तथा इस क्षेत्र के हिन्दु तथा मुस्लिम समुदायों को बांटने के लिए किया गया।

गांधी जी का उदय

- मोहनदास कर्म चंद गांधी के सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चम्पारण में हुआ जब उन्होने किसानों को शोषणकारी बागान खेती व्यवस्था के खिलाफ प्रेरित किया।
- 1919 में रोलेट एकट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह प्रारम्भ किया गया।
- **1927 में साईमन कमीश्न** भारत में संवैधानिक सुधारों के तरीकों पर सुझाव देने आया
- गांधी जी 1913 में लंदन गए तथा दूसरी गोलमेज़ कांफ्रेस में भाग लिया परन्तु खाली हाथ लौटे।
- यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल रहा, परन्तु यह राष्ट्रीय संघर्ष में एक आवश्यक चरण था।

क्रांतिकारी

- अंग्रेजों की प्रतिक्रियात्मक नीति ने भारत की युवा पीढ़ी के बीच एक गहरी घृणा पैदा कर दी थी।
- अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को हिंसा के उग्र तरीकों से प्रशिक्षित किया गया।

समाजवादी विचारों का विकास

- 20वीं सदी का महत्वपूर्ण लक्षण था समाजवादी विचारों का विकास।
- 1920 में स्थापित अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रेरित किया।
- गांधी जी से मतभेद के कारण बोस ने कांग्रस से इस्तीफा दिया तथा अपना अलग से फारवर्ड ब्लाक बनाया।

सांप्रदायिक विभाजन

- 1935 के अधिनियम के तहत 17 चुनाव मंडल बनाए गए जिसने राष्ट्रीय एकता की राह में रूकावट डाली।
- 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा मिली जुली सरकार बनाने से इन्कार करना पाकिस्तान की मांग उठने का तत्कालिक कारण बन गया

भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद

- कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए 8 अगस्त की रात को गांधी जी ने आत्मा को झकझोरने वाले अपने भाषण में कहा, "मैं आजादी जल्द चाहता हूँ और इसका मंत्र है करो या मरो"
- भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन बन गया
- भारत की समस्या का सर्वमान्य समाधान ढूंढने के उद्देश्य से 1946 में केबिनेट मिशन भारत आया

भारत की आज़ादी और विभाजन

- 1946 के मध्य लीग ने केबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया।
- सितंबर 1946 में कांग्रेस ने केन्द्र में सरकार बनाई
- भारत के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे
- लार्ड माउंट बेटेन को वायसराय बना कर भारत भेजा गया। जून 1947 में उसने अपनी योजना रखी जिसमें भारत का विभाजन निहित था।
- गांधी जी के विरोध के बावजूद सभी पार्टियों ने विभाजन स्वीकार कर लिया तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अस्तित्व में आया।
- इसने भारतीय उपमहाद्वीप में दो स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित किए: भारतीय संघ तथा पाकिस्तान। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली
- 14-15 अगस्त की ठीक आधी रात को सत्ता का हस्तांतरण हुआ

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. ऐसे कारणों को पहचानिए जिनसे भारत में राष्ट्रवाद उभरा?

प्र. 19वीं सदी के दौरान भारत में हुए विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनो की चर्चा कीजिए।

प्र. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए।

भारत का भौतिक भूगोल

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
9	भारत का भौतिक भूगोल	आत्म बोध, समस्या समाधान, विवेकशील सोच, निर्णय ले पाना	आसपास के स्थलाकृतिक लक्षणों की प्रंशसा करना

अर्थ

भारत एक विशाल देश है। यह विश्व का सातवां बड़ा देश है। उत्तर में जम्मू व काश्मीर राज्य से इसका विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु; पूर्व में अरूणाचल प्रदेश से पश्चिम के गुजरात तक है। हमारे यहाँ हिमालय में विश्व की सबसे ऊँची पर्वतमालाएं तथा विश्व के बड़े मैदानी भागों में से एक उत्तरी मैदान है।

स्थिति एवं विस्तार

- भारत के मूख्य भू-भाग का अक्षांशीय विस्तार 8° 4′ से 37° 6′ उत्तर है।
- भारत के मुख्य भू-भाग का देशांतरीय विस्तार 68° 7′ से 97° 25′ पूर्व है।
- उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 कि. मी. है।
- पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 कि. मी. है।
- विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत में है।
- भारत पूर्णत: उत्तरी गोलार्द्ध तथा पूर्वी गोलार्द्ध में आता है।
- कर्क रेखा (23° 30′ उत्तरी अक्षांश) भारत के लगभग मध्य से गुजरती है।
- भारत की मानक मध्यान्ह (82° 30′ पू. देशांतर) रेखा देश के लगभग मध्य से गुजरती है।
- भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है अर्थात अरब सागर (पश्चिम), बंगाल की खाड़ी (पूर्व) तथा हिन्द महासागर (दक्षिण) से।
- कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भू-भाग का दक्षिणतम् बिन्दु (8° 4′ उत्तरी अक्षांश) है।

स्थिति का महत्व

- क्षेत्र के आधार पर भारत संसार का सातवां बड़ा देश है।
- इसकी स्थलसीमा 15,200 किलोमीटर तथा 6100 कि. मी. लंबी तट रेखा है।
- अंडमान और निकोबार महत्वपूर्ण द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है।
- भारत को 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- भारत की हिन्द महासागर में स्थिति सामरिक महत्व की है।
- इसका यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया के बीच समुद्री मार्गो पर नियंत्रण है।
- समुद्र और स्थल सीमाओं के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी है।

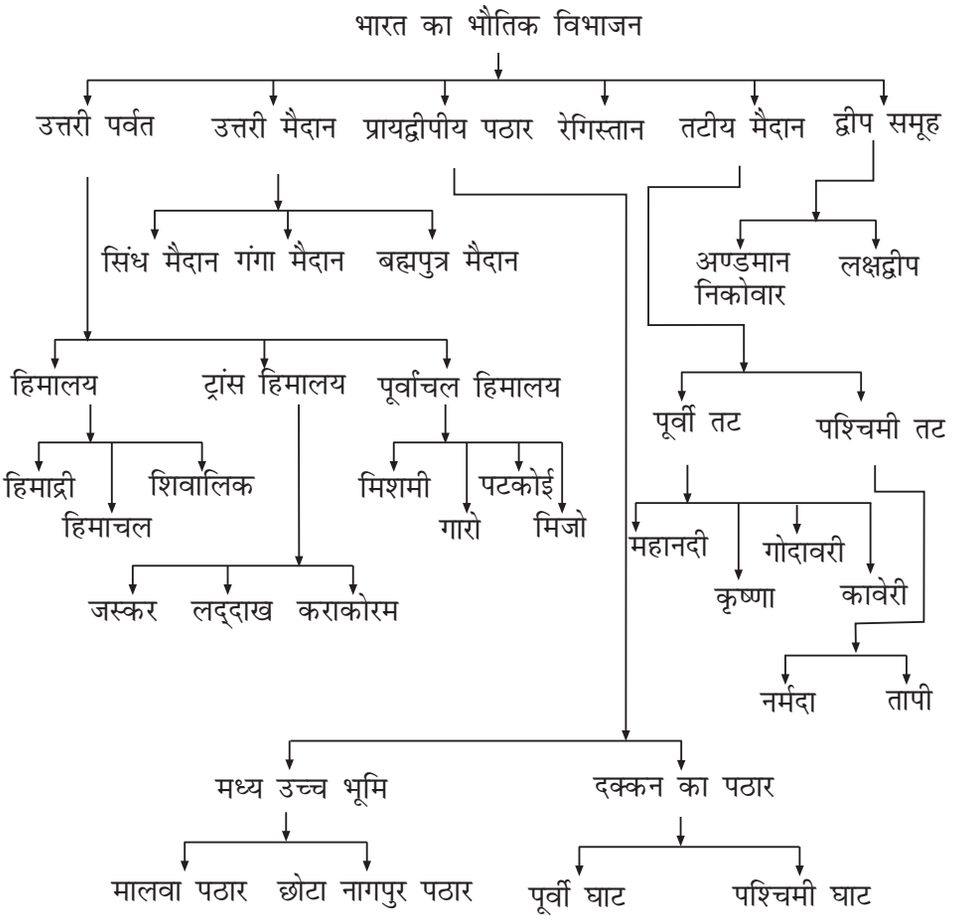

जल प्रवाह प्रणाली

हिमालयी जल प्रवाह प्रणाली
- बारहमासी
- सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली

प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली
- मौसमी
- महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी

नदियों को साफ रखना

जल जीवन का आधार हैं। जल का 1 प्रतिशत से भी कम मीठा ताजा पानी हम प्रयोग करते हैं। जल का यह छोटा सा भाग प्रत्येक प्रकार के जीवन रूपों के लिए हैं। इसीलिए यह प्रत्येक के लिए बहुमूल्य हैं। हमारे ताजे मीठे पानी के स्रोत जैसे नदी, झील इत्यादि बढ़ते जल प्रदूषण के कारण कम होते जा रहे हैं।

शहर, नदियों के किनारे बसे हैं तथा उन में अत्याधिक प्रदूषण हो रहा है। भारतीय नदियों में लगभग 70% प्रदूषण मल निकास के कारण हैं। जैविक, रसायनिक तथा औद्योगिक दूषित पदार्थ अत्याधिक मात्रा में नदियों व झीलों में डाले जा रहे हैं जो जलीय जीवन को नष्ट कर रहे हैं तथा स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहे हैं। सरकार ने महत्वाकांक्षी गंगा नदी कार्य योजना (जी. ए. पी.) तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन. आर. सी. पी.) को पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रारम्भ किया है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. "भारत भौतिक विविधाओं का देश है" उपयुक्त उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिए।

प्र. हिमालय किस प्रकार प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है? स्पष्ट कीजिए।

प्र. भारत के उत्तरी मैदान में गंगा नदी प्रणाली किस प्रकार आर्थिक विकास में सहायक है?

जलवायु

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
10	जलवायु	समलोचनात्मक बोध, समस्या समाधान, प्रभावपूर्ण संचार, निर्णय ले पाना	हमारे त्यौहार विभिन्न ऋतुओं से संबंधित हैं।

अर्थ

भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून शब्द का सम्बन्ध वर्ष भर हवा की दिशाओं के साथ ऋतु परिवर्तन से है। इस कारण भारत में चार प्रमुख ऋतुएं हैं - शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु तथा पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु।

मानसून की प्रकृति अनियमित है तथा यह वातावरण की विभिन्न दशाओं से प्रभावित होती है। इसी कारण मानसून किसी वर्ष जल्दी आ जाती है तो कभी देर से आती है। मानसून वर्षा भी एक समान वितरित नहीं होती। यह पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी मैदानों में तथा पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के दक्षिणी भागों में घटती जाती है। देश के कुछ हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है तो देश के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने से लोग दु:खी हो जाते हैं।

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। ये हैं: स्थान, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वत श्रेणियां, धरातलीय पवनों की दिशा तथा ऊपरी वायु धाराएँ।

भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण-पश्चिमी नमी वाली पवनों के द्वारा होती हैं। मुख्य भूमि का हिन्द महासागर की ओर क्रमश: पतला होते जाने से दक्षिण-पश्चिमी मानसून दो भागों में बंट जाती है; अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा। किसी स्थान पर कितनी वर्षा होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान की उसकी स्थिति क्या है। हिमालय भी इन पवनों को रोक कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनको उत्तर की ओर जाने से रोकता है तथा अपनी नमी को भारत में ही वर्षा के रूप में छोड़ने पर मजबूर करता है।

मुख्य बिन्दु

वर्षा के चार स्पष्ट क्षेत्र हैं:

- उच्च वर्षा का क्षेत्र - 200 से. मी. से अधिक। क्षेत्र: पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व का उप हिमालयी क्षेत्र और मेघालय की गारो, खासी, जयन्तिया पहाड़ियों का क्षेत्र।
- सामान्य वर्षा का क्षेत्र - 100 से 200 से. मी.। क्षेत्र: पश्चिमी घाट, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार इत्यादि
- कम वर्षा के क्षेत्र 60 से 100 से. मी.। क्षेत्र- उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान तथा दक्कन पठार का आंतरिक भाग
- अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र - 60 से. मी. से कम। क्षेत्र: राजस्थान के पश्चिमी भाग, गुजरात, लद्दाख और भारत के दक्षिण मध्य भाग (अध्ययन सामग्री में मानचित्र देखें)

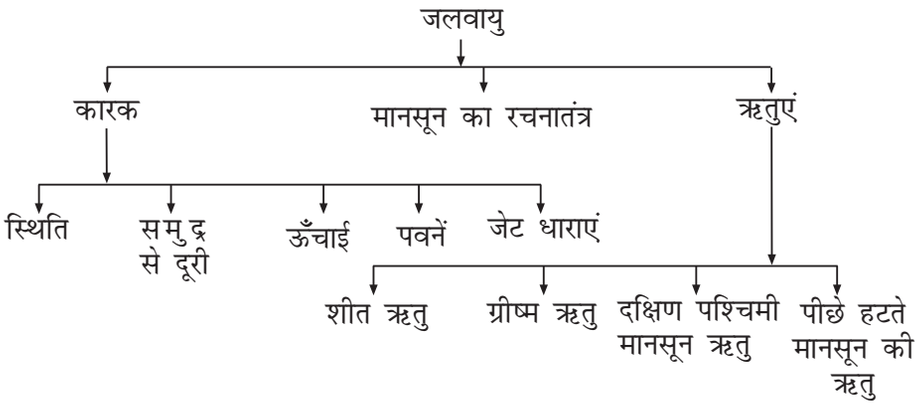

अपनी समझ विकसित कीजिए

मानसून का रचनातंत्र

ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत के मैदान अत्याधिक गर्म हो जाते हैं। अधिक तापमान से वायु गर्म हो जाती है तथा निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। उस निम्न दाब को मानसूनी गर्त के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर हिन्द महासागर पर तापमान अपेक्षाकृत कम होता है परिणामस्वरूप क्षेत्र में उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। वायु दाब के इस अंतर के कारण पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अथवा समुद्र से भूमि की ओर चलनी शुरू हो जाती हैं। इनकी दिशा एकदम विपरीत होती है अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तरपूर्व चूंकि यह पवनें समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं तथा यह नमी लिए होती हैं तो वर्षा करती हैं।

एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन भी मानसून को प्रभावित करते हैं।

ऋतुए	महीना	तापमान	वर्षण	त्यौहार जो मानए जाते है
शीत ऋतु	दिसंबर से फरवरी	कम तापमान	तामिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के सिवाय कोई वर्षण नहीं	मकर संक्राति, पोंगल, बंसत पंचमी
ग्रीष्म ऋतु	मार्च से मई	उच्च तापमान उष्ण तथा शुष्क पवन "लू"	आम्र वृष्टि (केरल, कर्नाटक) काल वैसाखी (प. बंगाल, असम)	होली, बैसाखी
बढ़ता दक्षिण-पश्चिमी मानसून	जून से सितंबर	गर्म तथा नम	सम्पूर्ण भारत में वर्षा	ओणम (केरल)
पीछे हटते मानसून की ऋतु	अक्टूबर नवम्बर	आर्द्र तथा उष्ण (अक्टूबर गर्मी)	बंगाल की खाड़ी में चक्रवात	दशहरा, दुर्गा पूजा, दीवाली

वैश्विक ताप भी भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ऋतुओं के चक्र में भी विघ्न पैदा हुआ है। विश्व तापन का करण है, औद्योगीकरण, शहरीकरण तथा कार्बनडाईआक्साइड, क्लोरो-फलोरो कार्बन जैसी विनाशकारी गैसों की मात्रा में अधिक वृद्धि। यही समय है कि हम इन सब को रोकें या कम से कम ऐसी क्रियाओं की दर कम करें जिनसे वैश्विक तापमान बढ़ता है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. हमारी सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं किस प्रकार मानसून से संबंधित है?

प्र. यदि मानसून देर से आए या वर्षा कम हो तो क्या होता है?

प्र. ऐसी मानवीय क्रियाओं की सूची बनाएँ जिनके कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है।

जैव विविधता

पा.सं.	पाठ का शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
11	जैव विविधता	आत्म बोध, विवेकशील सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक सोच, निर्णय ले पाना	वृक्षारोपण, जैव विविधता बनाए रखना

अर्थ

पौधे तथा पशुओं की विविधता हमें भोजन, ईंधन, औषधि, आश्रय, तथा अनिवार्य पदार्थ प्रदान करती है जिनके अभाव में हम जीवन बसर नहीं कर सकते। यह प्रजातियां कई हजारों वर्षों में विकसित हुई हैं। मानव प्रक्रियाओं के कारण यह बहुमूल्य विविधता चौंकाने वाली दर से समाप्त हो रही है। हम इन पौधों, पशुओं तथा जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के कई तरीके अपना कर अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे लिए इन पौधों, पशुओं तथा सूक्ष्मजीवों की विविधता को जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

जैव विविधता जैविक विविधता का संक्षिप्त रूप हैं। सरल शब्दों में जैव विविधता किसी क्षेत्र के जीन्स की कुल संख्या, प्रजातियाँ तथा परिस्थितिकी है। इसमें (i) आनुवंशिकी विविधता (ii) प्रजातियों की विविधता तथा (iii) परिस्थितिकी विविधता शामिल हैं।

भारत में जैव विविधता की स्थिति

अपनी विशेष स्थिति के कारण भारत में समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। यद्यपि भारत का क्षेत्र विश्व की कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% है; लेकिन जैव विविधता विश्व प्रजातियों की कुल संख्या का लगभग 8% है। विश्व की वनस्पति की लगभग 12% प्रजातियां 45,000 पौधे के रूप में भारतीय जंगलों में पाई जाती है। विश्व के 12 जैव विविधता के आकर्षण केन्दों में से दो भारत में स्थित हैं। वे हैं: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी घाट।

जैव विविधता का महत्व

- जीव किसी परिस्थितिकी तंत्र में अन्योन्याश्रित और अर्न्तसंबधित है।
- परिस्थितिकी तंत्र में किसी भी घटक के नुकसान पर परिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- हम भोजन, जल, रेशें तथा ईंधन इत्यादि परिस्थितिकी से प्राप्त करते है।
- यह जलवायु को भी नियमित करती है।

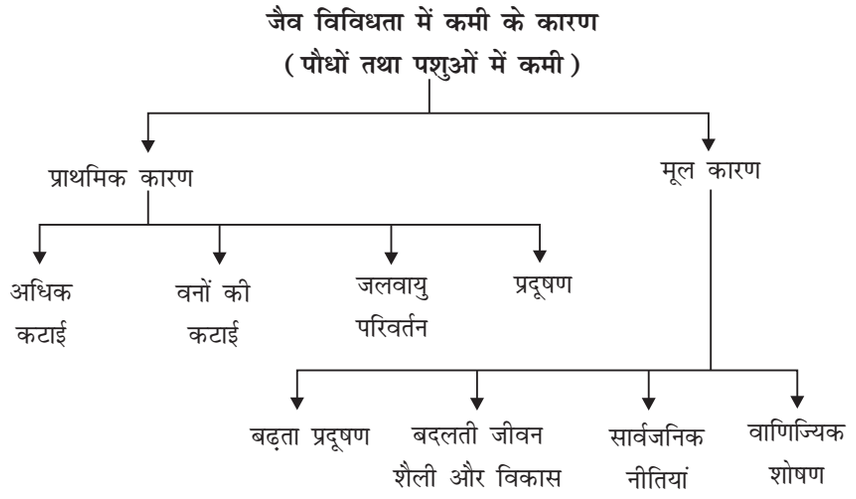

भारत की प्राकृतिक वनस्पति

वनों के प्रकार	वर्षण	तापमान	वृक्षों की प्रजातिया	क्षेत्र	लक्षण
उष्ण कटिबंधीय सदावहार वन	200 से.मी. से अधिक	उष्ण	रोजवुड, आबनूस महोगनी, रबर, जैक लकड़ी, बांस	पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप	• इन पेड़ों की पत्तियां किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती • घने वनों में मिश्रित वनस्पति • पेड़ों की ऊँचाई 60 मीटर या अधिक
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन	75–200 से.मी.	उष्ण	सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खेर, कुसुम, अर्जुन महुआ, जामुन	दक्कन के पठार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते है।	• नम मौसम • दो भागों में विभाजित आर्द्र तथा शुष्क
कंटीले वन	75 से.मी. से कम	उच्च	अकासिया, बबूल कैक्टस, खजूर, ताड़	उत्तर पश्चिम भारत, प्रायद्वीप भारत के अंदरूनी क्षेत्र	• शुष्क मौसम • लम्बी जड़ें चमकीली मोटी व छोटी पत्तियां
ज्वारीय वन	डेल्टाओं में इकट्ठा पानी		मैंग्रोव या सुंदरी, ताड़, नारियल, क्योरा, अगर	गंगानदी, गोदावरी, कृष्णा, काबेरी सुंदर वन के डेल्टा, अंडमान निकोवार द्वीपसमूह	• पेड़ों की शाखाएं पानी में डूबी रहती हैं। • साफ व नमकीन पानी में उगते हैं।
हिमालयी वनस्पति	तापमान के घटने और ऊँचाई बढ़ने के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है।				

जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता

हम जानते है कि जैव विविधता हमारे अस्तित्व का आधार है। हम भोजन, पानी, आश्रय तथा तंतु को प्रकृति में खोजते हैं। परिस्थितिकी के यह सभी घटक अर्न्तसंबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि कोई भी एक घटक बाधित होता हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं तथा परिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन आ जाता है। पौधे हमें भोजन, आक्सीजन प्रदान करते हैं, मृदा अपक्षय रोकते हैं, मौसम नियंत्रण करते है, इत्यादि। इसी तरह वन्य जीवन भी संतुलित आहार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए जैव विविधता का संरक्षण मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत में वन्य जीवन

भारत में वन्य जीवन समृद्ध है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी पर पौधों और जन्तुओं की सभी पहचानी गई प्रजातियों का 80% भारत में पाया जाता है। 1972 में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वन्य जीवन को बचाने के लिए पारित हुआ। आज 551 वन्यजीव अभ्यारण्य, 96 राष्ट्रीय उद्यान, 25 झीलें, तथा 15 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इस के अलावा यहां 33 बोटिनिकल गार्डन, 275 प्राणी उद्यान इत्यादि हैं। विशेष परियोजनाएँ जैसे 1973 में बाघ परियोजना, 1992 में हाथी के लिए परियोजना प्रारम्भ की गई है ताकि विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. ''जैव विविधता के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है'' इस कथन की पुष्टि उपयुक्त उदाहरण देकर कीजिए।

प्र. वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्र. उष्णकटिबंधीय सदावहार वनों के किन्हीं चार लक्षणों का उल्लेख कीजिए।

भारत में कृषि

पा.सं.	पाठ का शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
12	भारत में कृषि	आत्म बोध, समालोचनात्मक सोच प्रभावी संचार, समस्या समाधान	कृषकों की समस्याओं का समाधान

अर्थ

भारत को कृषकों का देश कहा जाता है तथा अधिकतर कृषक भारत के गांवों में रहते हैं। यह कृषि करते है तथा देश की सहायता करते हैं। इसलिए देश में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियां प्रचलित है। कृषि के उद्देश्य को आधार बनाकर कृषि का वर्गीकरण कई वर्गों में किया गया है।

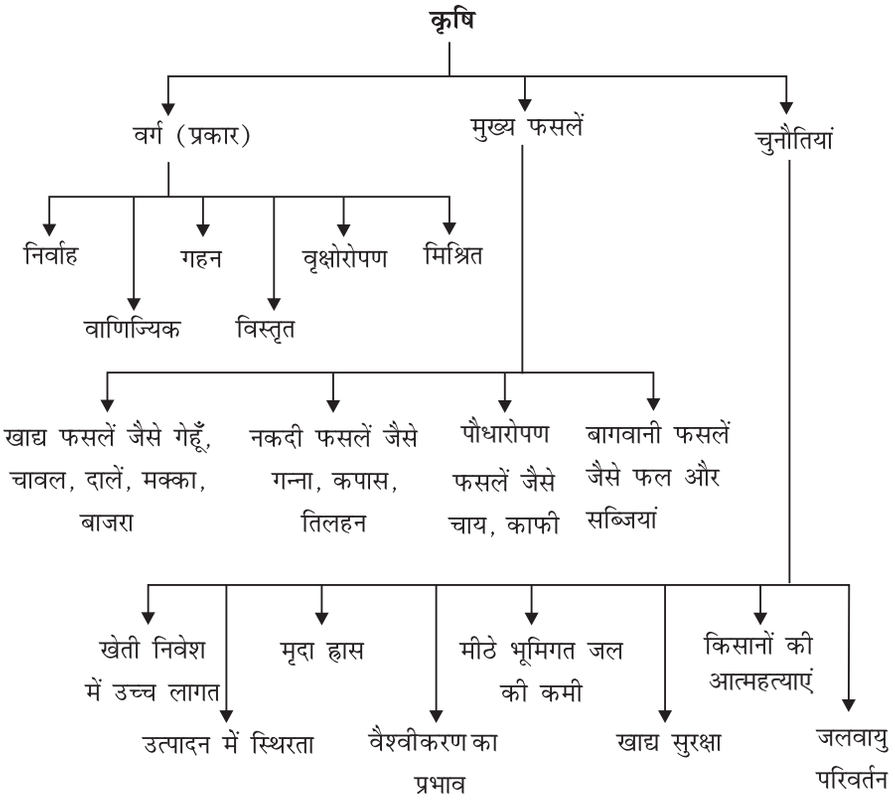

अपनी समझ का विकास कीजिए

- **निर्वाह कृषि :** कृषि उत्पादन खुद के उपभोग के लिए
- **वाणिज्यिक कृषि:** उत्पादन का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए
- **विस्तृत कृषि:** जब एक ही फसल बहुत ही बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसे विस्तृत खेती कहते है।
- **गहन खेती:** प्रति इकाई भूमि पर एक ही वर्ष में कई बार फसलें उगाई जाती है ताकि ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो सके।
- **वृक्षारोपण खेती:** एक ही नकदी फसल को उगाना अच्छे प्रबंधन में होता है तथा उत्पाद को बाजार में बेचा जाता है।
- **मिश्रित खेती:** इसमें फसलों को उगाना और पशुपालन दोनों साथ-साथ किए जाते हैं।

भारत की मुख्य फसलें

फसलें	तापमान	वर्षण	मृदा	मजदूरी (श्रम)	क्षेत्र
चावल	22° से. 32° से.	150-300 से.मी.	गहरी चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी	सस्ते मजदूर	तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र
गेहूँ	बोते समय 10°-15° से; 21°-26° से. कटाई के समय	75 से.मी. सिंचाई	बलुई तथा चिकनी मिट्टी	कम श्रम	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र
बाजरा	27°-32° से.	50-100 से.मी.	जलोढ तथा चिकनी मिट्टी	सस्ती मजदूर	मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब
दलहन	20°-25° से.	40-45 से.मी.	चिकनी	सस्ते मजदूर	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान हरियाणा, महाराष्ट्र
गन्ना	21°-27°C से.	75-150 सेमी.	चिकनी	सस्ते मजदूर	सतलुज-गंगा मैदान पंजाब से बिहार, काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र से तमिलनाडू, आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र तथा कृष्णा घाटी
कपास	21°-30° से.	50 से 150 से.मी.	काली मिट्टी, लाल और लेटराइट जलोढ मिट्टी	सस्ते एवं कुशल मजदूर	पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा
मूंगफली	20°-30° से.	50-75 सेमी.	रेतीली चिकनी, लाल व काली	सस्ते मजदूर	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा
चाय	20°-30° से.	150-300 से.मी.	उपजाऊ चिकनी	सस्ते एवं कुशल मजदूर	असम की ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटियां, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, तमिलनाडू की नीलगिरि पहाड़िया
काफी	15°-28° से.	150-250 से.मी.	चिकनी	सस्ते एवं कुशल मजदूर	दक्षिण भारत की पहाड़ियां

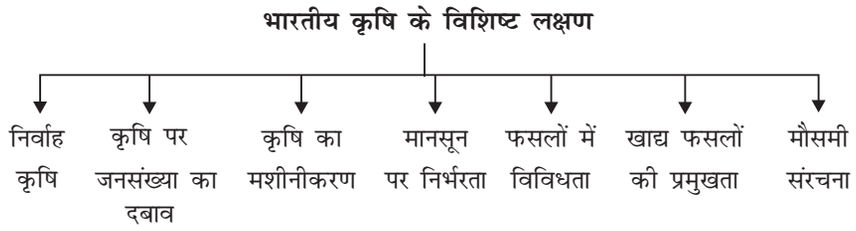

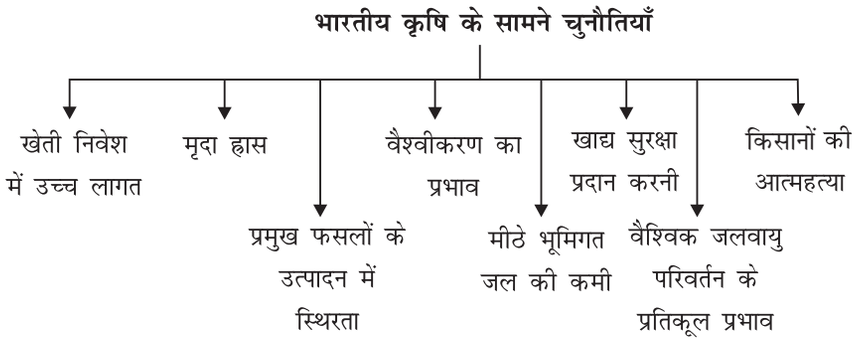

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. हाल ही के वर्षों में आपने कृषि में कौन से परिवर्तन देखे हैं।
प्र. आपके मत अनुसार फसलों में इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं?
प्र. आप अपने क्षेत्र में कृषि में कौन सी मुख्य चुनौतियां पाते हैं?

यातायात तथा संचार के साधन

पा.सं.	पाठ का शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
13	यातायात तथा संचार के साधन	आत्म बोध, समस्या समाधान, निर्णय ले पाना, प्रभावी संचार	संचार के साधनों का उपयुक्त प्रयोग

अर्थ

यातायात तथा संचार देश की जीवन रेखाएं हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यातायात की प्रमुख भूमिका व्यापार तथा वाणिज्य को सुगम करने के लिए सामान तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना/ले जाना है। संचार हमें विश्व की घटनाओं की ताजा जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध बनाने में सहायक होता है। यातायात के साधन निम्न हैं:

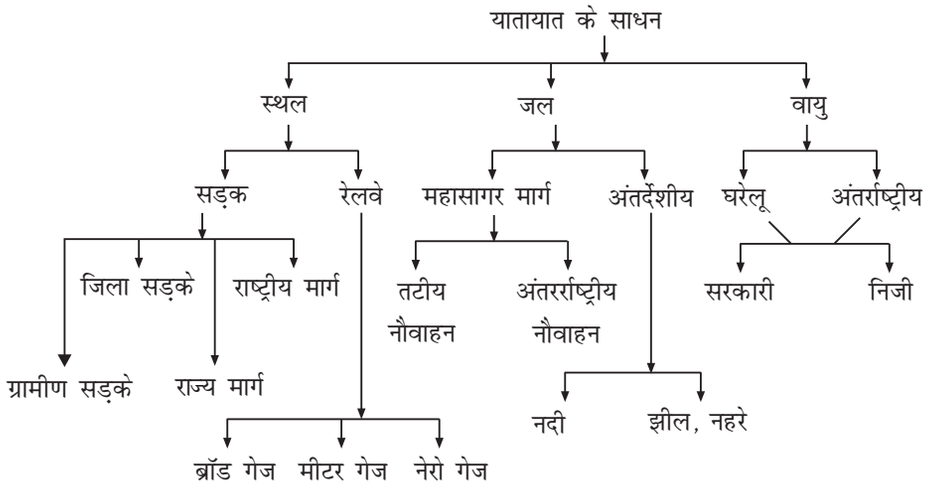

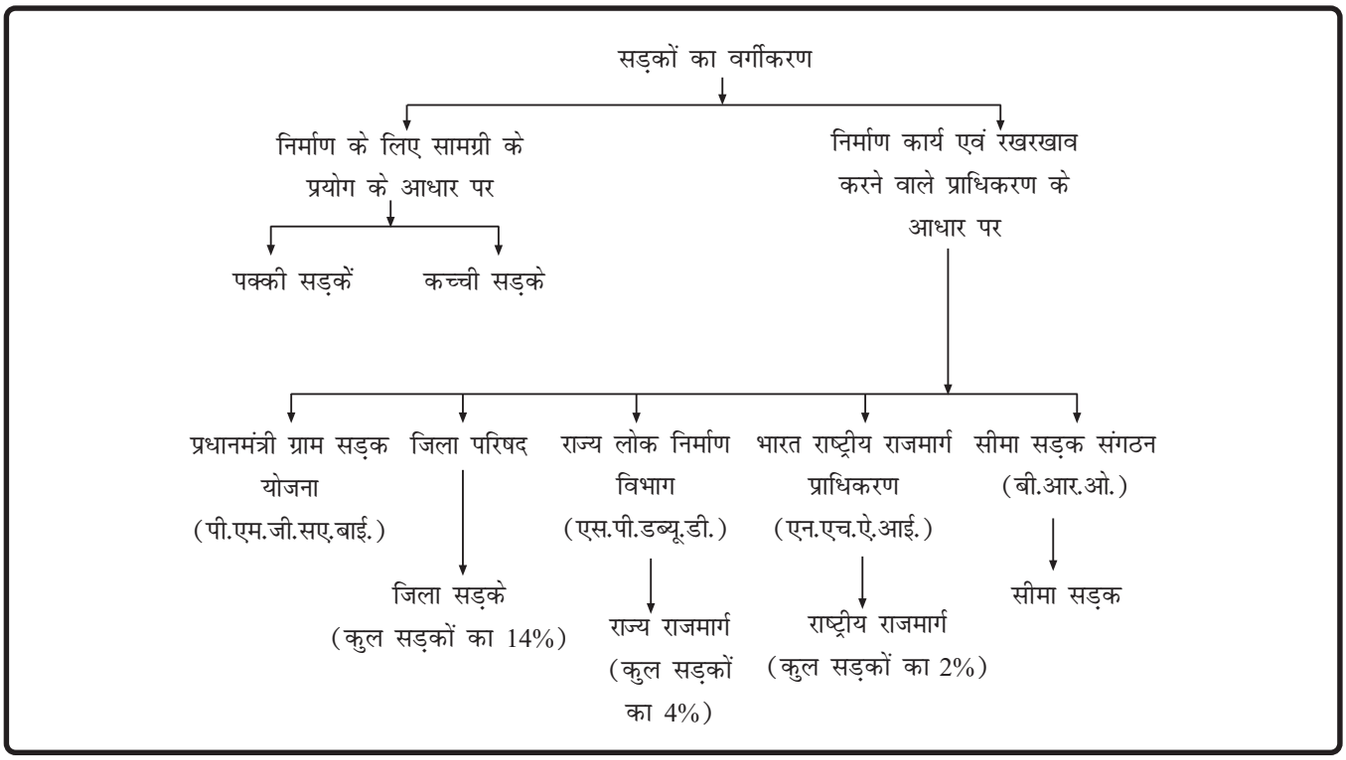

प्रमुख महा राजमार्ग

- स्वर्णिम चतुर्भुज–दिल्ली, मुंम्बई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है।
- उत्तर–दक्षिण गलियारा–श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है।
- पूर्व–पश्चिम गलियारा–सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है।

(पाठ्य पुस्तक के मानचित्र का अवलोकन करें।)

प्रमुख बिन्दु

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने तीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं।

- राष्ट्रीय जलमार्ग I– उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक
- राष्ट्रीय जलमार्ग II – असम में ब्रह्मपुत्र नदी से धुबरी तक (891 कि.मी.)
- राष्ट्रीय जलमार्ग III – केरल में कोल्लम से कोट्टापुरम तक (205 कि.मी.)

रेलवे के विकास के लिए जिम्मेदार कारक

- रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल और मंहगा है जबकि समतल भूमि के क्षेत्रों में इसे आसानी से बनाया जा सकता है।
- भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में रेलवे का नेटवर्क अधिक सघन व विकसित है जबकि रेगिस्तान, पहाड़ी, घने जंगलों तथा बाढ़ प्रकोपी इलाकों में कम।
- औद्योगिक क्षेत्रों, खनन के विकसित क्षेत्रों में रेलवे का नेटवर्क अधिक विकसित हैं जबकि कम विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कम।
- घनी आबादी वाले क्षेत्र रेलवे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं।
- शहरी क्षेत्रों या बड़े शहरों में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, बैंकिग के अवसरों के कारण रेलवे नेटवर्क का घनत्व अधिक है।

समुद्रीय जलमार्ग

भारत तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर से घिरा हुआ है। इसकी 7516 किलोमीटर लम्बी तटरेखा है। भारतीय समुद्री जलमार्ग की दो श्रेणियां है:

- तटीय नौवहन: देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। 12 प्रमुख बंदरगाहें और 189 छोटे तथा मध्यम वर्ग के बंदरगाह हैं। पाठ्य पुस्तक में मानचित्र देखें।
- अंतर्राष्ट्रीय नौवहन: अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पश्चिमी तट से अमेरिका तथा यूरोप के लिए किया जाता है तथा पूर्वी तट मलेशिया, आस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान के लिए किया जाता है।

वायु परिवहन

आज वायु परिवहन सड़क और रेलवे परिवहन की तरह यातायात का महत्वपूर्ण साधन है। भारत में दोनों; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पाठ्य पुस्तक का मानचित्र देखें।

यात्रा की उच्च लागत के कारण यह साधारण व्यक्ति की पहुँच से बाहर है। पिछले कुछ वर्षों में हवाई परिवहन के प्रयोग में वृद्धि हुई है।

संचार

संचार विचारों, सूचनाओं और संदेशों को ले जाने, अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ अपने दु:ख और सुख को बांटने का एक साधन है। संचार के विभिन्न साधन हैं जैसे पत्र, रेडियो, टी.वी., समाचार पत्र, मैगजीन, तार, फैक्स तथा ईमेल इत्यादि।

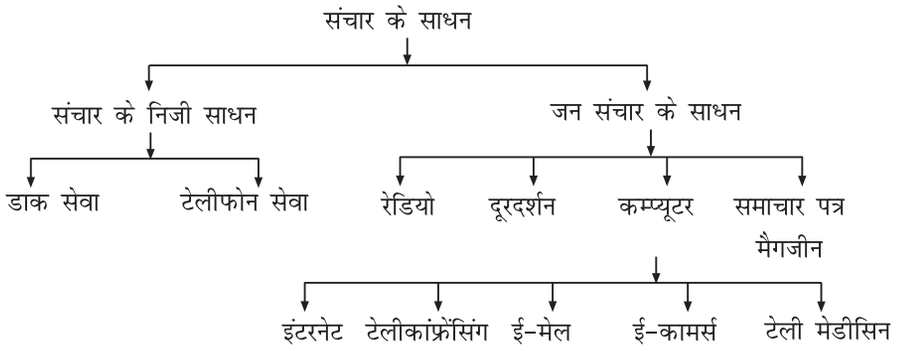

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा घोषित तीन राष्ट्रीय जलमार्गों को पहचानिए।

प्र. हमारे दैनिक जीवन में नवीन संचार तकनीक किस प्रकार सहायक हैं?

प्र. भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को अंकित कीजिए।

- स्वर्णिम चतुर्भुज
- सबसे लम्बी रेलवे लाईन
- राष्ट्रीय जल मार्ग -I
- पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह
- एक राज्य में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन

पा.सं.	पाठ का शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
14	जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन	आत्म बोध, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, प्रभावी संचार, दबाव सह पाना	छोटे परिवार के नियमाचार तथा महिलाओं को समानता

अर्थ

किसी देश में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। भारत में हर दस वर्षों में इसकी गणना की जाती है।

प्रशिक्षित, विकसित, उत्पादक तथा स्वस्थ मानव संख्या देश की संपत्ति है। यह संपति सबसे बड़ा संसाधन है क्योंकि संसाधन मानव द्वारा विकसित किए जाते हैं इसलिए हमारी विशाल जनसंख्या को राष्ट्र के एक बड़े संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता है।

बहुत सी सुविधाएं जैसे कि परिवहन, संचार, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई, खनन, उद्योग मानवों द्वारा ही विकसित किए जाते हैं। यह सभी मानव के दिमाग के उत्पाद हैं। इन्होने हमारे जीवन को हर तरह से सुखद बनाया है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को 'सुशिक्षित मानव संसाधन' में परिवर्तित करने के लिए सरकार को काफी अधिक निवेश करना होगा।

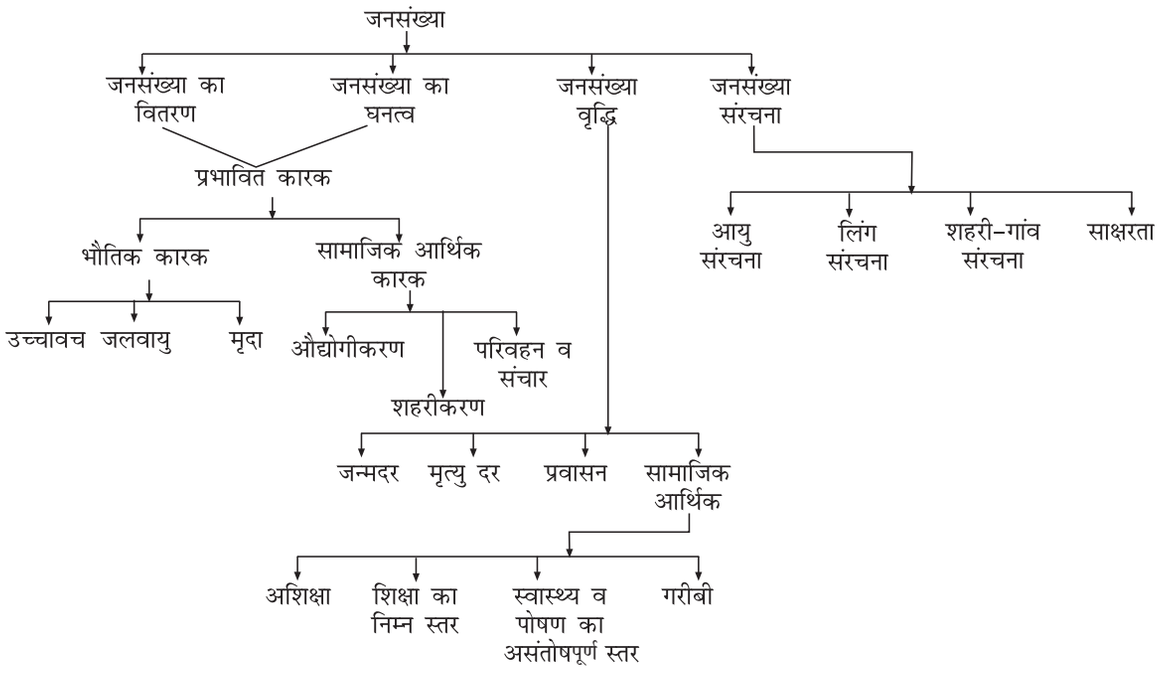

अपना दायरा फैलाएं

भारत में जनसंख्या नीतियां: 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाकर परिवार नियोजन पर बल दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जन्म दर को कम करना था।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000: आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना, उनके कल्याण में वृद्धि करना, समाज में लोगों को सुअवसर व विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादनकारी परिसम्पति के रूप में विकसित करना है। इस नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक सतत् आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना हैं।

भारत में महिलाओं का सशक्तीकरण: यह महिलाओं को सशक्त कर उन्हे मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है तथा निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों तक जैसे घर, स्थानीय स्तर, क्षेत्र, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य है कि उन्नति, विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना है। ये कदम उनके जीवन और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त कर जीवन और गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. जनसंख्या के घनत्व की गणना कीजिए जब किसी जिले की कुल जनसंख्या 425000 है तथा इसी जिले का क्षेत्रफल 800 वर्ग कि. मी. है?

$$\text{जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{लोगों की कुल जनसंख्या}}{\text{उसी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल}}$$

प्र. जन्म दर की गणना कीजिए जबकि एक वर्ष के अंतर्गत किसी क्षेत्र में जिन्दा जन्में बच्चों की संख्या 500 है तथा उसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या 20,000 है।

प्र. मृत्यु दर की गणना कीजिए जबकि किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतर्गत मरने वाले लोगों की संख्या 400 है तथा उसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या 20,000 है।

संवैधानिक मूल्य और भारत में राजनीतिक व्यवस्था

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
15	संवैधानिक मूल्य और भारत में राजनीतिक व्यवस्था	आत्म बोध, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान	भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझना

अर्थ

संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है जो सरकार की संरचना तथा समाज की दिशा निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक संविधान कुछ नियमों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं तथा आदर्शों के सम्बन्ध में लोगों की आम सहमति को दर्शाता है तथा यह सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है।

संविधान का महत्व

- संविधान देश का आधारभूत कानून होता है तथा यह विधि के शासन की स्थापना करता है।
- संविधान देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। सरकार का कोई नियम या निर्णय यदि इसके अनुरूप न हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है।
- संविधान सरकार की शक्ति को सीमित करता है तथा सरकार को शक्ति का दुरूपयोग करने से रोकता है।
- हमारा संविधान लोगों की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है।

भारत के संविधान के स्रोत

भारत के संविधान का निर्माण एक प्रतिनिधिक संस्था अर्थात संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत के संविधान के निर्माण पर निम्न कारकों का गहरा प्रभाव पड़ा:

- स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान भारत के जनमानस में उभरी आकांक्षायें।
- ब्रिटिश शासन के दौरान हुये संवैधानिक और राजनैतिक बदलाव
- महात्मा गाँधी के विचार व सिद्धान्त
- विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधान, उदाहरणार्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड आदि संविधानों का प्रभाव।

मुख्य बिन्दु

- **सम्प्रभुत्ता:** भारत एक संप्रभुत्तासम्पन्न राज्य है इसका अर्थ है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, यह बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र तथा आन्तरिक रूप से भी सर्वोच्च सत्ता है।
- **समाजवाद:** इसका अर्थ है कि हमारे संविधान तथा भारत राज्य का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन करना तथा सभी तरह की असमानताओं, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना।
- **पंथनिरपेक्षता:** भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है। यह किसी एक पंथ/धर्म या धार्मिक सोच से निर्देशित नहीं होता। राज्य किसी एक धर्म/पंथ को बढ़ावा नहीं देता बल्कि प्रत्येक धर्म के साथ समानता का व्यवहार करता है।

- **लोकतंत्र:** भारत के संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है; "हम भारत के लोग भारत को ....." यह दर्शाता है कि भारत एक लोकतंत्र है तथा यहां शासन की अन्तिम शक्ति जनता में निहित है। लोग सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।
- **गणतंत्र:** भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो कि भारत राज्य का अध्यक्ष है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आम लोगों में से चुना जाता है। वह वंशानुगत आधार पर शासन नहीं करता।
- **न्याय:** संविधान, भारत के सभी लोगों के लिये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है जिससे सामाजिक, आर्थिक समानता पर आधारित नई समाज व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।
- **स्वतंत्रता:** संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **समानता:** प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
- **बंधुता:** भारत के सभी लोगों में समान बंधुता को बढ़ावा देना
- **व्यक्ति की गरिमा:** लोकतांत्रिक शासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान भागीदारी
- **देश की एकता और अखण्डता:** बंधुता वह मूल्य है जो देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने में सहायता करता है।

भारत के संविधान की प्रमुख विशेषतायें

- **लिखित संविधान** – भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
- **कठोर और लचीलेपन का मिश्रण** – कठोरता राजनीतिक व्यवस्था में दृढ़ता और निरन्तरता सुनिश्चित करती है जबकि लचीलापन लोगों की बदलती आकांक्षाओं को समाहित व समायोजित करने में सहायता करता है।
- **मौलिक अधिकार व कर्त्तव्य** – मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य की स्वेच्छाचारी तथा असीमित शक्ति के प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे न्यायसंगत है तथा न्यायालय द्वारा बाध्यकारी हैं। मौलिक कर्त्तव्य राष्ट्रभक्ति, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन आदि मूल्यों को दर्शाते हैं। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इनका पालन करें।
- **राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त** – इनका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- **एकीकृत न्यायिक व्यवस्था**

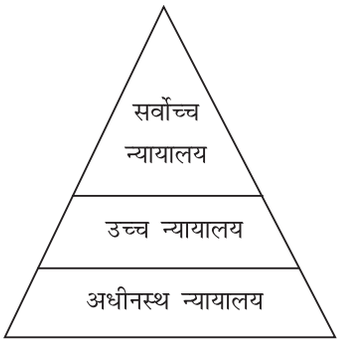

- **एकल नागरिकता** – संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघीय देशों के विपरीत, हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है चाहे वह किसी भी राज्य में निवास करता हो या जन्मा हो।
- **सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार** – प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है।
- **संसदीय शासन व्यवस्था** – कार्यपालिका विधायिका का ही एक हिस्सा है तथा यह अपने कार्यों के लिये विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत का राष्ट्रपति भारत राज्य के अध्यक्ष के रूप में नाममात्र की कार्यपालिका है जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा:** संविधान निर्माता जानते थे कि संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा न्यायसम्मत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का होना आवश्यक है।

भारत में संघीय प्रणाली

संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत के संविधान में वे सभी विशेषतायें हैं जो भारत में एक संघीय प्रणाली को स्थापित करने के लिये आवश्यक हैं। भारत की संघीय प्रणाली की विशेषतायें निम्न प्रकार से हैं-

- दोहरा शासन या शासन के दो स्तर
- केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
  - (i) **संघ सूची** - 97 विषय; रक्षा, रेलवे, बैकिंग, मुद्रा आदि। इन विषयों पर केवल केन्द्र सरकार ही कानून बना सकती है।
  - (ii) **राज्य सूची** - 66 विषय; कानून और व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन आदि। इन विषयों का प्रशासन तथा कानून निर्माण राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में है।
  - (iii) **समवर्ती सूची** - 47 विषय; शिक्षा, वन, बिजली आदि। इन विषयों पर केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है।

इसके अलावा वे विषय जिनका वर्णन इन तीनों सूचियों में नहीं मिलता अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केन्द्र को प्रदान की गयी हैं।

- लिखित संविधान
- स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली तथा सर्वोच्च न्यायलय की व्यवस्था

भारतः शक्तिशाली केन्द्र वाली संघीय प्रणाली

- शक्तियों का विभाजन केन्द्र के पक्ष में
- सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था
- आपातकालीन प्रावधान, केन्द्रीय या संघीय सरकार को अत्यधिक शक्तिशाली बना देते हैं।
- राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- राज्यों की केन्द्र पर वित्तीय निर्भरता
- अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. एक राष्ट्र के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमें प्रतिष्ठित अस्तित्व प्रदान करने वाले संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए।

प्र. एक संवैधानिक मूल्य के रूप में पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है?

प्र. "भारत का ढाँचा संघात्मक है परन्तु इसकी आत्मा एकात्मक है।" क्या आप इस कथन से सहमत है? उपयुक्त तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
16	मौलिक अधिकार और मौलिक कर्त्तव्य	आत्म बोध, परस्पर सम्बन्ध, कौशल, सृजनात्मक सोच	अपने मौलिक अधिकारों को समझना तथा मौलिक कर्त्तव्यों का निर्वाह करना

अर्थ

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को कुछ आधारभूत और मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, लेकिन दुनियां के कई देशों में लोग अभी भी इन अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। इस अध्याय का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकार और कर्त्तव्यों का अध्ययन करना है।

- **अधिकार:** अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक हैं तथा समाज एवं राज्य द्वारा स्वीकृत हैं।
- **कर्त्तव्य:** कर्त्तव्य वे व्यवहारगत कार्य होते हैं जिनकों करने की व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व के रूप में कर्त्तव्य जुड़े होते हैं।

मौलिक अधिकार

राज्य द्वारा स्वीकृत तथा संविधान में उल्लिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। वे न्यायसंगत होते है। संविधान के भाग-III में वर्णित छः मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं-

1. समानता का अधिकार

- विधि/कानून के समक्ष समानता
- भेदभाव की मनाही
- अवसरों की समानता
- अस्पृश्यता का अन्त
- उपाधियों की समाप्ति

2. स्वतंत्रता का अधिकार

- विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- सभा या सम्मेलन की स्वतंत्रता
- संगठन बनाने की स्वतंत्रता
- देश के अन्दर भ्रमण की स्वतंत्रता
- देश के किसी भी भाग में स्थायी निवास की स्वतंत्रता
- आजीविका कमाने की स्वतंत्रता
- उपरोक्त छः स्वतंत्रताओं के अलावा स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह हमें स्वेच्छाचारी/मनमानी गिरफ्तारी से भी सुरक्षा प्रदान करता है।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार

मानव व्यापार, बलात् श्रम तथा 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने की मनाही।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारत एक पंथनिरपेक्ष/धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह प्रत्येक धर्म के लोगों को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान करता है।

5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

यह अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, संस्कृति और धर्म को सुरक्षा प्रदान करता है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को न्यायालय में अपील करने की शक्ति प्रदान करता है।

मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकार

- भारत का संविधान कई मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है।
- भारत मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति वचनवद्ध है।
- इस उद्देश्य से 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गयी।

मौलिक कर्त्तव्य

- 42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा संविधान में दस मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गये। एक और मौलिक कर्त्तव्य 2009 में शिक्षा के अधिकार के द्वारा इस सूची में बढ़ाया गया।
- कुछ मौलिक कर्त्तव्य है – संविधान का पालन करना तथा संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना
- भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता का सम्मान करना
- देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवायें समर्पित करना
- वैज्ञानिक सोच का विकास

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. मौलिक अधिकार क्या हैं? वे क्यों आवश्यक हैं?

प्र. समानता के अधिकार की व्याख्या करो? यह किस प्रकार नागरिक की गरिमा को स्थापित करता है?

प्र. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सभी मौलिक अधिकारों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

भारतः एक कल्याणकारी राज्य

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
17	भारतः एक कल्याणकारी राज्य	समानुभूति, आलोचनात्मक सोच, भावनाओं से निबटना, समस्या समाधान	यह समझना कि भारत किस प्रकार एक कल्याणकारी राज्य है?

अर्थ

भारत का एक कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णन किया जाता है। इसलिये प्रश्न उठता है कि कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य सरकार/शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा करता है तथा उन्हें बढ़ावा देता है। कल्याणकारी राज्य अवसरों की समानता तथा सम्पदा के समान वितरण पर आधारित होता है। इस व्यवस्था में, नागरिकों का कल्याण राज्य का उत्तरदायित्व होता है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत भारत के संविधान में लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत प्रावधान हैं।

मौलिक अधिकार एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं कि सभी भारतीय नागरिक स्वतंत्रताओं और आधारभूत अधिकारों का उपभोग कर सकें। ये नागरिक स्वतंत्रतायें देश के किसी भी अन्य कानून से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। कुछ मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं - विधि के समक्ष समानता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा शान्तिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा सभी नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके विपरीत नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त

भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि यदि सभी मौलिक अधिकारों को पूरी तरह लागू भी कर दिया जाता है तब भी भारत के लोगों को बिना सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किये भारत के लोकतंत्र के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग-IV में नीति निदेशक सिद्धान्तों को शामिल कर संविधान निर्माताओं ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाया।

नीति निदेशक सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषतायें

- संविधान में नीति निदेशक सिद्धान्त आयरलैण्ड के संविधान तथा गाँधी जी के दर्शन की प्रेरणा से शामिल किये गये।
- ये राज्य के लिये दिशा निर्देश है तथा न्यायसंगत नहीं हैं। अर्थात लागू न होने पर न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।
- इन सिद्धान्तों का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियां पैदा करना है जिनमें सभी नागरिक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।
- इन सिद्धान्तों का उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

नीति निदेशक सिद्धान्तों के प्रकार

संविधान में वर्णित नीति निदेशक सिद्धान्त विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हें निम्न वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने वाले सिद्धान्त:
  राज्य सुनिश्चित करेगा-
  (i) आजीविका के समुचित साधन
  (ii) भौतिक संसाधनों का उचित वितरण
  (iii) स्त्री व पुरूषों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन
  (iv) 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा।
  (v) बच्चों, महिलाओं व पुरूषों की शोषण से रक्षा।
- गाँधीवादी सिद्धान्त-अहिंसक समाज व्यवस्था को बढ़ावा देना, सभी वर्गों का कल्याण तथा मादक पदार्थों का निषेध, गौरक्षा आदि।
- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा से सम्बन्धित सिद्धान्त: पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा आपसी बातचीत, समझौते या मध्यस्थता से करना।
- अन्य सिद्धान्त : इसमें शामिल हैं, (i) ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा (ii) वन व वन्य प्राणियों की रक्षा (iii) सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकारों में सम्बन्ध

नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य भारत को एक उदारवादी राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में प्रति स्थापित करना है। इन दोनो के बीच अन्य अन्तर इस प्रकार से है; प्रथम: नीति निदेशक सिद्धान्त न्यायसंगत नही हैं जबकि मौलिक अधिकार न्यायसंगत हैं। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त राज्य को नीति निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये कुछ निर्देश या दिशा निर्देश हैं जिन्हें राज्य को कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये क्रियान्वित करना चाहिये। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित हैं तथा राज्य सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये बाध्य है। नीति निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं किन्तु दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं क्योंकि संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने के लिये दोनों आवश्यक है।

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का क्रियान्वयन

"सर्व शिक्षा अभियान" भारत सरकार का एक विशाल कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नीति निदेशक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया गंभीर कदम है।

समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित किया जा चुका है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। केन्द्र और राज्य सरकार इन सिद्धान्तों को लागू करती रही हैं लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का क्या उद्देश्य है?

प्र. राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न हैं? व्याख्या कीजिए।

प्र. सरकार द्वारा क्रियान्वित किन्ही तीन नीति निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

स्थानीय शासन और क्षेत्र प्रशासन

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
18	स्थानीय शासन और क्षेत्र प्रशासन	आत्म बोध, समस्या समाधान, समानुभूति	स्थानीय शासन और प्रशासन को समझना

अर्थ

स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों की सरकार होती है, स्थानीय लोगों के सबसे नजदीक होने के कारण स्थानीय शासन की संस्थायें आम लोगों के बीच होने के कारण उनकी नजर में रहती हैं। इसीलिये कहा जाता है कि स्थानीय प्रशासन लोगो को "पालने से लेकर कब्र" तक सेवायें प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया गया है ताकि वे स्थानीय लोगों के कल्याण के लिये और अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सकें।

ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन

ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होते हैं। शहरी स्थानीय शासन में भी तीन प्रकार की संस्थायें होती हैं जो विभिन्न आकार के शहरों में कार्य करती हैं ये हैं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत।

पंचायती राज व्यवस्था

भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रावधान सम्मिलित किया था। बलवन्त राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना का सुझाव दिया। जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गयी। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान ढांचा 73वें संविधान संशोधन, 1992 के पश्चात ही अस्तित्व में आया।

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का संगठन, कार्य और आय के स्रोत

क. संगठन – ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निम्न स्तरीय संस्था है। ग्राम/गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जिसके अध्यक्ष को ग्राम प्रधान या सरपंच/मुखिया कहा जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कुछ पंच भी होते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर के शासन का कार्यपालिका अंग तथा ग्राम सभा इसका विधायी अंग है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत में 5 से 9 सदस्य होते हैं।, इसमें 1/3 सीटे महिलाओं के लिये आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था है।

ख. ग्राम पंचायत के कार्य – लोगों की आवश्यकता और जरूरतों को ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं जैसे स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, गाँव की सड़कों का निर्माण, गाँव की साफ सफाई, सड़क और गलियों में रोशनी की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पुस्तकालय, पशु नस्ल सुधार डिस्पेंसरी आदि।

ग. ग्राम पंचायत की आय के साधन – सम्पत्ति, जमीन, और जानवरों पर कर, पंचायत की सम्पत्ति का किराया तथा केन्द्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान

पंचायत समिति

पंचायत समिति का संगठन कार्य और आय के स्रोतः

क. रचनाः पंचायत या ब्लाक समिति पंचायती राज व्यवस्था का मध्य स्तरीय संगठन है। इसका निर्माण ब्लाक क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों/सरपंचों, विधायक, सासदों, कुछ प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है इसके अलावा ब्लाक के कुछ अधिकारी भी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं।

ख. पंचायत समिति के कार्यः पंचायत समिति के प्रमुख कार्य हैं, कृषि भूमि की उर्वरता बढ़ाना, जलाच्छादित विकास, सामुदायिक और फार्म वनीकरण, प्राथमिक, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा। इसके अलावा पंचायत समिति वे सब कार्य भी करती है जिनके लिये केन्द्र और राज्य सरकारों से विशेष अनुदान प्राप्त होता है।

ग. आय के स्रोतः सरकार द्वारा दिये गये अनुदान, कर तथा भू-राजस्व का एक निश्चित हिस्सा।

जिला परिषद

जिला परिषदः संगठन, कार्य और आय के स्रोत

क. रचना – जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है। यह संस्था जिला स्तर पर पायी जाती है। इसका भी कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। इसके कुछ सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समितियों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये भी सीटें आरक्षित की गयी हैं।

ख. जिला परिषद के कार्य – ग्रामीण जनता को आवश्यक सेवायें व सुविधायें प्रदान करना। जिले के लिये विकास कार्यक्रमों का निर्माण तथा कार्यान्वयन करना, किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना, छोटी सिंचाई परियोजनायें बनाना, गौचर को बनाये रखना, साक्षरता कार्यक्रम चलाना, पुस्तकालय की व्यवस्था, बीमारियों की रोकथाम के लिये टीकाकरण, कल्याणकारी अभियान चलाना, व्यवसायियों को लघु और कुटीर उद्योग जैसे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद प्रसंसीकरण, मिल, डेयरी फार्म आदि स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण रोज़गार योजनाओं को क्रियान्वित करना।

ग. आय के स्रोत – जिलापरिषद द्वारा की जाने वाली करों की उगाही, लाइसेंस शुल्क, बाजार शुल्क भू-राजस्व में हिस्सेदारी, जिला परिषद की परिसम्पत्तियों से प्राप्त किराया, केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लिये प्रदान किया गया धन।

शहरी स्थानीय शासन

74वां संविधान संशोधन, 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय शासन में बड़े बदलाव किये गये। वर्तमान समय में तीन प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें कार्यरत है।: (क) बड़े शहरों के लिये नगर निगम, (ख) छोटे शहरों में नगरपालिका, (ग) ग्रामीण से शहर बनने वाले या संक्रमण वाले क्षेत्रों के लिये नगर पंचायत।

नगर निगम

क. रचना – नगर निगम का गठन बड़े शहरों में किया गया है। पार्षदों का चुनाव पाँच वर्ष के लिये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। इस तरह से निर्वाचित पार्षद अपने में से एक सदस्य को प्रति वर्ष मेयर चुनते हैं। मेयर को शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। नगर निगम में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है।

ख. निगमायुक्त एक अधिकारिक पद होता है जो नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है तथा उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। दिल्ली जैसे केन्द्र शासित प्रदेश में निगमायुक्त की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

ग. नगर निगम के कार्य – (i) स्वास्थ्य व सफाई (ii) बिजली व जल आपूर्ति (iii) शिक्षा (iv) लोक निर्माण (v) अन्य कार्य जैसे जन्म–मुत्यु का रिकार्ड रखना आदि।

घ. नगर निगम के आय के साधन – (i) कर उगाही से आय, लाइसेंस फीस, जल आपूर्ति शुल्क, बिजली, सीवर शुल्क; टोल–टैक्स, सामान की आवाजाही पर कर, (ii) केन्द्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान (iii) निगम की सम्पति से प्राप्त किराया।

नगर पालिका

क. रचना – छोटे शहरों में नगरपालिका पायी जाती है। प्रत्येक नगर पालिका के पार्षदों का चुनाव उसी शहर के मतदाताओं द्वारा पाँच वर्ष के लिये किया जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका का एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सिविल इंजीनियर महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं।

ख. नगर पालिका के कार्य – (i) स्वास्थ्य व सफाई (ii) बिजली व जल आपूर्ति (iii) प्राथमिक शिक्षा (iv) जन्म व मृत्यु का रिकार्ड रखना (v) लोक निर्माण

ग. आय के साधन – नगर पालिका के आय के प्रमुख साधन हैं–

सम्पत्तियों, वाहनों, मनोरंजन और विज्ञापन पर कर, किराया, बिजली, पानी और सीवर पर शुल्क, नगर पालिका की सम्पत्तियों, दुकानो, सामुदायिक भवनों आदि का किराया आदि। राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। कर चोरी, अवैध निर्माण, कानून तोड़ने वालों से प्राप्त जुर्माना आदि।

नगर पंचायत

क. रचना – प्रत्येक शहरी केन्द्र जिसकी जनसंख्या 30,000 से अधिक तथा 100000 से कम होती है वहां नगर पंचायत की व्यवस्था होती है। इसमें एक अध्यक्ष और वार्ड सदस्य होते हैं। इसमें दस निर्वाचित वार्ड सदस्य तथा तीन मनोनीत सदस्य हो सकते हैं।

ख. कार्य – नगर पंचायत इन कार्यों के लिये उत्तरदायी है – (क) साफ–सफाई बनाए रखना तथा कूड़ा करकट इत्यादि साफ करना (ख) पेय जल आपूर्ति (ग) जन सुविधायें जुटाना (घ) अग्निशमन की व्यवस्था (ड़) जन्म–मृत्यु का रिकार्ड रखना

ग. आय के साधन – सम्पत्ति कर, जल कर, पथ कर, लाइसेंस फीस, इमारत के नक्शे पास कराने पर शुल्क, तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान।

जिला प्रशासन

- **जिला कलेक्टर अथवा उपायुक्त या जिलाधीश**

जिला प्रशासन के शिखर पर जिला कलेक्टर (संग्राहक) अथवा उप आयुक्त या जिला न्यायधीश होता है। पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, सिविल शल्यचिकित्सक (सिविल सर्जन) अथवा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी और ब्लाक (प्रखण्ड) विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) आदि। जिलाधीश का मुख्य कार्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना तथा शान्ति सुनिश्चित करना होता है।

- **उप खण्ड अधिकारी**

उपखण्ड अधिकारी जिले के प्रशासन में जिलाधीश का सहयोग करता है तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भूमि रिकार्ड (लेखा जोखा) रखता है। भूराजस्व का संग्रह करता है तथा मूलनिवास, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र भी जारी करता है।

- **ब्लाक (प्रखंण्ड) विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.)**

प्रखण्ड विकास अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तर अर्थात पंचायत समिति से सम्बद्ध होता है। वह पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है जो इसकी बैठकों का रिकार्ड रखता है। उसका बजट तैयार करता है तथा विभिन्न विकास सम्बन्धी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. 73वें संविधान संशोधन, 1992 का पंचायती राज व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?

प्र. 74वें संविधान संशोधन, 1992 का शहरी स्थानीय शासन पर क्या प्रभाव हुआ?

प्र. नगर पालिका के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

राज्य स्तर पर सरकार

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
19	राज्य स्तर पर सरकार	समालोचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण	राज्य स्तर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की रचना और कार्यों को समझना।

अर्थ

भारत एक संघ है। यहां पर दोहरा या दो-स्तरीय शासन व्यवस्था पायी जाती है। सरकार के तीनों अंग-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के दोनों स्तरों, केन्द्र और राज्यों में कार्यरत हैं।

भारत में केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र है। राज्य स्तर पर कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गयी हैं। राज्यपाल राज्य का मुखिया/अध्यक्ष है। कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद द्वारा किया जाता है।

राज्य स्तर का शासन

(कार्यपालिका)	विधायिका	न्यायपालिका
राज्यपाल व मुख्य मंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद	राज्यपाल + विधान सभा + विधान परिषद	उच्च-न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय

राज्यपाल की नियुक्ति

राज्यपाल: राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष के लिये की जाती है।

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति उसके पाँच वर्ष के कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है तथा वह उससे पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है।

राज्यपाल की शक्तियां

राज्यपाल की शक्तियां निम्न प्रकार से है

(i) **कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां** - वह मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह महा-अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति करता है।

(ii) **विधायी शक्तियाँ** - राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा होता है। वह विधान मण्डल को संबोधित करता है, सदन की बैठक बुलाना और सत्रावसान की घोषणा करना भी राज्यपाल की विध ायी शक्तियों के दायरे में आता है। राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राज्यपाल की सहमति न हो।

(iii) **वित्तीय शक्तियाँ** - राज्य विधानमण्डल में कोई धन विधेयक बिना राज्यपाल की पूर्व सहमति के पेश नहीं किया जा सकता। राज्य का वार्षिक बजट उसी के नाम पर पेश किया जाता है।

(iv) **स्वैच्छिक शक्तियां** - यदि विधान सभा चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिये आमंत्रण देने के लिए राज्यपाल अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो तो वह इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। वह राज्य विध ानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेज सकता है।

राज्यपाल और मंत्रीपरिषद के बीच सम्बन्ध

- राज्य स्तर की कार्यपालिका का गठन राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीपरिषद से मिलकर होता है। राज्यपाल अपनी समस्त कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसके मंत्रीपरिषद के परामर्श पर करता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमन्त्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- मंत्रीमंडल के समस्त निर्णयों से मुख्यमंत्री राज्यपाल को अवगत कराता है।
- वास्तविक रूप से कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रीपरिषद द्वारा किया जाता है। राज्यपाल केवल नाममात्र का अध्यक्ष है लेकिन कुछ परिस्थितियों में विशेषकर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में वह प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार स्वैच्छिक शक्तियां कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करने का मौका देती हैं।

मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रीपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। उनका कार्यकाल पाँच वर्ष होता है। सत्ता में बने रहने के लिये उनका विधान सभा में बहुमत होना अनिवार्य है। यदि मुख्यमंत्री या मंत्रीपद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं है तो उसे अनवार्य रूप यह सदस्यता छः महीने के अन्दर प्राप्त करनी होती है।

मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद के कार्य

मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। उसके कार्य निम्न प्रकार से हैं:

- यह मंत्रीपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज में समन्वय स्थापित करता है।
- राज्य के लिये नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन करता है।
- मंत्रीपरिषद और राज्यपाल के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है।
- किसी मंत्री द्वारा लिये गये निर्णय को मंत्रीपरिषद के विचार विमर्श के लिये रखता है।

मुख्यमंत्री की स्थिति

वह राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह नीति निर्धारण करता है तथा मंत्रीपरिषद का मार्गदर्शन करता है। यदि उसके दल का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होता है तो मुख्यमंत्री की स्थिति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। जब कि गठबंधन सरकार में उसकी भूमिका पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं। गठबंधन के सहयोगी उस पर अपनी कई इच्छाएं थोप देते हैं जो उसे पूरी करनी होती हैं।

राज्य विधानमंडल

भारत में प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं उदाहरणार्थ द्विसदनीय और एक सदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल में दो सदन होते हैं - निम्न सदन (विधानसभा) तथा उच्च सदन (विधान परिषद) जबकि एक सदनीय विधानमंडल में एक ही सदन होता है, विधानसभा। वर्तमान समय में भारत के ज्यादातर राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। केवल पाँच राज्यों, बिहार, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमण्डल है। बाकी 23 राज्यों में एक सदनीय विधानमण्डल कार्यरत हैं।

राज्य विधानमण्डल की रचना

भारत के संविधान के अनुसार किसी विधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। छोटे राज्यों जैसे गोवा, सिक्किम और मिजोरम की विधानसभा में 60 से कम सदस्य संख्या की छूट दी गयी है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है।

विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष है, हालांकि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसे इसके निश्चित कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है।

राज्य विधान परिषद में राज्य विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा 40 से कम सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में 36 सदस्य इसका अपवाद है। विधान परिषद के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होते हैं।

विधान परिषद की रचना

- एक तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं के द्वारा चुने जाते हैं।
- एक तिहाई सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
- इसका बारहवां हिस्सा अर्थात 1/12 सदस्य राज्य के तीन साल पुराने स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं।
- अन्य बारहवां हिस्सा अर्थात 1/12 सदस्य माध्यमिक तथा उससे ऊपर के कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाले अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं।
- उसका छठा हिस्सा (1/6), सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं।
- विधान परिषद स्थायी सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता।

राज्य विधानमंडल के कार्य

- **विधायी कार्य**
  - राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाता है।
  - साधारण विधेयक दोनों में से किसी भी सदन (जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है) में पेश किये जा सकते हैं जबकि धन विधेयक पहले केवल विधान सभा में ही पेश किया जा सकता है।
- **कार्यपालिका पर नियंत्रण**

  राज्य विधानमंडल प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है।
- **चुनाव सम्बन्धी कार्य**

  विधान सभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते है तथा राष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करते हैं
- **संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य**

  संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों में संशोधन करने के लिये कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

उच्च और अधीनस्थ न्यायालय

भारत में प्रत्येक राज्य का प्राय: एक उच्च न्यायालय है। हलांकि एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक से अधिक राज्य भी हो सकते है दूसरे शब्दो में एक से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। एक अपवाद के तौर पर गुवाहटी उच्च न्यायालय असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नगालैण्ड, मणीपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसी तरह कुछ छोटे राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में पड़ोसी राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो सकता है।

उच्च न्यायालय का संगठन

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है जबकि अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति करते समय वह सम्बन्धित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह लेता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिये आवश्यक योग्यता इस प्रकार है–वह भारत का नागरिक होना चाहिये। भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो या कम से कम दस वर्ष तक लगातार एक या उससे अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को संसद द्वारा दुराचार और अक्षमता की पुष्टि पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्रधिकार

- उच्च न्यायालय को प्रारम्भिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
- मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने तथा अन्य कानूनी अधिकारों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्रधिकार का प्रयोग करता है।
- उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्ध भी अपील की सुनवाई करता है।
- दीवानी मामलों में जिला न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है।
- फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है जहाँ पर सात वर्ष से अधिक की कारावास का दण्ड दिया गया हो।
- उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होता है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों को उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप निर्णय देना होता है।
- उच्च न्यायालय न्यायालय की अवमानना के मामले में दण्ड दे सकता है।

अधीनस्थ या निचले/अवर न्यायालय

अधीनस्थ न्यायालय

दीवानी न्यायालय फौजदारी न्यायालय राजस्व न्यायालय

दीवनी मामले/वाद – सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद, समझौता या संविदा तोड़ने, तलाक, मकान मालिक व किरायेदार के बीच विवाद आदि

फौजदारी मामले/वाद – चोरी, डकैती, बलात्कार, जेब कतरी, शारीरिक प्रहार, हत्या आदि। इन मामलों में फौजदारी अदालत में मुकदमा राज्य के नाम पर पुलिस दायर करती है।

राजस्व अदालतें/न्यायालय – राज्य स्तर पर राजस्व बोर्ड होता है इसके अधीन अधीक्षक न्यायालय, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि आते हैं। राजस्व बोर्ड अपने अधीन सभी राजस्व आदलतों के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनता है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. राज्यपाल की किन्हीं दो स्वैछिक शक्तियों का वर्णन कीजिए।

प्र. "मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद एक साथ तैरते व डूबते हैं।" क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिये कोई दो तर्क दीजिए।

प्र. उच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्रधिकार की व्याख्या कीजिए।

संघीय स्तर पर शासन

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
20	संघीय स्तर पर शासन	समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, आत्म बोध, प्रभावशाली सम्प्रेषण	

अर्थ

भारत के संविधान द्वारा केन्द्र या संघीय स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी है। केन्द्रीय/संघीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के सम्बन्ध में संविधान में विस्तार से चर्चा की गयी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद से मिलकर कार्यपालिका गठित हुई है, राष्ट्रपति व दो सदनों को मिलाकर संसद यहाँ की विधायिका है; तथा न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित सर्वोच्च न्यायालय यहाँ की न्यायपालिका है।

संघीय सरकार

कार्यपालिका	**विधायिका**	**न्यायपालिका**
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद	राष्ट्रपति, संसद = लोकसभा + राज्य सभा	सर्वोच्च न्यायालय; मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश

राष्ट्रपति

भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्प्रभुत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्र घोषित किया गया है। गणतंत्र ऐसे राज्य को कहा जाता है जिसका राज्याध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रपति की शक्तियां

राष्ट्रपति भारत का राज्याध्यक्ष होता है। उसका पद भारत में सर्वोच्च है। भारत सरकार के कार्यपालिका सम्बन्धी समस्त कार्य उसी के नाम पर किये जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नलिखित हैं–

- **कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां** – भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों, सेना के तीनों अंगों के मुखिया की नियुक्ती करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
- **विधायी शक्तियां** – राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। वह संसद के सत्र बुलाता है तथा उनके सत्रावसान की घोषणा करता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक उसकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
- **वित्तीय शक्तियां** – लोक सभा में कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पेश नहीं किया जा सकता। वार्षिक बजट राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही लोकसभा में पेश किया जाता है। वह हर पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है।
- **न्यायिक शक्तियां** – राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति की घोषित सजा को कम करने, बदलने या क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है।

राष्ट्रपति की स्थिति

- संविधान द्वारा कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गयी है। इसके अलावा उसे विस्तृत आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- क्या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तिशाली है?
- ऐसा नहीं है। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है; इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र की कार्यपालिका और संवैधानिक राज्याध्यक्ष है।

प्रधानमंत्री

केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रीपरिषद होगी। राष्ट्रपति उसी की सलाह से कार्य करता है। प्रधानमंत्री संघीय सरकार का वास्तविक मुखिया होता है।

- लोकसभा में बहुमत वाले दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करता है।
- बदली हुई परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव में उभरे सबसे बड़े दल के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है।
- प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है।
- यदि वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो नियुक्ति के छः महीने के भीतर उसे यह सदस्यता प्राप्त करनी होती है।

प्रधानमंत्री के कार्य

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रीपरिषद् द्वारा दी गई सहायता एवं सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग करता है, तथा उस सलाह को मानना आवश्यक होता है।
- प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उनके बीच विभागों का विभाजन करता है।
- वह मंत्रीमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- वह मंत्रीपरिषद तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करता है।
- वह केवल संसद का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का नेता भी होता है।
- वह योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है।

मंत्रीपरिषद्

- मंत्रीपरिषद् के सदस्य प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- मंत्री परिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं- कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री।
- मंत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप में लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- मंत्रीमण्डल या मंत्रीपरिषद् के निर्णयों को गुप्त रखा जाता है।
- मंत्रीमण्डल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं। किन्तु यदि आवश्यक हो तो राज्य मंत्री को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री की स्थिति

भारत में केन्द्र/संघीय सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण होती है।

- वह संसद में सरकार की तरफ से प्रमुख प्रवक्ता तथा सरकार की नीतियों का बचाव करने वाला होता है।
- सभी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते एवं दूसरे देशों के साथ होने वाली संधिया प्रधानमंत्री की सहमति से ही सम्पन्न होती हैं।
- पिछले कुछ 24 वर्षों के दौरान गठबन्धन की सरकारों के अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि प्रधानमंत्री को अपनी भूमिका का निर्वहन सब को साथ लेकर चलने तथा सतर्कता के साथ करना चाहिए।
- प्रधानमंत्री वह धुरी है जिसके चारों तरफ सरकार की पूरी मशीनरी घूमती रहती है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

संकटकालीन व असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गयी हैं। जो निम्नांकित हैं –

(i) युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली शक्तियाँ;

(ii) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति, अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ,

(iii) गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत वित्तीय आपातकाल के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली शक्तियाँ

केन्द्रीय विधायिका - संसद

भारत में केन्द्रीय/संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा राज्य सभा उच्च सदन कहलाता है।

रचना व संगठन

लोकसभा

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसकी सदस्य संख्या 550 से अधिक नहीं हो सकती। इनमें से 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, तो ऐसी स्थिति में वह इस समुदाय से दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। लोक सभा, संसद का निम्न सदन कहलाता है।

राज्य सभा

राज्य सभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। 238 सदस्य राज्य सभा के लिये राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत करता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है।

लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है जबकि राज्य सभा के सदस्य छः वर्षों के लिए होते हैं। लोकसभा को निश्चित कार्यकाल से पहले भी भंग किया जा सकता है, किन्तु राज्य सभा एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत होते हैं। राज्य सभा संसद का उच्च सदन है।

संसद के कार्य

संसद भारत का सर्वोच्च विधायी अंग है। यह अनेक कार्य करती है जो निम्नलिखित हैं-

विधायी कार्य

- संसद कानून बनाने वाली संस्था है। यह संघ सूची और समवर्त्ती सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाती है।

कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां

- संसद प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद पर नियंत्रण रखती है।

वित्तीय शक्तियां

- संसद देश के वित्त की संरक्षक है। भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है।
- सरकार द्वारा पेश किये गये अनुदान में संसद कटौती कर सकती है, उसे अस्वीकार या पारित कर सकती है।
- सरकार का वार्षिक बजट संसद के समक्ष पेश किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता और ना ही संचित निधि से कोई पैसा खर्च किया जा सकता है।

न्यायिक कार्य

- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद तय करती है।
- यह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान करती है। यह किसी केन्द्रशासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकती है।
- महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान संसद न्यायपालिका की भांति कार्य करती है।

विविध कार्य

(i) संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक विशेष बहुमत से पद से हटा सकती है (राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है।)

(ii) संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

संसद के दोनों सदनों की तुलनात्मक स्थिति

द्विसदनीय संसदीय प्रणाली में निचले सदन की भूमिका हमेशा उच्च सदन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भारत में भी राज्य सभा की तुलना में लोकसभा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट हो जाता है-

- लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई जनता की सच्ची प्रतिनिधि सभा है। जबकि राज्य सभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
- लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्य सभा स्थायी सदन है।
- साधारण विधेयक पर दोनो सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन में सदस्य संख्या अधिक, 550, होने के कारण लोकसभा की स्थिति अधिक मजबूत हो जाती है।
- कार्यपालिका पर नियंत्रण के संदर्भ में लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली होती है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद को सत्ता से हटा सकती है। राज्यसभा प्रश्न पूछकर तथा विभिन्न प्रस्तावों को अपनाकर मंत्रीपरिषद् पर नियन्त्रण रख सकती है।
- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के अधिकार समान हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों को पदच्युत करने में भी समान अधिकार हैं।
- वित्तीय मामलों या वित्त विधेयक को पहले केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा को स्पष्ट रूप से राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य सभा वित्त विधेयक को कानून बनने से नहीं रोक सकती।
- राज्य सभा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है तथा यह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संघ सूची में शामिल कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय

भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय स्थित है

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

कुछ मुकदमों की सुनवायी सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होती है, जैसे

(क) केन्द्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद

(ख) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद

अपीलीय क्षेत्राधिकार

- उच्चतर स्तर के न्यायालय द्वारा अपने से निचले न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने के अधिकार को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है।

सलाहकारी क्षेत्राधिकार

- सर्वोच्च न्यायालय को उन सब मामलों में, जो राष्ट्रपति इसके सम्मुख भेजता है, विशिष्ट सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय व संविधान की व्याख्यायें भारत के सभी न्यायालयों के लिये मार्ग दर्शन का काम करते हैं।

संविधान का संरक्षक

- संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाता है।
- यदि कोई कानून या कार्यकारी आज्ञा संविधान के विरूद्ध हो, तो उसे गैर संवैधानिक या अवैध घोषित किया जाता है।

न्यायिक पुनरावलोकन

सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका द्वारा बनाये गये कानून तथा कार्यपालिका के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को संवधिान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसे न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है।

न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका

संविधान की नवीन व्याख्याओं के द्वारा न्यायापालिका की शक्ति के विस्तार को न्यायिक सक्रियता के नाम से जाना जाता है। इसे कई बार विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जाता है। भारत में न्यायिक सक्रियता को सामान्यत: जन समर्थन रहा है क्योंकि इससे कई बार वंचित वर्गों को न्याय मिला है। जनहित याचिका का प्रयोग कई बार गरीब, वंचित और गरीब वर्गों के नाम पर और उनके पक्ष में हुआ जिनके पास न्यायालय की शरण में जाने का कोई साधन नहीं था। जनहित याचिकाओं पर निर्णय देते समय न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण, समान नागरिक संहिता, अवैध निर्माण, बाल मजदूरी तथा ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय दिये हैं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियां कौन-कौन सी है?

प्र. भारत की संसद की किन्ही चार विधायी शक्तियों को सूचीबद्ध कीजिए।

प्र. "राज्य सभा न केवल दूसरा सदन है, बल्कि द्वितीय दर्जे का सदन भी है" क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिये कोई तीन तर्क दीजिए।

राजनीतिक दल और दबाव समूह

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
21	राजनीतिक दल और दबाव समूह	आत्म बोध, समानुभूति, समस्या समाधान, प्रभावशाली सम्प्रेषण, टीम भावना	राजनीतिक दल और दबाव समूह का अर्थ, आवश्यकता और महत्व को समझना

अर्थ

राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह होता है जिनकी राजनीतिक विचार धारा एक जैसी होती है तथा वह चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहता है।

कार्य

- चुनाव के लिये उम्मीदवार नामजद करना
- देश के हित के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करना
- बहुमत प्राप्त करना तथा देश का शासन चलाना
- विपक्ष की भूमिका निभाना

भारत में दलीय प्रणाली

भारत में बहुदलीय प्रणाली है इसका अर्थ है दो से अधिक राजनीतिक दलों का होना। दुनिया में कई देशों में एक दलीय या द्विदलीय प्रणाली पायी जाती है।

भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल पाये जाते हैं-

- राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे दल होते हैं जिनका प्रभाव देश के ज्यादातर भागों में होता है। ऐसा दल जिसने चार राज्यों में कम से कम चार प्रतिशत मत प्राप्त किए हों राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी), बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी को वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है।
- **क्षेत्रीय राजनीतिक दल** - किसी एक राज्य या क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल को चुनाव आयोग क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस प्रकार से है, फॉरवार्ड ब्लाक (प. बंगाल), ए.आई.ए.डी.एम. के (तमिलनाडु), नेशनल कान्फ्रेंस (जम्मू और काश्मीर), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार) समाजवादी पार्टी (उत्तर प्रदेश), शिरोमणि अकाली दल (पंजाब) आदि

विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां

- **भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस** – काँग्रेस पार्टी लोकतंत्र, पंथ–निरपेक्षता तथा समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है। यह निजीकरण, उदारीकरण व वैश्वीकरण को स्वीकार करती है, समाज कल्याण तथा स्थानीय स्तर की संस्थाओं को मजबूत व सशक्त करना चाहती है।
- **भारतीय जनता पार्टी** – यह पार्टी राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकीकरण, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, गाँधी वादी, समाजवाद तथा मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास रखती है।
- **भारतीय साम्यवादी दल और सी. पी. एम.** – ये दोनो ही दल समाजवाद, उद्योगों पर सामाजिक स्वामित्व, कृषि सुधार, ग्रामोत्थान तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अपने आधारभूत सिद्धान्त व उद्देश्य मानते हैं।
- **बहुजन समाज पार्टी** – 1984 में गठित यह पार्टी भारत के वंचित वर्गो विशेषकर गरीब, भूमिहीन, बेरोजगार और दलितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह पार्टी साहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी नायकर और डा. भीम राव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेती है।

दबाव समूह और हित समूह

हित समूह लोगों के वे संगठित समूह होते है जो उनके हितो की रक्षा और बढ़ावा देने के लिये कार्य करते है जिनकी प्राप्ति के लिये वे संगठित व एकजुट होते हैं।

सामान्यत: हित समूह और दबाव समूह को एक ही मान लिया जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। दबाव समूह ऐसा हित समूह है जो अपने हितों की पूर्ति के लिये सरकार व राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालता है। कुछ दबाव समूह इस प्रकार हैं– आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, किसान यूनियन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। दबाव समूह और हित समूह से भिन्न राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा सत्ता प्राप्त कर अपनी राजनीतिक विचारधारा को फैलाना चाहते हैं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। भारत के कोई दो राष्ट्रीय तथा दो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताइये।

प्र. राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं?

प्र. राजनीतिक दल, दबाव समूह अथवा हित समूह से किस प्रकार भिन्न होता है?

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
22	लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सहभागिता	आत्म बोध, सहभागिता, निर्णय लेना, समस्या समाधान	लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझना

अर्थ

लोकतंत्र में जन सहभागिता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। चुनाव में मतदान कर लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने में भागीदारी करते हैं। सरकार के काम काज पर चर्चा और बहस, अखबार में सम्पादकीय लिखना, धरना, प्रदर्शन, किसी राजनीतिक दल के लिये जन सभायें करना, चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना आदि जन सहभागिता के उदाहरण हैं।

'जनमत' का अर्थ

जनमत न तो लोगों की आम सहमति है और न ही यह बहुसंख्यक लोगों का मत है बल्कि यह किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर लोगों की सोची समझी, निष्पक्ष और तर्कपूर्ण राय है। जनमत की निम्नलिखित विशेषतायें होती हैं-

- यह विचारों का योग है।
- यह तर्क पर आधारित होता है।
- इसका लक्ष्य समूचे समुदाय का हित होता है।
- यह सरकार के निर्णयों, राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली तथा प्रशासन के संचालन को प्रभावित करता है।

जनमत का महत्व

लोकतांत्रिक प्रणाली में जनमत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- एक स्वतंत्र और जागरूक जनमत सरकार की असीमित शक्ति पर अंकुश होता है।
- यह लोगों की जरूरतों के प्रति सरकार को उत्तरदायी बनाता है।
- जनमत सरकार को जनता के हित में कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है।
- इससे लोकतत्र के मानक व मूल्य मजबूत होते हैं।
- जनमत लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है।

जनमत का निर्माण और व्यक्त करने वाले विभिन्न अभिकरण

- मुद्रण मीडिया (प्रिन्ट मीडिया)
- इलैक्ट्रोनिक मीडिया
- राजनीतिक दल
- विधान मंडल
- शिक्षण संस्थान
- चुनाव

चुनावों का महत्व

चुनाव एक दल से दूसरे दल को सत्ता के शान्तिपूर्ण हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हैं।

चुनाव के प्रकार

भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष; दो प्रकार के चुनाव होते हैं।

- **प्रत्यक्ष चुनाव:** जिन चुनावों में आम लोग मतदान कर सीधे अपने विधायी निकायों के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करते है उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। लोक सभा, विधान सभा तथा स्थानीय संस्थाओं के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण हैं।
- **अप्रत्यक्ष चुनाव:** आम जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधि जब कुछ पदों और संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का चुनाव करते है तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में चुनावों को समय तथा विस्तार के आधार पर तीन वर्गों में बांटा जाता है–
  (i) आम चुनाव
  (ii) मध्यावधि चुनाव
  (iii) उप चुनाव

भारत का निर्वाचन आयोग

भारत में चुनाव कराने का कार्य एक निष्पक्ष संवैधानिक प्राधिकरण अर्थात निर्वाचन आयोग को सौपा गया है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

निर्वाचन आयोग के कार्य

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना
- मतदाता सूची तैयार करना
- राजनीतिक दलों को मान्यता देना
- विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना
- चुनाव अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश तथा आचार संहिता जारी करना।
- चुनाव सम्बन्धी शिकायतों का निपटारा करना
- चुनाव करवाना, चुनाव कर्मियों की नियुक्ति, मतों की गिनती कर नतीजों की घोषणा करना

चुनाव पदाधिकारियों का महत्व

- **चुनाव अधिकारी:** प्रत्येक चुनाव/निर्वाचन क्षेत्र में एक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। वह उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त कर उनकी जांच करता है, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाता है; मतगणना सुनिश्चित कर चुनाव नतीजों की घोषणा करता है।
- **पीठासीन अधिकारी:** यह एक मतदान केन्द्र का प्रभारी होता है। वह सुनिश्चित करता है कि मतदान केन्द्र में पंजीकृत प्रत्येक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। चुनाव के दौरान जाली मतदान न हो। वह मतपेटियों या ई.वी.एम. को चुनाव अधिकारी को सौपता है।
- **चुनाव अधिकारी:** प्रत्येक पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिये तीन या चार कर्मचारी होते हैं जिसे चुनाव अधिकारी कहा जाता है। उन्हें चुनाव के दौरान मतदाताओं की पहचान को जांचने, न मिटने वाली स्याही लगाने, मतदाताओं के हस्ताक्षर कर वोट डालवाने जैसे कार्य सौपे जाते हैं।

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया

यह एक लम्बी प्रक्रिया है जिसके विभिन्न चरण होते हैं:

- चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन
- मतदाता सूची तैयार करना
- चुनाव की अधिसूचना
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
- नामांकन पत्र भरना
- चुनाव चिन्ह जारी करना
- चुनाव करवाना
- मतों की गिनती
- चुनाव परिणाम घोषित करना

चुनाव सम्बन्धी उपरोक्त कार्य चुनाव आयोग द्वारा किये जाते हैं। चुनाव के माध्यम से भागीदारी मतदान के अधिकार पर निर्भर करती है। भारत में मतदान के लिये क्या योग्यता है? भारत में संविधान द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त है।

चुनाव सुधाार

कई बार यह सुनने में आता है हमारी निर्वाचन प्रणाली में कुछ दोष या कमियां हैं जिन के कारण चुनाव वास्तविक रूप से स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं हो पाते। इसलिये चुनाव सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है।

चुनाव प्रणाली की कमियां

- जाली मतदान तथा उम्मीदवार द्वारा चुनाव का गैरकानूनी तरीके से अपने पक्ष में संचालन करना
- बाहुबल का प्रयोग कर मतदाताओं को डराना धमकाना
- मत प्राप्त करने के लिये धन का दुरूपयोग
- सरकारी तंत्र का दुरूपयोग
- मतदान केन्द्र पर कब्जा, चुनाव व राजनीति का अपराधीकरण

चुनाव सुधारों के लिये सुझाव

- भारत में वर्तमान समय में प्रचलित ''जो सबसे आगे वही जीते'' ''बहुसंख्या प्रणाली'' के स्थान पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की जानी चाहिये।
- उम्मीदवार और राजनीतिक दल द्वारा किये गये खर्चे का सही लेखा जोखा होना चाहिये।
- मतदान केन्द्र पर कब्जा तथा जाली मतदान जैसी घटनाओं के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिये।
- चुनावों के खर्चे का वहन राज्य द्वारा किया जाना चाहिये।
- चुनाव प्रचार के दौरान जाति और धर्म आधारित अपीलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग किस प्रकार भागीदारी करते हैं? व्याख्या कीजिए।

प्र. जनमत के निर्माण में सहायता करने वाले अभिकरणों पर प्रकाश डालिये।

प्र. उन शिकायतों को सूचीबद्ध कीजिए जो भारत की निर्वाचन प्रणाली के विषय में आपने कभी सुनी हों। भारत में वर्तमान निर्वाचन व्यवस्था में सुधार के लिये सुझाव दीजिए।

भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
23	भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां	आत्म बोध, समस्या समाधाान, समानुभूति	भारत के लोकतंत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियों को समझना

अर्थ

भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। भारत लोकतंत्र है क्योंकि यहां पर शासन के विभिन्न स्तरों के लिये निश्चित समय में चुनाव होते हैं। पिछले लगभग साठ वर्षों से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर गठित सरकारे हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं।

''लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिये शासन है'' यह शासन की वह प्रणाली है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है।

लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था मात्र नही है बल्कि यह इससे कई अधिक मायने रखता है। यह सरकार की एक व्यवस्था होने के साथ-साथ एक विशिष्ट प्रकार की राज्य व्यवस्था है, एक सामाजिक प्रणाली है तथा एक विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था भी है।

लोकतंत्र के लिये आवश्यक परिस्थितियां

एक लोकतंत्र प्रमाणिक और व्यापक तब कहलाता है जब वह कुछ विशेष शर्तों को पूरा करता है:

राजनीतिक परिस्थितियां

(क) सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना
(ख) मौलिक अधिकारों का प्रावधान
(ग) सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार
(घ) स्वतंत्र प्रेस व मीडिया
(ङ) सक्रिय राजनीतिक सहभागिता

सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियां

(क) विधि/कानून के समक्ष समानता
(ख) अवसरों की समानता
(ग) सामाजिक सुरक्षा
(घ) सर्वशिक्षा, सर्व स्वास्थ्य जैसे प्रावधान

चुनौतियां

भारत के लोकतंत्र के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्न हैं:

निरक्षरता

साक्षरता लोकतंत्र की सफलता के लिये आवश्यक है लेकिन निरक्षरता को मिटाना भारत के लिये अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

गरीबी

बढ़ती जनसंख्या व बेरोजगारी गरीबी का मूल कारण है यह असमानता तथा वंचन को बढ़ावा देती है।

लैंगिक भेदभाव

भारत में लड़कियों व स्त्रियों के विरूद्ध भेदभाव जीवन के हर क्षेत्र में नजर आता है। यह लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। इस तरह के भेदभाव के कारण लिंग अनुपात चिन्ता का विषय बना हुआ है।

जातिवाद व साम्प्रदायिकता

भारत का लोकतंत्र जातिवाद व साम्प्रदायिकता के कारण पैदा हुई समस्याओं से जूझ रहा है। राजनीतिक व्यक्ति मत प्राप्त करने के लिये इन दोनों को बढ़ावा देते हैं। जातिवाद और साम्प्रदायिकता देश की एकता व शान्ति के लिये खतरा हैं।

क्षेत्रवाद

विकास में असंतुलन तथा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को विकास में नजरंदाज करने के कारण क्षेत्रवाद की भावना पैदा होती है। क्षेत्रवाद भी देश की एकता के लिये खतरा है।

भ्रष्टाचार

बेईमानी, रिश्वतखोरी तथा सरकारी तंत्र का अपने निजी हित के लिये दुरूपयोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार के कारण राजनीति और अधिकारी राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हैं।

सुधारात्मक कदम

- सार्वभौमिक साक्षरता (सर्वशिक्षा)
- गरीबी उन्मूलन
- लैंगिक भेदभाव की समाप्ति
- क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना
- प्रशासनिक व न्यायिक सुधार
- सतत् पोषणीय विकास (आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय)

लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका

लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक अपने आप में समानता, स्वतंत्रता, पंथनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उत्तरदायित्व तथा सभी का सम्मान करना; जैसे कुछ मूल्यों को आत्मसात् करते हैं।

लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक इस बात के लिये उत्तरदायी है कि विभिन्न स्तरों पर सरकार कैसे कार्य करती है। इसलिये प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में नागरिक को निम्नलिखित कुछ प्रमुख अवसर प्राप्त हैं:

- सार्वजनिक जीवन में भागीदारी विशेषकर चुनाव के दौरान मतदान करके
- नागरिक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी व जबावदेह बनाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक विषयों के प्रति जागरूक रहने का मौका देता है तथा अपने विचारों व राय को भी व्यक्त करने का मौका देता है।
- प्रत्येक नागरिक को कुछ कार्यों को करने की छूट है साथ ही उसका कर्त्तव्य है कि वह ऐसा कुछ न करे जिनसे किसी और के अधिकारों का उल्लंघन हो।

सुधारात्मक कदमों को वास्तविक रूप देने में नागरिक की भूमिका

यह उन नागरिकों की सक्रिय भूमिका से संभव है जो -

- कानून का सम्मान कर हिंसा को अस्वीकार करते हैं
- दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।
- मनुष्य के मान-सम्मान का आदर करते हैं।
- विपक्ष की भूमिका को स्वीकारते है।
- सरकार के निर्णयों को अस्वीकार कर सकते हैं पर सरकार की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते
- सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. लोकतंत्र का क्या अर्थ है?

प्र. उन चुनौतियों का उल्लेख कीजिए जो भारत में लोकतंत्र की सफल कार्यप्रणाली के लिये खतरा हैं। किन्हीं दो खतरनाक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

प्र. लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर किये गये प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये कोई दो तरीके सुझाइये।

राष्ट्रीय एकीकरण और पंथनिरपेक्षता

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
24	राष्ट्रीय एकीकरण और पंथनिरपेक्षता	आत्म बोध, अंतर वैयक्तिक सम्बन्ध	राष्ट्रीय एकीकरण और पंथ निरपेक्षता को समझना

अर्थ

भारत अत्यधिक विविधताओं वाला देश है। विभिन्न नस्लों, समुदायों और जातियों के लोग, जो भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, अलग-अलग भाषा बोलते हैं, भिन्न-भिन्न आस्था व धर्म में विश्वास रखते हैं लेकिन इसके बावजूद वे अपनी भारतीय पहचान में विश्वास रखते हैं तथा इसे सर्वोच्च मानते हैं। इसलिये भारत जैसे विशाल तथा विविधता वाले देश में हमें शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व से रहना है और यह तभी संभव है जब हम भारतीय एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और धर्म का सम्मान करें तथा आपस में एकजुट रहें इसे राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण और भारतीय संविधान

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को विभाजन, साम्प्रदायिक हिंसा, देशी रजवाड़ों के एकीकरण जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

इसलिये, भारत का संविधान राष्ट्रीय एकीकरण, सम्प्रभुता की रक्षा तथा देश की एकता ओर अखंडता पर विशेष जोर देता है। यही कारण है कि संविधान ने संघीय व्यवस्था के साथ-साथ एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की है।

राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में चुनौतियां

1. साम्प्रदायिकता

- अपने पंथ/धर्म के प्रति अत्यधिक लगाव तथा दूसरों के प्रति घृणा।
- देश की एकता और अखंडता के लिये खतरा, साम्प्रदायिक दंगों के लिये उत्तरदायी

2. भाषावाद

- राजभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध
- गैर हिन्दी भाषी लोगों द्वारा विरोध
- अनिश्चित काल के लिये अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति

3. उग्रवाद व अतिवाद

- माओवादी और नक्सलवादी गतिविधियां
- ये प्राय: हिंसा और भय पैदा करते हैं तथा जानमाल की भारी क्षति करते हैं।
- इन गतिविधियों में ज्यादातर भ्रमित और भटके युवा भाग लेते हैं।

4. क्षेत्रवाद

- राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को महत्व देना, क्षेत्रीय मांगों को बढ़ावा देता है।
- क्षेत्र विशेष में विकास के प्रति लापरवाही तथा असंतुलन को प्रदर्शित करता है
- सरकार पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये दबाव बनाता है।

राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक

(क) संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- मौलिक अधिकार नागरिकों को सशक्त करते हैं जबकि मौलिक कर्त्तव्य साथ-साथ रहने के लिये सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करते हैं।
- राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त सरकार को समतापूर्ण आर्थिक विकास, सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा शान्ति और सुरक्षा के लिये प्रयास करने के निर्देश देते हैं।

(ख) सरकार के प्रयास

- राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन किया गया है।
- योजना आयोग पूरे देश के समान विकास के लिये योजनायें बनाता है।
- निर्वाचन आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराता है।

(ग) राष्ट्रीय त्यौहार और प्रतीक

- ये एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयन्ती जैसे राष्ट्रीय त्यौहार चाहे किसी भी भाषा, धर्म व संस्कृति के हों, सब मनाते हैं।
- हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्र चिन्ह आदि भी हमें एकता के सूत्र में बाँधते हैं।

(घ) अखिल भारतीय सेवायें तथा अन्य कारक

- अखिल भारतीय सेवायें जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, व भारतीय वन सेवा आदि की नियुक्ति व प्रशिक्षण केन्द्रीय स्तर पर होता है और राज्यों में उच्च पदों पर आसीन होकर ये अधिकारी देश में प्रशासनिक एकरूपता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एकीकृत न्यायिक प्रणाली, रेडियो, टेलीविजन, डाक व संचार नेटवर्क आदि भी राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।

पंथनिरपेक्षता

पंथनिरपेक्षता से अभिप्राय है धार्मिक आधार पर समानता तथा धार्मिक सहनशीलता। इसका मतलब धर्मविहीन या धर्म विरोधी होना नहीं है। पंथ निरपेक्षता भारत के लोकतंत्र के आधार स्तभों में से एक है।

भारत के संविधान में पंथनिरपेक्षता

भारत के संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान है जो सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हो। वे हैं-

- संविधान की प्रस्तावना भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है।
- मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त
- समानता और भेदभाव रहित, सामाजिक व आर्थिक मूलक लोकतंत्र

पंथनिरपेक्षता का महत्व

भारत वह भूमि है जिसने दुनिया के चार महान धर्मों को जन्म दिया है। अनेक संवैधानिक प्रावधानों एवं सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत में हम साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा का अनुभव करते हैं। इन परिस्थितियों में पंथनिरपेक्षता आवश्यक हो जाती है। यह साम्प्रदायिक सौहार्द और शान्ति के लिये ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व के लिये भी आवश्यक है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन ने राष्ट्रीय एकीकरण का वातावरण किस प्रकार पैदा किया?

प्र. साम्प्रदायिकता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिये एक बड़ा खतरा क्यों माना जाता है? देश में शान्ति और सौहार्द की स्थापना के लिये कुछ तरीके सुझाइये।

प्र. राष्ट्रीय एकीकरण को वास्तविक रूप से बढ़ावा देने वाले कारकों का मूल्यांकन कीजिए।

विकास और वंचित समूहों का सशक्तीकरण

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
25	विकास और वंचित समूहों का सशक्तीकरण	आत्म बोध, अन्तरवैयक्तिक कौशल, समस्या समाधान, सृजनात्मक सोच, समानुभूति	वंचित समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना

अर्थ

भारत को 1947 में विदेशी शासन से मुक्ति मिली। इसके साथ ही गरीबी, निरक्षरता, भूख और सामाजिक भेद को दूर करने के लिये एक नया संघर्ष शुरू हो गया। सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा अनेक क्रियाकलाप शुरू किये गये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा रहा है।

सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ:

- **सामाजिक विकास:** सामाजिक विकास से सामाजिक संस्थाओं में रूपान्तरण या परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं में सुधार के द्वारा समाज की क्षमताओं में वृद्धि होती है ताकि समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इससे सामाजिक भेदभाव पर नियंत्रण लगता है तथा समाज के प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।
- **आर्थिक विकास:** सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। लेकिन आर्थिक विकास की अवधारणा के अन्तर्गत अन्य अनेक विषय भी आते हैं जैसे आर्थिक कल्याण, विकास के लाभों का समान वितरण; विशेषकर ये लाभ समाज के वंचित समूहों तक पहुँचने चाहिये।

सतत्पोषीय विकास

सतत् पोषीय विकास, विकास की एक व्यापक अवधारणा है जिसे इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि ''ऐसा विकास जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करे तथा आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता न करे'' सतत् पोषीय विकास पर्यावरण हितेषी विकास होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण व लाभ का समान वितरण करना है ताकि मनुष्य की कई पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत में सामाजिक आर्थिक विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से लेकर आज तक देश के विकास के लिये अनेक नीतियां और कार्यक्रम लागू किये जा चुके हैं। 1991 में उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के पश्चात् भारत विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया। इसके कारण गरीबी में बड़ी तेजी से कमी आयी यद्यपि 2000-05 के आकड़ों के अनुसार अभी भी भारत में 27.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है।

भारत में सामाजिक आर्थिक विसंगति

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास की रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विसंगतियों को कम कर सभी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना था। लेकिन सुस्पष्ट क्षेत्रीय विषमता अभी भी नजर आती है। कुछ अन्य मानवकृत विषमतायें जैसे प्रतिव्यक्ति आय, असंतुलित कृषि और औद्योगिक विकास, परिवहन व संचार के विस्तार व विकास सम्बन्धी विषमता आदि काफी ज्यादा खतरनाक हैं तथा इन चुनौतियों का मुकाबला करना आवश्यक है।

भारत में क्षेत्रीय विषमताओं के कारण

- ऐतिहासिक परिदृश्य
- भौगोलिक कारण
- प्राकृतिक संसाधानों का असमान वितरण
- राष्ट्रीय बाजार व व्यवसायिक केन्द्रों से दूरी
- आधारभूत संरचना की कमी
- ढ़ीला शासन, कानून और व्यवस्था की समस्या, प्राकृतिक संसाधनों का पूरा सदुपयोग न कर पाना, दूर दृष्टि व योजना की कमी।

समाज के वंचित समूह

भारत जैसे विविधता वाले देश में विकास के लाभों तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन अभी भी कई ऐसे सामाजिक समूह है जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित व कमजोर हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलायें सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के साथ-साथ सामाजिक न्याय सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान की तीन तरफा रणनीति रही है।

(क) सामाजिक सशक्तीकरण

अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, स्कूली और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृति, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निशुल्क शिक्षण तथा हॉस्टल की सुविधा।

(ख) आर्थिक सशक्तीकरण

आय सृजन करने वाले अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। एन.एस.एफ.डी.सी., एन. एस.के.एफ.डी.सी., एन.एस.टी. सीडी.सी., एस.सी.डी.सी, ट्राइफेड आदि कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो अनुसूचित जाति और जनजातियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

(ग) सामाजिक न्याय

आरक्षण के रूप में सकारात्मक भेद शुरू किया गया है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में सीटें आरक्षित की गयी हैं।

महिला सशक्तीकरण

भारत का संविधाान लैंगिक भेदभाव को निषिद्ध करता है और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेद की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में स्वीकृत लक्ष्य तथा धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं:

(क) आर्थिक सशक्तीकरण

- महिलाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि वे औद्योगिक क्षेत्रों जैसे सूचना टेक्नोलॉजी, इलैक्ट्रोनिक, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
- सहायता सेवायें जैसे बच्चों की देखभाल, तथा कार्यस्थल पर क्रेच आदि की व्यवस्था

(ख) सामाजिक सशक्तीकरण

- शिक्षा तक समान पहुंच तथा लड़कियों को विशेष लाभ
- जीवन के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना
- घरेलू और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की रोकथाम

(ग) राजनीतिक सशक्तीकरण

73वें व 74वें संविधाान संशोधन 1992 के द्वारा महिलाओं को ग्रामीण और शहरी निकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यह मील का पत्थर है।

सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम

सर्वशिक्षा

इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार से हैं:

- राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, 1988 के द्वारा 15 से 35 वर्ष तक के प्रौढ़ों को साक्षर करने का प्रयास किया गया।
- 2001 में शुरू किये गये सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को 2010 तक विद्यालयों में दाखिल करना।
- मध्यहान भोजन के द्वारा पोषण। 86वें संविधान संशोधन 2002 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। यह अधिनियम 2010 में लागू हुआ।

सर्व स्वास्थ्य

वर्ष 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य का लक्ष्य सर्वप्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तराष्ट्रीय बाल शिक्षा फंड के तत्वावधान में ऊलमा ऊत्ता में 1978 में स्वीकार किया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान और इससे सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम जैसे जननी सुरक्षा योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना आदि अनेक योजनायें शुरू कीं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. सामाजिक–आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है?

प्र. कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कदम उठाने की क्यों आवश्यकता है? अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सशक्तीकरण के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का वर्णन कीजिए।

प्र. महिला सशक्तीकरण क्यों आवश्यक है? इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
26	पर्यावरणीय क्षरण तथा आपदा प्रबन्धन	आत्म बोध, समस्या समाधान, प्रभावी संचार, निर्णय ले पाना, विवेकशील सोच	वातावरण का क्षरण न होने दें

अर्थ

पेड़ों को गांवों में खेती करने हेतु तथा शहरों में घर बनाने, बड़ी बिल्डिंग बनाने, सड़क बनाने हेतु काटा जा रहा है। हम प्रदूषण का जो प्रभाव देख रहे हैं वह अत्यधिक गाड़ियों में से निकले धुँए में कार्बन मोनोआक्साइड तथा फैक्टरियों से निकली हानिकारक गैसों के कारण है। यह सभी मानवी क्रियाएं पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं। पर्यावरण का क्षय कई तरह की मानव रचित अपदाओं को जन्म दे रहा है। भोपाल गैस त्रासदी, भूस्खलन, लंदन स्मोग ऐसी अपदाओं के कुछ उदाहरण हैं।

पर्यावरण का अर्थ तथा इसका महत्व

- साधारणत: पर्यावरण का अर्थ है हमारा परिवेश जिसमें हम जीवन व्यतीत करते हैं।
- जीवन के चारों ओर उन सभी दशाओं और परिस्थितियों तथा जीवित और अजीवित वस्तुओं के कुल योग के रूप में इसको परिभाषित किया गया हैं।
- हमारे अस्तित्व के लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है।
- हम पर्यावरण पर अपने भोजन, आश्रय, जल, वायु, भूमि, ऊर्जा औषधि, रेशे, उद्योगों के लिए कच्चे माल हेतु निर्भर हैं।

पर्यावरण का वर्गीकरण

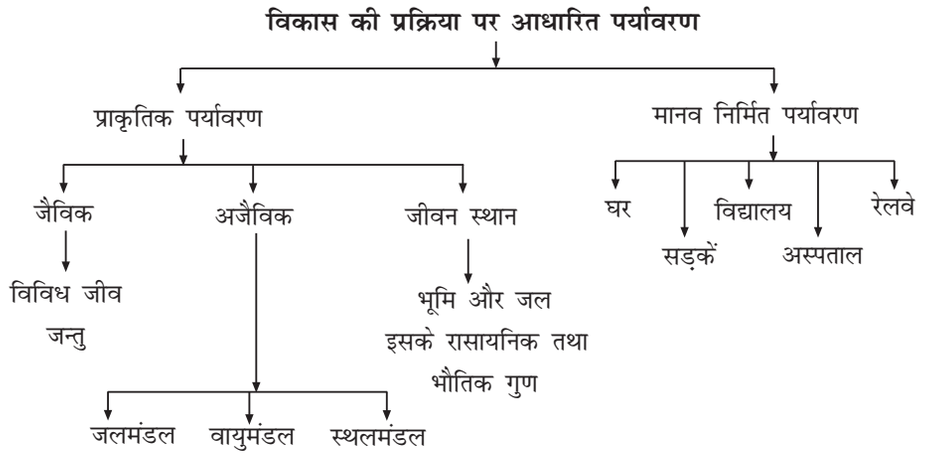

पर्यावरण की गतिशीलता और विविधता

पर्यावरण की प्रकृति गतिशील है। पर्यावरण कभी स्थिर नहीं रहता। पर्यावरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा ऐतिहासिक रूप से एक समय से दूसरे समय में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए हिमालय का पर्यावरण बृहत भारतीय मरूस्थल से भिन्न है और वहां भी वर्षों और दशकों से एक जैसा नहीं रहा है। किसी स्थान का पर्यावरण एक जैसा नहीं रहता। कुछ परिवर्तन प्राकृतिक रूप से होते हैं जबकि दूसरे परिवर्तन मनुष्य की गतिविधियों के कारण होते हैं। यहां तक कि मानव-निर्मित पर्यावरण भी समय और स्थान के साथ बदल रहा है। मानव आवास को ही लें- साधारण झुग्गी व घर गगनचुम्बी इमारतों में बदल गए हैं। गांवों की जगह शहरों, कस्बों तथा महानगरों ने ले ली है। परिवहन और संचार के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं।

पर्यावरणीय क्षरण के कारण

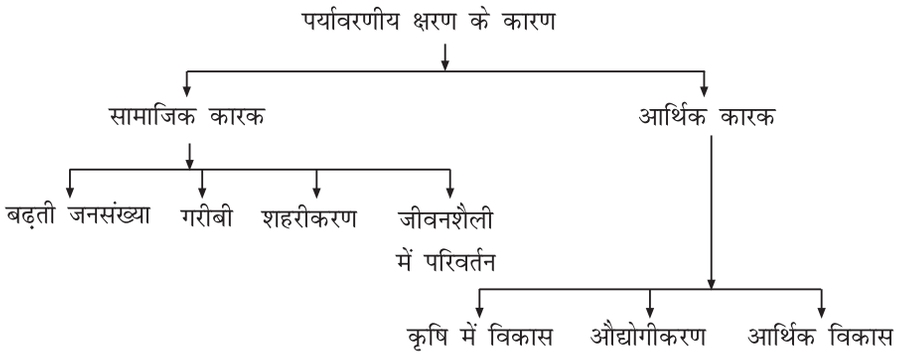

हम अपने पर्यावरण को क्षरण से बचा सकते हैं तथा साथ ही तीन तरीकों से धनोपार्जन भी कर सकते हैं : पुनचर्क्रण, दोबारा प्रयोग करना और उपभोग को घटा कर

पुर्नचक्रण		पुनः उपयोग		उपभोग घटाना	
किसका पुर्नचक्रण करे	**इसका प्रभाव**	**किसका पुनः उपयोग करें**	**कैसे करें**	**किसका उपभोग घटाएँ**	**कैसे घटाएँ**
जैविक कचरा जैसे केले के छिलके, अण्डे का छिलका तथा बची हुई सब्जियां	इससे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी	बाहरी टिन/ डिब्बा	पेन्सिल बॉक्स बनाकर उपयोग किया जा सकता है	प्लास्टिक	खरीदारी करने के लिए कपड़े के थैले का उपयोग करें और प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग बन्द कर दें।
कागज	पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है	कागज	जिन कागजों का प्रयोग नही हुआ उनसे डायरी बनाई जा सकती है	बिजली	जब आप कमरे से बाहर निकले तो पंखा, बिजली बंद कर दें।
एल्यूमिनियम	इससे बाक्साइट अयस्क की कम आवश्यकता होगी	कपड़ा	इससे गलीचा बनाकर प्रयोग किया जा सकता है।	जल	जब पानी की जरूरत नहीं हो तो टोटी बंद कर दें और उतने ही जल का भण्डारण करें जितने की आवश्यकता हो।

सतत पोषीय विकास

पर्यावरण क्षरण के परिणाम अधिक गम्भीर हैं। यह एक सशक्त विचार है कि विकास का जो माडल मानव समाज द्वारा अपनाया गया है वही पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण हैं। सतत विकस की अवधारणा, जो विकल्प के रूप में सामने आई है, वह पर्यावरणीय क्षरण को रोक सकेगी। सतत विकास को एक ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सततता का अर्थ है कि विकास की आवश्यकताअें का ऐसा प्रबन्धन हो कि जिस प्राकृतिक वातावरण पर हम निर्भर है उसे नष्ट किए बिना यह सुनिश्चित करें कि अर्थ व्यवस्था और समाज दोनों बने रहें। हम अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण तथा वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करके सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

आपदा प्रबन्धन

यह सच है कि आपदा का बढ़ता विध्वंस पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन के कुप्रबन्धन की वजह से उत्पन्न परिणाम हैं। आपदाएँ सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं, लेकिन उन्हें नियन्त्रित किया जा सकता है। आपदा एक त्रासदी है जो नकारात्मक रूप से समाज और पर्यावरण को प्रभावित करती है। आपदाओं को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है- प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा

आपदाएं

प्राकृतिक	मानव निर्मित
उदाहरण	उदाहरण
• ज्वालामुखी विस्फोट	• भोपाल गैस त्रासदी
• भूकम्प	• लंदन धूमकोहरा (स्माग)
• बाढ़	• भूस्खलन
• सूखा	• वैश्विक तापन
• चक्रवात	
• सुनामी	

बाढ़ और भूस्खलन दोनों तरह से हो सकता है – प्राकृतिक तथा मानव द्वारा। हम आपदाओं को पूरी तरह रोक तो नहीं सकते परन्तु इसके प्रभाव को आवश्यक कदम उठा कर कम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के चार चरण है यथा मिटीगेशन (कम करना), तैयारी, अनुक्रिया तथा पुनरूत्थान

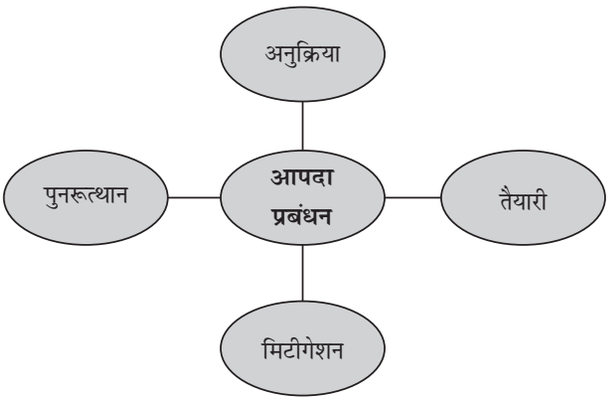

यदि हम इन चार तरीकों को अपनाएं और जोखिम की पहले से पहचान कर लें तो आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. पर्यावरणीय क्षरण के अर्थ की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

प्र. 'पर्यावरण स्थायी नहीं हैं' इस कथन की उचित उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए।

प्र. आप व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण को क्षरण से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?

शान्ति और सुरक्षा

पा.सं.	अध्याय शीर्षक	कौशल	क्रियाकलाप
27	शान्ति और सुरक्षा	समस्या समाधान, समालोचनात्मक सोच	शान्ति ओर सुरक्षा को समझना

अर्थ

शान्तिः- शान्ति एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करती है। शान्ति मात्र युद्ध और संघर्षों का अभाव नहीं है बल्कि यह सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक समझ और एकता की उपस्थिति को भी दर्शाती है।

सुरक्षाः भय और खतरों की अनुपस्थिति को सुरक्षा कहा जाता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति, संस्थाओं, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व सुरक्षा आती है। सुरक्षा से अभिप्राय खतरों तथा मानव अधिकारों को खतरे में डालने वाली परिस्थितियों से मुक्ति भी है।

शान्ति और सुरक्षा

- शान्ति और सुरक्षा को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति, संस्थायें, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना भय के आगे बढ़ सकें।
- शान्ति और सुरक्षा की दो अवधारणायें हैं:
- सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा सैनिक संघर्ष और आक्रमण से सुरक्षा पर जोर देती है। लेकिन सुरक्षा की नई या अपरम्परागत अवधारणा काफी व्यापक है। इसमें सैनिक संघर्ष, आक्रमण के साथ ही मानव जीवन के अस्तित्व के लिये खतरों को भी सुरक्षा के दायरे में माना जाता है।
- सुरक्षा की अपरम्परागत अवधारणा व्यक्ति को ध्यान में रखकर उसे गरीबी, भूख, बीमारियों, पर्यावरण क्षरण, शोषण और अमानवीय स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने की बात करती है।

लोकतंत्र और विकास के लिये शान्ति और सुरक्षा

- लोकतंत्र और विकास का शान्ति और सुरक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। शान्ति के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता
- संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्यों ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में स्वीकार किया कि शान्ति विकास की पहली शर्त है।

शान्ति और सुरक्षाः भारतीय दृष्टिकोण

भारत की भौगोलिक स्थिति तथा इसका विश्व शक्ति के रूप में उद्भव इसे बाहरी खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है। भारत को पड़ोसी देशों, चीन और पाकिस्तान के साथ सैनिक संघर्ष का बुरा अनुभव रहा है। यह लम्बे समय से आतंकवाद की चुनौती का भी सामना कर रहा है। इन कारणों से शान्ति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण का विकास काफी पहले हो गया था। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस तथ्य से अवगत था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था शान्ति और सुरक्षा की स्थिति में ही कार्य कर सकती है। उन्होंने निश्चित किया कि स्वतंत्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विश्व शान्ति, समान आर्थिक विकास, मानव अधिकारों को बढ़ावा तथा आतंकवाद के उन्मूलन हेतु किये जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर भारत स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, समान आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रति वचनवद्ध है।
- भेदभाव के कारण असंतुष्टि की भावना पैदा होती है जो शान्ति और सुरक्षा के लिए खतरा होती है।

शान्ति और सुरक्षा के लिये आन्तरिक खतरे

आतंकवाद: आतंकवाद शान्ति और सुरक्षा के लिये बड़ा खतरा है। 26/11 को मुम्बई तथा ऐसे ही अन्य आतंकवादी हमलों ने भारत की शान्ति और सुरक्षा को दहला दिया है। भारत के संदर्भ में आतंकवाद को आम नागरिकों पर जानलेवा आक्रमण व भय का वातावरण पैदा करने वाला आपराधिक कृत्य माना जाता है जिसका कोई राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्य होता है।

विद्रोह: सरकार जैसी संवैधानिक संस्था के विरुद्ध हथियारबंद उपद्रव को विद्रोह कहा जाता है। यह देश से अलग होने की लड़ाई हो सकती है। भारत में ऐसी गतिविधियां जम्मू काश्मीर, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा में चल रही हैं।

नक्सलवादी आन्दोलन: इस आन्दोलन का मुख्य कारण समाज के कुछ वर्गों उदाहरणार्थ दलितों और जनजातियों में असंतोष है। वे अक्सर सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी कर्मचारियों और अर्धसैनिक बलों पर हमला करते हैं जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं। वे जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों का भी विरोध करते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में विकास से उनका समर्थन सिमट सकता है।

सरकार की रणनीति

- भारत सरकार ने इन विषयों व समस्याओं के समाधान के लिये विभिन्न कदम उठाये हैं।
- नक्सलवादी आन्दोलन के साथ कठोर पुलिस कार्यवाही तथा विकास और रोजगार के माध्यम से लड़ाई की जा रही है। विद्रोह का मुकाबला कूटनीतिक तरीके से भी किया जा रहा है।
- पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, म्यांमार और बंगलादेश पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वे इन गतिविधियों को सहायता देना बन्द करें।
- अन्तर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया जा रहा है तथा युवाओं को विकास के माध्यम से मुख्यधारा से जोड़ने के लिये कदम उठाये गये हैं।

गुटनिरपेक्षता की नीति

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब विश्व दो परस्पर विरोधी गुटों में बँटा था उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यह एक गतिशील अवधारणा थी जिसका मतलब था किसी सैनिक गुट में शामिल हुये बिना अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के मुद्दे या विषय के अनुसार अपनी स्थिति तय करना। कई अन्य देशों ने भी गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका ही एक मात्र महाशक्ति रह गया है। लेकिन गुटनिरपेक्षता की नीति अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि यह अभी भी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन

भारत अन्तर्राष्ट्रीय कानून, संधियों और संस्थाओं का बहुत आदर करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 संस्थापक देशों में से एक है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शान्ति बहाली के प्रयासों को मानव संसाधन उपलब्ध कराये हैं।

स्वयं का मूल्यांकन कीजिए

प्र. शान्ति और सुरक्षा के विषय पर भारत के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।

प्र. भारत में शान्ति और सुरक्षा के लिये व्याप्त आन्तरिक खतरों पर प्रकाश डालिये।

प्र. शान्ति और सुरक्षा के लिये खतरों का मुकाबला करने हेतू भारत सरकार की रणनीति की व्याख्या कीजिए।

प्रश्न पत्र - संदर्भ के लिये प्रश्न उत्तर

1. भारत के रेखामानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए: $1 \times 4 = 4$

   (i) भारत की मानक मध्यान्ह रेखा

   (ii) 2001 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य

   (iii) एक नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है

   (iv) भारत की सर्वोच्च चोटी

नोट-केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिये प्रश्न

निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए

(i) भारत की मानक मध्यान्ह रेखा का देशान्तर बताइये।

(ii) उस राज्य का नाम बताइये जहां पर 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है

(iii) एक ऐसी नदी का नाम बताइये जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है

(iv) भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइये।

Ans. (i) 82½° E

(ii) प. बंगाल

(iii) नर्मदा/तापी

(iv) के-2

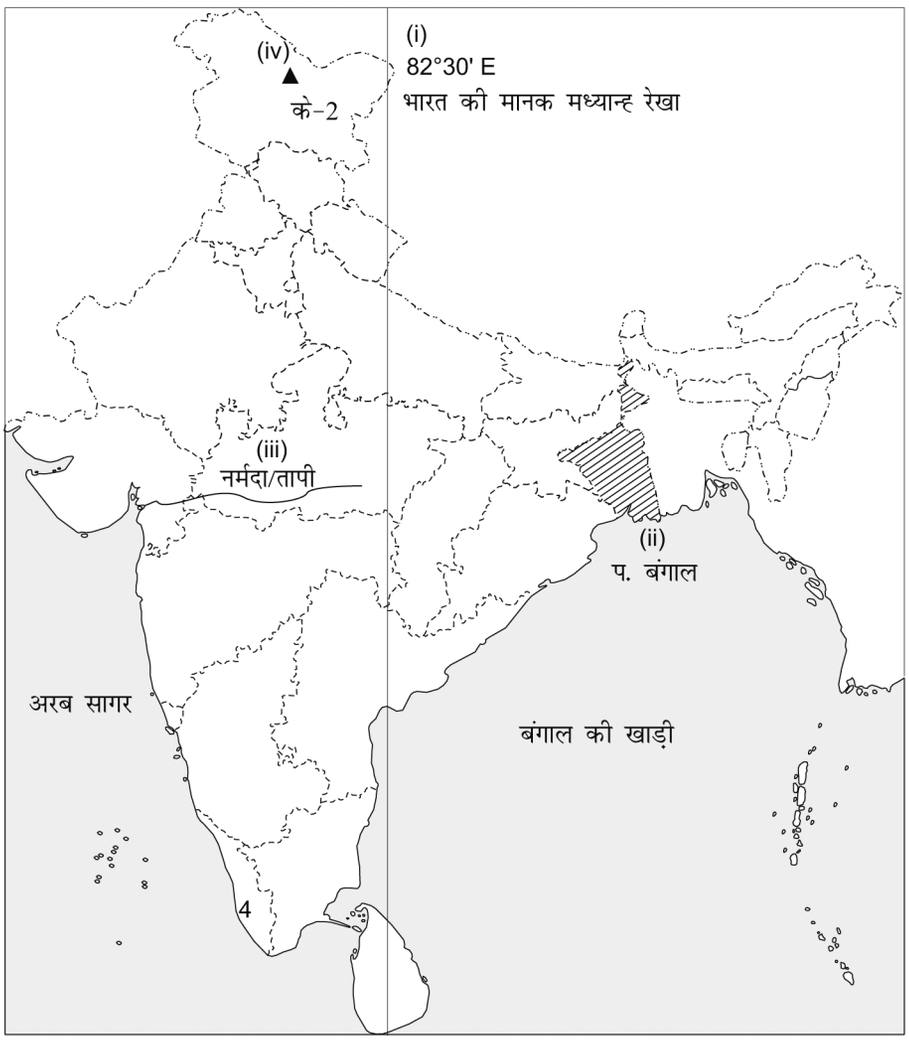

2. 1 से 4 तक के क्रम में भारत के रेखा मानचित्र में चार महत्वपूर्ण बन्दरगाह दिखाये गये हैं। उनकी पहचान कीजिए तथा अपनी उत्तरपुस्तिका में क्रम के अनुसार उनके नाम लिखिए। $1 \times 4 = 4$

उत्तर 1. कोच्ची

2. विशाखापट्टनम

3. चेन्नई

4. तूतीकोरिन

नोट–केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिये प्रश्न

निम्न में से प्रत्येक राज्य में स्थित एक बन्दरगाह का नाम बताइये

(i) गुजरात

(ii) तमिलनाडु

(iii) आन्ध्रप्रदेश

(iv) प. बंगाल

उत्तर

(i) गुजरात: कांडला, पोरबंदर (कोई एक)

(ii) तमिलनाडु: तूतीकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई (कोई एक)

(iii) आन्ध्रप्रदेश: विशाखापट्टनम

(iv) पं. बंगाल: कोलकाता/हल्दिया (कोई एक)

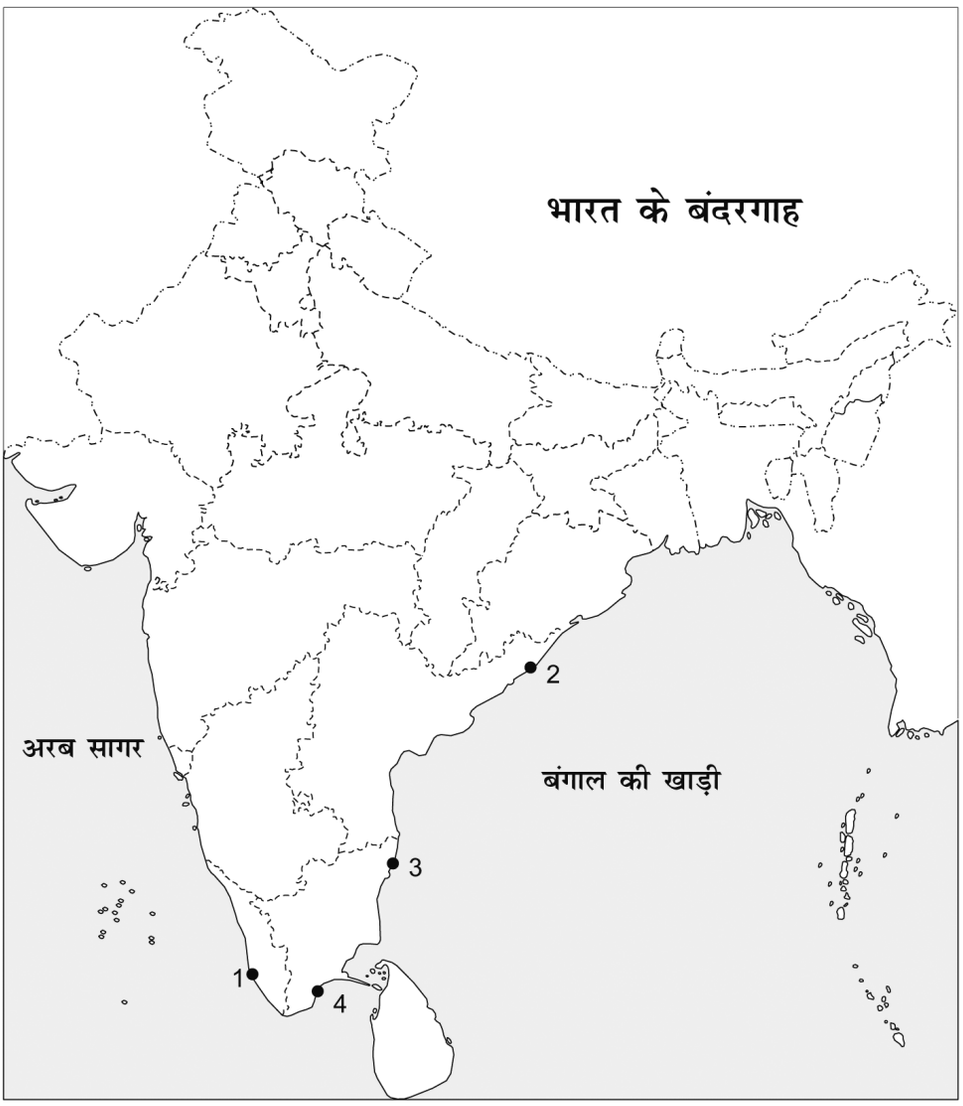

3. माना आप 1837 में मद्रास में रह रहे थे। उस समय आपके मकान को बनाने के लिये ग्रेनाइट लाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे तेज परिवहन का साधन उपलब्ध था? 1

(क) बैलगाड़ी

(ख) रेलवे

(ग) ऊँट गाड़ी

(घ) डीजल से चलने वाला स्वचालित वाहन

उत्तर (ख)

4. विश्व में प्रारम्भिक सभ्यताओं में पूर्वज तथा प्राकृतिक आत्माओं की पूजा सामान्य बात थी। निम्न में से कोई एक इसका कारण नहीं लगता, पहचान करें। 1

(क) वे चाहते थे कि उनके पूर्वज हमेशा उनके साथ रहें

(ख) वे अपने मृत सम्बन्धियों का आदर करते थे।

(ग) वे महसूस करते थे कि किसी दिन उनके पूर्वज वापस आ जायेगें।

(घ) वे मृत लोगों से डरते थे।

उत्तर (घ)

5. नीचे दिये गये कथन लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों से सम्बन्धित हैं। एक ऐसे कथन की पहचान कीजिए जो केवल गणतंत्र से सम्बन्धित है। 1

(क) इसकी सत्ता का स्रोत जनता होती है।

(ख) यह उत्तरदायित्व पर आधारित है।

(ग) भारत के प्रत्येक नागरिक को राज्याध्यक्ष के पद पर चुने जाने का अधिकार है।

(घ) यह सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर आधारित है।

उत्तर (ग)

6. लोकतंत्र के लिये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1

(क) चुनाव नियमित नहीं कराये जाते

(ख) सरकार बनाने में लोगों की भागीदारी नहीं होती

(ग) चुनाव राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है

(घ) मतदान का अधिकार सार्वभौमिक नहीं है।

उत्तर (ग)

7. हम यह कैसे जानते हैं कि भारत का विशाल मैदान प्राचीन और मध्य काल में बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना का स्थान रहा? $1 \times 2 = 2$

उत्तर (i) यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था जिसमें नदी द्वारा महीन कणों का जमाव होता था

(ii) पीने व सिंचाई के लिये पर्याप्त जल आपूर्ति

(iii) लौह अयस्क की उपलब्धता ने साम्राज्यों के विस्तार में सहायता की (कोई दो बिंदु)

8. स्थानीय शासन की संस्थाओं में कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के कोई दो लाभ बताइये। $1 \times 2 = 2$

उत्तर (i) इससे जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने में सहायता मिलती है।

(ii) इससे कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा होती है।

9. 19वीं शताब्दी के छात्र के रूप में अपने स्कूल की कोई दो अद्वितीय विशेषताएं बताइये। $1 \times 2 = 2$

उत्तर (i) विज्ञान और टैक्नोलोजी नहीं पढ़ाई जाती थी

(ii) लड़कियों को विद्यालय नहीं जाने दिया जाता था

(iii) धार्मिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था

(कोई दो बिंदु)

10. नीचे दी गई सूचना के आधार पर जन्म दर और मृत्यु दर का आंकलन करें।

(i) एक जिले में एक वर्ष में कुल जीवित जन्में बच्चों की संख्या, 400

(ii) उस जिले में एक वर्ष में कुल मृत्यु, 350

(iii) वर्ष के मध्य में उस जिले की जनसंख्या है, 20000

उत्तर

$$\text{जन्म दर} = \frac{\text{किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में जन्में कुल बच्चों की संख्या}}{\text{उस भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

$$\frac{400}{20{,}000} \times 1000 = 20 \text{ प्रति हजार}$$

$$\text{मृत्यु दर} = \frac{\text{किसी भौगोलिक क्षेत्र में वर्ष में कुल मृत्यु}}{\text{वर्ष के मध्य में उस भौगोलिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या}} \times 1000$$

$$= \frac{350}{20{,}000} \times 1000 = 17.5 \text{ प्रति हजार}$$

11. आप विभिन्न स्थानों में अलग-अलग जलवायु व ऊँचाईयों पर गये होंगे उन स्थानों में आपने भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़/झाड़ियां ओर उनकी विशेषता देखी होगी। इनमें से किन्हीं दो प्रकार की वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। $2 \times 2 = 4$

उत्तर

(i) विषुवतीय सदावहार वन
(ii) विषुवतीय पतझड़ वन
(iii) कटीली झाड़ियां/वन
(iv) ज्वारीय वन
(v) हिमालयी वन व वनस्पति
(किन्हीं दो का संक्षिप्त वर्णन)

12. मानवता, पर्यावरणवाद, सौहार्दपूर्ण जीवन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक सोच तथा पृच्छा जैसे मूल्यों को ध्यान में रखकर हमें जिन चार गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिये उन्हें बताइये। $1 \times 4 = 4$

उत्तर (i) मानवतावाद: किसी मनुष्य का उत्पीड़न शोषण और अपमान न करना
(ii) पर्यावरणवाद: पर्यावरण प्रदूषण न फैलाना पर्यावरण क्षरण न करना
(iii) सौहार्दपूर्ण जीवन: किसी भी आधार पर दूसरे से घृणा तथा भेदभाव न करना
(iv) लैंगिक समानता: लिंग के आधार पर लड़का-लड़कियों में भेदभाव न करना
(v) वैज्ञानिक सोच व पृच्छा: अन्धविश्वास न करना
(कोई चार गतिविधियाँ)

13. गुटनिरपेक्षता की चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिनके कारण शीत युद्ध के दौरान भारत को अपने हितों की रक्षा करने में सहायता मिली। $1 \times 4 = 4$

उत्तर (i) स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना
(ii) किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के प्रति उनकी गुणदोष के आधार पर वचनवद्धता व दखल
(iv) हथियार संग्रह करने कि बजाय विकास पर जोर
(कोई अन्य सार्थक बिन्दु)

14. किन्हीं चार मानवीय गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके कारण पर्यावरण क्षरण होता है। उसकी रोकथाम के लिये कोई दो तरीके सुझाइये। $1 \times 4 = 4$

उत्तर मानवीय गतिविधियां

(i) नालियों में और इधर-उधर प्लास्टिक का समान फेंकना
(ii) पेड़ पौधों को नुकसान पहुचाना
(iii) खुले में प्लास्टिक को जलाना
(iv) जलस्रोतों में कूड़ाकरकट डालना
(v) औद्योगिक अवशिष्ट नदियों और अन्य जलस्रोतों में डालना
(vi) वाहनों की सही मरम्मत न करना
कोई अन्य गतिविधि (कोई चार बिन्दु)

सुझाव

(i) अजैविक पदार्थों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये
(ii) औद्योगिक अपशिष्ट से जलस्रोतों को प्रदूषित न करें
(iii) वायु प्रदूषण को रोकने के लिये वाहनों को सही स्थिति में रखना चाहिये।

15. 2002 से 2006 के बीच किसानों ने आत्महत्या की 1856 के संथाल विद्रोह और 1943 के बंगाल के अकाल से इसकी तुलना कीजिए। 4

उत्तर 2002 से 2006 के बीच 17500 किसानों ने फसल खराब होने तथा कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या की। 1856 में कर और अन्य वसूलियों के कारण जमीन छोड़कर विद्रोही बन गये। 1943 के बंगाल में अकाल के कारण 30 से 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई।

16. 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आन्दोलन के बावजूद उन चार सामाजिक बुराइयों की पहचान कीजिए जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। $1 \times 4 = 4$

उत्तर (i) पर्दा प्रथा
(ii) दहेज
(iii) निरक्षरता
(iv) बालिका हत्या/भ्रूणहत्या

17. 1857 के विद्रोह का कौन सा नायक आप को सबसे अधिक प्रेरित करता है? उसके किन्हीं चार गुणों/विशेषताओं की पहचान कीजिए जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। $1 \times 4 = 4$

उत्तर (i) झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सबसे बहादूर सैनिक नायिका

(ii) तांत्या टोपे सोये हुये पकड़े गये

(iii) बिहार का कंवर सिंह

(iv) बहादुर शाह जफर को बन्दी बनाकर रंगून निर्वासित किया गया। 87 वर्ष की आयु में वहीं मृत्यु।

18. प्राचीन भारत में रचित कुछ साहित्यक रचनायें हम तक पहुँची है। ऐसी चार रचनाओं की पहचान कीजिए जिनका वर्तमान समय में भी अत्यधिक सम्मान है। $1 \times 4 = 4$

उत्तर (i) चार वेद

(ii) सूत्र, रामायण और महाभारत जैसे काव्य स्मृति, पुराण

(iii) त्रिपितक

(iv) कालीदास, वाणभट्ट, शूद्राका की रचनायें

19. नीचे दिये गये मानचित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके आधार पर दिये गये प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

$1 \times 4 = 4$

मानचित्र में दर्शाये गये 'A' क्षेत्र में घनी आबादी के लिये उत्तरदायी चार कारक क्या है?

उत्तर उच्च जनसंख्या घनत्व व घनी आबादी के लिये उत्तरदायी कारण

(i) उच्चावच

(ii) जलवायु

(ii) मृदा

(iv) औद्योगीकरण और शहरीकरण

(v) परिवहन और संचार

(किन्हीं चार की व्याख्या करे, प्रत्येक के लिये एक अंक)

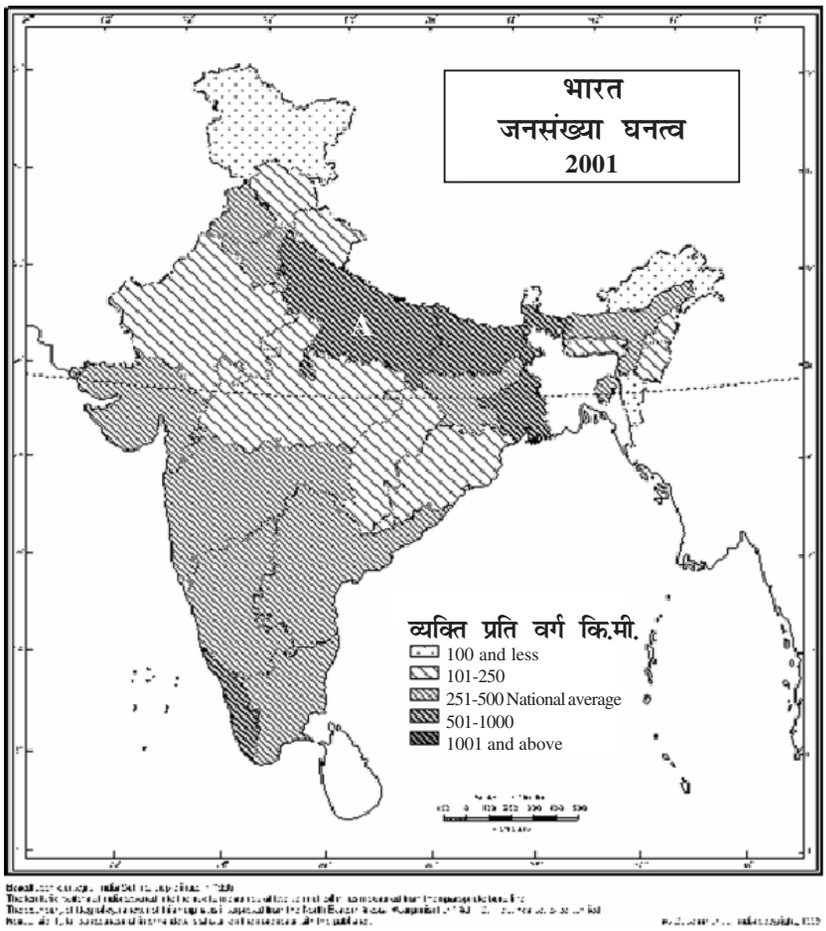

नोट: यह प्रश्न केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिये है।

पश्चिम बंगाल में उच्च जनसंख्या घनत्व के लिये उत्तरदायी कारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

उत्तर उच्च जनसंख्या घनत्व के लिये उत्तरदायी कारण

(i) उच्चावच

(ii) जलवायु

(ii) मृदा

(iv) औद्योगिकरण और शहरीकरण

(v) परिवहन और संचार

(किन्हीं चार बिन्दुओं की संक्षेप में व्याख्या, प्रत्येक के लिये एक अंक)

20. आपकी राय में सांसदों में वे कौन से चार महत्वपूर्ण गुण होने चाहिये जिनसे वे अच्छे सांसद बन सकें। $1 \times 4 = 4$

उत्तर (i) सदन में अनुशासन और उसकी मर्यादा बनाये रखें।

(ii) अध्यक्ष के आदेश का पालन करें।

(iii) संसद के सत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहें।

(iv) सांसद के रूप में पारदर्शिता बनाये रखें।

(कोई अन्य सार्थक बिन्दु)

21. नीचे दो गांधीवादी सिद्धान्त दिये गये हैं। उनसे सम्बन्धित राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों की पहचान कीजिए। $2 \times 2 = 4$

(i) मद्यपान निषेध

(ii) ग्राम स्तर पर स्वशासन

उत्तर (i) राज्य शराब व अन्य मादक पदार्थों के उपभोग को प्रतिबंधिति करने के लिये प्रयास करेगा।

(ii) राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिये प्रयास करेगा तथा इन पंचायतों को इतनी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा कि वे स्वशासी संस्थाओं के रूप में कार्य कर सके।

22. माना कि आपके पिता को एक आदिवासी इलाके में स्थनान्तरित कर दिया गया और उनका घरेलू नौकर एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। उस नौकर तथा आसपड़ोस के बच्चों ने आपसे सहायता की अपेक्षा की। उन्हें आर्थिक रूप से कैसे सशक्त किया जा सकता है? उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिये उन्हें क्या सूचनायें प्रदान करोगे? $2 \times 2 = 4$

उत्तर आर्थिक सशक्तीकरण के लिये संस्थायें

(i) एन.एस.एफ.डी.सी. आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

(ii) एन.एस.के.एफ.डी.सी. यह सफाई कर्मचारियों को आय पैदा करने वाले कार्यों के लिये वित्तीय सहायता देती है।

(iii) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. यह आय और रोजगार पैदा करने वाली गतिविधियों को सहायता प्रदान करती है।

(iv) एस.सी.डी.सी. रोजगार उन्मुखी योजनाओं को सहायता प्रदान करती है।

(v) एस.टी.डी.सी. यह लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये वाहक अभिकरण की भांति कार्य करती है।

23. भारत के दो स्थानों का तापमान और वर्षा (तापमान सें. वर्षा सेमी.) $(1 + 1 + 2 = 4)$

स्थान		महीने											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
क	T	–8	–7	–1	9	10	14	17	17	12	6	0	–6
	R	10	8	8	5	5	5	13	13	8	5	0	5
ख	T	25	26	28	31	33	33	31	31	30	20	26	25
	R	4	13	13	18	38	45	87	113	119	306	350	135

उपरोक्त तालिका का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(i) स्थान 'ख' की वार्षिक औसत वर्षा की गणना कीजिए।

(ii) स्थान 'क' का तापान्तर पता लगाइये

(iii) इनमें से कोन सा स्थान चेन्नई की जलवायु को दर्शाता है? कोई दो कारण बताइये।

उत्तर (i) 103.4 सेमी.

(ii) 25° से.

(iii) (अ) स्थान 'ख' क्योंकि यहां सर्दियों में लौटते मानसून से वर्षा होती है।

(ब) पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है तथा तापान्तर 13° से. है।

24. यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये आप कौन से चार प्रमुख चुनाव सुधार लागू करते और क्यों? $1 \times 4 = 4$

उत्तर निम्न कारणों से चुनाव सुधार आवश्यक हैं–

(i) जाली मतदान, प्रतिरूपण की समस्या

(ii) चुनाव के दौरान हिंसा

(iii) धन और बाहुबल का चुनाव पर बुरा प्रभाव

(iv) मतदाताओं को डराना धमकाना, विशेषकर कमजोर वर्गों को

(v) सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग

(vi) मतदान केन्द्रों पर कब्जा, चुनावों का अपराधीकरण

(कोई चार)

सुझाये गये सुधार

(i) बहुसंख्यक मत प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना

(ii) राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण

(iii) चुनाव कानूनों को और अधिक कठोर बनाना उल्लंघन पर कठोर सजा की व्यवस्था

(iv) चुनाव खर्चे का वहन सरकार/राज्य करे

(v) विधानमंडलों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित

(vi) धन और बाहुबल की भूमिका पर पाबंदी

(vii) राजनीति के अपराधीकरण पर रोक। जाति और धर्म के चुनाव में दुरूपयोग पर प्रतिबंध

(कोई चार)

25. भारत में पर्यावरण क्षरण के लिये उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। 4

उत्तर (i) पर्यावरण क्षरण निम्न कारणों से होता है।

(क) मृदा अपदरन

(ख) भूमि की अम्लता व क्षारीयता

(ग) मृदा के पोषक तत्वों का नुकसान

(ii) औद्योगीकरण

(क) प्राकृतिक संसाधनों का अपक्षय

(ख) वायु, जल और भूमि प्रदूषण

(iii) आर्थिक विकास

(क) अत्यधिक उपभोगतावाद

(ख) बर्बादी और क्षय

26. जिन सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों का व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, उनका वर्णन कीजिए। $1 \times 5 = 5$

उत्तर (i) भक्ति और सूफी आन्दोलन जिन्होंने व्यक्तिगत श्रद्धा के द्वारा ईश्वर की एकरूपता पर जोर दिया

(ii) रीति रिवाज, परम्पराओं, बलिदान के स्थान पर प्यार, शुद्धता और श्रद्धा पर जोर

(iii) ब्राह्मण पुजारियों की सत्ता पर प्रश्न कर उसे चुनौती

(iv) इसका लोगों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा।

(v) इन संतों के कई अनुयायी थे। सिख धर्म इसी आन्दोलन की देन है।

27. स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने वाले किन्हीं चार उदाहरणों का उल्लेख कीजिए। $1 \times 5 = 5$

उत्तर युक्तिसंगत प्रतिबंधों के उदाहरण

(i) शान्तिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर रोक लगायी जा सकती यदि उससे हिंसा और अव्यवस्था की आशंका हो।

(ii) संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि संगठन से राष्ट्रीय हितों व नैतिकता को खतरा है।

(iii) भ्रमण की स्वतंत्रता पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति के किसी क्षेत्र में जाने से लोगों को उकसाने की तथा कानून और व्यवस्था बिगड़ने की समस्या हो।

(iv) आजीविका कमाने के लिये व्यवसाय व व्यापार करने की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का व्यापार या अन्य गैर कानूनी कार्य करे।

(v) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि किसी के ऐसा करने से देश की एकता, अखण्डता व सुरक्षा को खतरा पैदा होता है।

28. कल्पना कीजिए कि आप 8 अगस्त 1942 की रात को जब गांधी जी ने 'करो या मरो' का नारा दिया, उस बैठक में शामिल थे। बम्बई में हुये इस घटनाक्रम को बताते हुये अपने मित्र को पत्र लिखिए। 5

उत्तर

प्रिय मित्र

नमस्कार

आशा है आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने गांधीजी द्वारा पिछली रात बुलाई गई बैठक में भाग लिया। उन्होंने हमे 'करो या मरो' का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। हम दासता को देखने के लिये जीवित नहीं रहेंगे। प्रात: काल कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। कांग्रेस पर प्रतिबंध तथा प्रेस पर सैंसरशिप लगा दी गयी। बम्बई में धरना, प्रदर्शन व हड़ताल प्रभावी ढ़ंग से की जा रही है। दिल्ली में क्या हालात है?

स्नेहपूर्ण,

तुम्हारा,

कखग

29. किन्हीं पाँच बिन्दुओं में उत्तरी मैदान के आर्थिक महत्व की व्याख्या कीजिए। $5 \times 1 = 5$

उत्तर उत्तरी मैदान का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार से है

(i) सर्वाधिक उपजाऊ मैदान

(ii) सिंचाई की उचित सुविधा

(iii) अनाज के उत्पादन में अग्रणी

(iv) पर्याप्त मृदा जल

(v) उच्च जनसंख्या घनत्व

(vi) परिवहन, रेल/सड़क का उच्च घनत्व

(कोई अन्य सार्थक बिन्दु, किन्हीं पांच की संक्षिप्त व्याख्या अपेक्षित)

प्रतिदर्श प्रश्नपत्र

स्वयं का मूल्यांकन करें

1. भारत के रेखामानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए: 1×4 = 4

   (i) निजी क्षेत्र का एक स्टील प्लांट

   (ii) जम्मू और कश्मीर का वन्यप्राणी अभयरण

   (iii) भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी

   (iv) विषुवत सदाबहार वन क्षेत्र

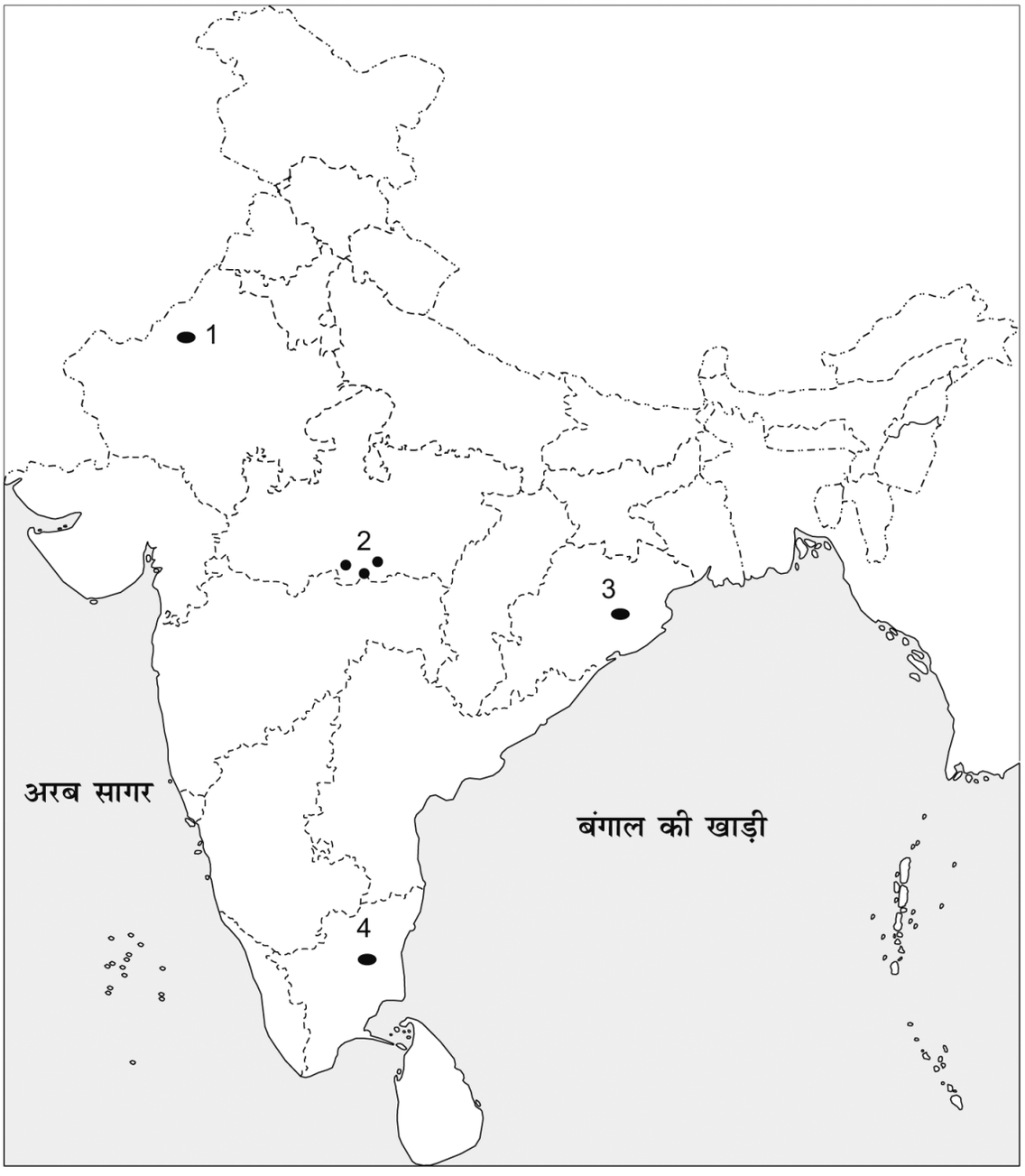

2. दिये गये मानचित्र में 1 से 4 क्रम में चार प्रमुख कोयला खदानें दर्शायी गयी हैं। इनकी पहचान कीजिए तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार उनके नाम लिखिए।
$1/2 \times 4 = 2$

3. अंग्रेजों का प्रारम्भ में भारत आने का क्या उद्देश्य था? 1

(क) व्यापार

(ख) उद्योग स्थापित करना

(ग) ईसाई धर्म को फैलाना

(घ) राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना

4. 19वीं शताब्दी में वेदों पर निम्न में से किसका नियंत्रण था? 1

(क) ब्राह्मण

(ख) क्षत्रिय

(ग) वैश्य

(घ) शूद्र

5. निम्न में से कौन सी विशेषता संघीय प्रणाली की नहीं है? 1

(क) केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।

(ख) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है।

(ग) भारत को एक पंथनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है।

(घ) भारत का लिखित संविधान है।

6. निम्न में से कौन सी एक बात लोकतंत्र के लिये चुनौती है? 1

(क) जन आन्दोलन

(ख) मौलिक अधिकार

(ग) गरीबी

(घ) पंथनिरपेक्षता

7. एशिया में साम्राज्यवाद के किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। $1 \times 2 = 2$

8. कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है? 2

9. बाल लिंग अनुपात को परिभाषित कीजिए। 2

10. एक जिले की निर्भरता दर की गणना कीजिए जिसकी जनसंख्या तीन वर्गों में नीचे दी गयी है 2

बच्चे (0 से 14 वर्ष)	:	6,000
व्यस्क (15 से 59 वर्ष)	:	30,000
बुजुर्ग (60 वर्ष या उससे अधिक)	:	3,000

11. भारत में रेलवे के विकास के लिये उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। $1 \times 4 = 4$

12. ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनमें राज्यपाल अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 4

13. नगर निगम की आय के कोई चार स्रोत लिखिए।
$1 \times 4 = 4$

14. भारत की विदेशनीति के चार आधारभूत उद्देश्य लिखिए।
$1 \times 4 = 4$

15. भारत में 19वी शताब्दी में नील विद्रोह की चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। $1 \times 4 = 4$

16. भारत में जाति प्रथा की किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए। $1 \times 4 = 4$

17. 1857 के विद्रोह के चार आर्थिक कारणों की व्याख्या कीजिए। $1 \times 4 = 4$

18. पुर्नजागरण के कारण उत्पन्न नये विचार लोगों की सोच में कैसा बदलाव लाये? स्पष्ट कीजिए। 4

19. भारत में चाय के उत्पादन के लिये आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। 4

20. जनमत का निर्माण करने वाले चार अभिकरणों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। $4 \times 1 = 4$

21. भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत प्रदान की गयी चार स्वतंत्रताओं की व्याख्या कीजिए।
$1 \times 4 = 4$

22. समाज के वंचित वर्गों के उत्थान हेतु भारत सरकार द्वारा उठाये गये किन्हीं चार कदमों की व्याख्या कीजिए।
$4 \times 1 = 4$

23. नीचे दी गयी तालिका का अध्ययन कर तदुपरान्त दिये गये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। $4 \times 1 = 4$

तापमान (डिग्री से. में) तथा वर्षा (सेमी. में) स्थान 'क'

	ज	फ	मा	अ	म	जू	जु	अ	सि	अ	न	दि
तापमान	14	17	23	29	34	35	31	30	29	21	20	15
वर्षा	21	24	13	10	10	68	186	170	125	14	2	9

(i) वार्षिक तापान्तर

(ii) वार्षिक औसत तापमान

(iii) सर्वाधिक वर्षा वाला महीना

(iv) औसत वार्षिक वर्षा

24. अन्ना हजारे के नेतृत्व में ''इंडिया अगेंस्ट करप्शन'' लोकपाल विधेयक पारित करवाने के लिये लगातार आन्दोलन कर रहा है। यह समूह दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहा या हित समूह के रूप में? क्या आपको लगता है कि इस समूह के राजनीतिक स्वार्थ है? अपने उत्तर की पुष्टि करे। 5

25. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बदली प्रकृति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। 5

26. रूस का प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना किस प्रकार उस देश में समाजवाद के प्रसार में सहायक हुआ? 5

27. न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? इसने किस प्रकार न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका को प्रोत्साहित किया? $1 + 2 + 2 = 5$

28. असहयोग आन्दोलन का मूल्यांकन कीजिए। 5

29. भारत में कृषि की किन्हीं पांच विशेषताओं का वर्णन कीजिए। $1 \times 5 = 5$

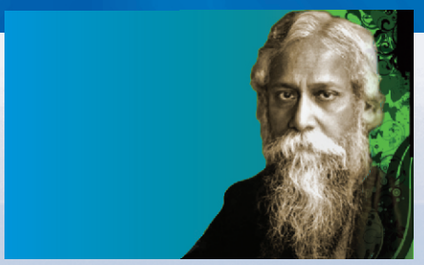

जहां चित्त भय से शून्य हो

जहां चित्त भय से शून्य हो
जहां गर्व से माथा ऊंचा कर चल सकें
जहां ज्ञान मुक्त हो
जहां दिन रात विशाल वसुधा को खंडों में विभाजित कर
छोटे-छोटे आंगन न बनाए जाते हों

जहां हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो
जहां हर दिशा में कर्म के अजस्र नदी के स्रोत फूटते हों
और निरंतर अबाधित बहते हों
जहां विचारों की सरिता
तुच्छ आचारों की मरु भूमि में न खोती हो
जहां पुरुषार्थ सौ सौ टुकड़ों में बंटा हुआ न हो
जहां पर सभी कर्म, भावनाएं, आनंदानुभूतियाँ तुम्हारे अनुगत हों

हे पिता, अपने हाथों से निर्दयता पूर्ण प्रहार
उसी स्वातंत्र्य स्वर्ग में इस सोते हुए भारत को जगाओ

- गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर
- अनुवादः शिवमंगल सिंह 'सुमन'

विद्याधनम् सर्वधनं प्रधानम्

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान